

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017

### तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के मजदूरों को अन्य राज्य में बंधवा बनाए जाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

1. (\*क्र. 2191) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ से पलायन कर अन्य राज्यों में गये कितने मजदूरों को जनवरी, 2016 में जनवरी, 2017 तक बंधवा बनाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : छत्तीसगढ़ से पलायन कर अन्य राज्यों में गये 1428 मजदूरों को जनवरी, 2016 से जनवरी, 2017 तक बंधवा बनाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है.

विभिन्न योजनाओं हेतु मान्य गरीबी रेखा की सर्वे सूची

2. (\*क्र. 1437) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए संचालित एकीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना के लिए संचालित 2002 की सर्वे सूची को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां तो किन-किन योजनाओं के लिए निरस्त किया गया है और किन-किन योजनाओं के लिए नहीं किया गया है ? (ख) उक्त निरस्त किये गये 2002 की सर्वे सूची के बदले किन-किन योजनाओं के लिए कौन-कौन सी सर्वे सूची को मान्य किया गया है ? कृपया विवरण सहित जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा सुखद सहारा योजना के लिए गरीबी रेखा की सर्वे सूची को निरस्त नहीं किया गया है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित रेडी टू ईट समितियाँ

3. (\*क्र. 785) **श्रीमती केराबाई मनहर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में कुल कितनी पंजीकृत रेडी टू ईट समितियाँ संचालित हैं ? (ख) संचालित रेडी टू ईट समितियों को वर्ष 2014 से 2016 तक कितना भुगतान किया गया ? परियोजनावार एवं समितिवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) एवं (ख) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 21 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है. प्रश्नाधीन अवधि की समूहों तथा भुगतान की परियोजनावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का मानदेय

4. (\*क्र. 2348) **श्री उमेश पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जाता है ? इस मानदेय में कितना अंश केन्द्र सरकार का व कितना राज्य सरकार का होता है ? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मांगों पर विचार व वेतनमान सुधार हेतु कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां तो वेतन व सेवा शर्तों में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मांगों पर विचार व वेतनमान सुधार हेतु कोई विशिष्ट समिति गठित नहीं की गई है, अपितु समय-समय पर प्राप्त मांगों पर विचार कर यथा संभव निराकरण किया जाता है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदन

5. (\*क्र. 575) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2016-17 में कुल कितने जन समस्या निवारण शिविर लगाये गये ? प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है ? (ख) क्या उक्त सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नावधि में बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 4 जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया है. इनमें कुल 1458 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. (ख) आयोजित शिविरों में प्राप्त 1458 प्रकरणों में से कुल 1254 का निराकरण किया जा चुका है. शेष 204 आवेदनों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है.

नगर पालिका नवापारा में संचालित दिव्यांग/मूकबधिर शाला

6. (\*क्र. 1904) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका नवापारा में अर्पण नामक एन.जी.ओ. द्वारा मूक बधिर शाला संचालित की जा रही है ? यदि हां तो कहां पर कब से ? एन.जी.ओ. के संचालक के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) उक्त संस्था/शाला को शासन द्वारा वर्ष 2013 से जनवरी, 2017 तक क्या-क्या सुविधाएं कितनी-कितनी राशि की उपलब्ध करायी गई है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका नवापारा में छत्तीसगढ़ विकलांग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा अर्पण मूक बधिर शाला का संचालन किया जा रहा है. संस्था बड़ईपारा रेल्वे स्टेशन के पास वर्ष 2001 से संचालित है. इनके संचालक, डॉ. किरण कुमारी है. (ख) उक्त संस्था को विभाग द्वारा वर्ष 2013 से जनवरी 2017 तक कोई सुविधाएं एवं राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. जानकारी निरंक है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पत्थर उत्खनन हेतु दी गई अनुज्ञप्ति

7. (\*क्र. 2051) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में शासन द्वारा जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां कितने रकबे पर किस-किस व्यक्ति/फर्म को किस अवधि तक के लिये पत्थर उत्खनन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है ? (ख) क्या स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के रकबा के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) 31 जनवरी 2017 की स्थिति में जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पत्थर उत्खनन हेतु कोई उत्खनन अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है, तथापि निम्न श्रेणी चूनापत्थर एवं डोलोमाईट की स्वीकृत उत्खननपट्टों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां. अवैध उत्खनन के दर्ज 01 प्रकरण में समझौता राशि रुपये 22 लाख 84 हजार 700 वसूल की गई है.

प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल एवं असंगठित मजदूरों का पंजीयन

8. (\*क्र. 2363) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल एवं असंगठित मजदूरों के कितने पंजीयन हुए हैं ? जिलेवार बताएँ ? (ख) वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान निर्माण मजदूर एवं असंगठित मजदूरों को कितनी राशि वितरित की गई ? जिलेवार बताएँ ? (ग) महासमुंद जिले में निर्माण मजदूरों के सायकल, सिंचाई मशीन, भगनी प्रसूति विवाह योजना व मृत्यु योजना के कितने प्रकरण दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक लंबित हैं ? (घ) क्या इन योजनाओं में महासमुंद जिले में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत उपरोक्त वर्षों के दौरान प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो की गई जांच की कार्यवाही से अवगत कराएँ ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के तहत 13,30,820 निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत 8,77,925 असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हुए हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाई गई है. (ख) वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण मजदूरों को राशि रु. 2,12,49,73,725 एवं असंगठित मजदूरों को राशि रु. 18,61,74,675 का वितरित की गई. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाई गई है. (ग) महासमुंद जिले में निर्माण मजदूरों के सायकल, सिलाई मशीन, भगनी प्रसूति, विवाह योजना व मृत्यु योजना के कुल 18,121 प्रकरण दिनांक 31 जनवरी 2017 तक लंबित हैं. (घ) जी हां. कलेक्टर महासमुंद द्वारा जांच दल गठित कर, प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई, जिसमें 08 प्रकार की योजनाओं में 128 आवेदन अपात्र पाये गये, जिसे श्रम पदाधिकारी, महासमुंद द्वारा निरस्त कर दिया गया है. अपात्र पाये गये आवेदनों की योजनावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शाई गई है.

महासमुंद जिले अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा पंपों की स्थिति

9. (\*क्र. 2211) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले अंतर्गत वर्ष 2015-16 तथा 16-17 में 31 जनवरी 2017 तक किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना की गई है ? क्या स्थापित सभी पंप चालू हालत में हैं ? विकासखंड, ग्राम पंचायतवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) महासमुंद जिले अंतर्गत किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप स्थापित किये जाने का प्रावधान है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में सौर सुजला योजना/अन्य योजनाओं के तहत स्थापित सौर ऊर्जा पंपों की स्थलवार, ग्रामपंचायतवार, विकासखंडवार एवं कार्यशीलता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप के स्थापना का प्रावधिक लक्ष्य जिलेवार है. अतः पृथक से ग्रामवार प्रावधान संधारित नहीं होने के कारण जानकारी बताया जाना संभव नहीं है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में अटल ज्योति के तहत कार्यों की स्वीकृति

10. (\*क्र. 2334) **श्री अशोक साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तीन वर्षों में अटल ज्योति के तहत कितने कार्य स्वीकृत हुए ? (ख) क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में अटल ज्योति के तहत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं. (ख) उत्तरांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में चिन्हांकित कुपोषित बच्चे

11. (\*क्र. 1585) **श्री दिलीप लहरिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे नवजात योजना तथा कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 में कुल कितनी राशि खर्च की गई है ? (ख) दर्शित योजना में कुल कितने कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया गया? कितने बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली है.

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे नवाजतन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि 530242/- रुपये, वर्ष 2014-15 में 669727/- रुपये एवं वर्ष 2015-16 में 834088/- रुपये की राशि खर्च की गई है. “कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम” नामक कोई योजना संचालित नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में नवाजतन योजना अंतर्गत 2741 कुपोषित बच्चों को चिह्नांकित किया गया जिसमें से 1111 बच्चे कुपोषित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आये.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में असाध्य पंप कनेक्शन के दर्ज प्रकरण

12. (\*क्र. 2312) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ एवं छुईखदान विकासखंड में सत्र 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक सिंचाई हेतु असाध्य पंप कनेक्शन के कितने प्रकरण (आवेदन) दर्ज किए गए हैं ? (ख) कितने प्रकरण सौर ऊर्जा (सौर सुजला) में परिवर्तित किए गए ? कृपया विकासखंडवार जानकारी बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ विकासखण्ड के 340 तथा छुईखदान विकासखंड के 235 सिंचाई पंप कनेक्शन के प्रकरण असाध्य पाये गये हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में असाध्य प्रकरणों में से विकासखण्ड खैरागढ़ के 37 एवं विकासखण्ड छुईखदान के 12 असाध्य पम्पों के प्रकरण सौर सुजला योजना के अंतर्गत पम्प स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये हैं.

विधान सभा क्षेत्र प्रेमनगर अंतर्गत एकल बत्ती कनेक्शन का प्रदाय

13. (\*क्र. 1545) **श्री खेलसाय सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र प्रेमनगर जिला सूरजपुर अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा कितने घरों में एकल बत्ती कनेक्शन दिया गया है ? जानकारी विकासखण्डवार, दी जावे ? (ख) क्या सभी एकल बत्ती कनेक्शन पर मीटर लगाया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक मीटर लगा दिया जावेगा ? (ग) जिन मकानों में मीटर नहीं लगा है, वहां बिल निर्धारण की प्रक्रिया क्या है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला सूरजपुर के प्रेमनगर विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा 19,200 एकलबत्ती (बी.पी.एल.) कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं. विकासखण्डवार जारी कनेक्शन की संख्या नीचे दर्शित है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	बी.पी.एल. कनेक्शनों की संख्या
1.	प्रेमनगर	5,095
2.	रामानुजनगर	7,580
3.	सूरजपुर	6,525
<b>कुल जारी कनेक्शन</b>		<b>19,200</b>

(ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित सभी 19,200 बी.पी.एल. कनेक्शन पर मीटर लगाये गये हैं. अतः कब तक मीटर लगा दिया जावेगा, का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 की कण्डिका 8.1 में निहित प्रावधान के तहत मीटर लगाये बिना कनेक्शन जारी करने का प्रावधान नहीं है. अतः उक्त प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

जिला सुकमा के विकासखण्ड कोण्टा एवं दोरनापाल परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

14. (\*क्र. 98) **श्री कवासी लखमा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सुकमा के विकासखण्ड कोण्टा एवं दोरनापाल परियोजना में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? स्थलवार जानकारी देवें ? (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कहां पर किया जाता है ? इन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) स्वयं के भवन विहीन 253 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 237 आंगनबाड़ी केन्द्र किराया के भवन में, 07 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में एवं 09 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक सहयोग के भवन में संचालित हो रहे हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के द्वारा किया जाता है.

कांकेर जिले के ग्राम चारगांव मेटाबोदली तथा बरबसपुर की लौह अयस्क खदानों से प्राप्त रायल्टी

15. (\*क्र. 2094) **श्री शंकर धुवा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले के ग्राम चारगांव मेटाबोदली तथा बरबसपुर की लौह अयस्क खदान की लीज कितने हेक्टेयर भूमि की किस संस्था कंपनी को कब तथा कितनी अवधि के लिए दी गई है ? क्या उक्त खदान में उत्खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां तो अब तक कितनी मात्रा में लौह अयस्क का दोहन कर लिया गया है ? शासन को इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? (ख) चारगांव मेटाबोदली तथा बरबसपुर में लौह अयस्क के उत्खनन कार्य से कितने गांव प्रभावित हुए हैं ? उक्त उत्खनन क्षेत्र में कौन-कौन से गांव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दायरे में शामिल किये गये हैं ? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, रोजगार, आधारभूत संरचना विकास के क्या-क्या कार्य किये गये ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) लौह अयस्क उत्खनन कार्य से प्रभावित ग्राम एवं सामुदायिक विकास परियोजना के दायरे में शामिल ग्राम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 9 एवं 10 पर दर्शित है तथा खदान क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, रोजगार, आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए कराये गये कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उसके परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा देय सम्मान निधि

16. (\*क्र. 2260) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन तथा सम्मान निधि के रूप में कितनी-कितनी राशि तथा कौन-कौन सी अन्य सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) विगत पांच वर्षों में दी जाने वाली राशि को कब-कब बढ़ाया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केवल स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि की राशि को दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 से रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार) से रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार) बढ़ाया गया है.

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत पंजीयन

17. (\*क्र. 2293) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2014 से 2016-17 तक कुल कितने जोड़े ने विवाह हेतु पंजीयन कराया ? उनमें से विकलांग जोड़े कितने थे ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार पंजीकृत जोड़ों में से कितने जोड़ों का विवाह कब-कब सम्पन्न हुआ ? कितनी राशि प्रदेश सरकार द्वारा किस-किस मद में व्यय की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में गली विद्युतीकरण

18. (\*क्र. 2326) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2017 से कितने ग्राम/पारा/मजराटोला/मुहल्ला में गली विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं उक्त के विरुद्ध कितने कार्य स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हुए एवं कितने नहीं ? अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड धमधा, बेमेतरा एवं बेरला के 30 ग्रामों में उक्त योजना के मापदण्ड अनुसार गली विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त हुए जिसके विरुद्ध

सभी 30 ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं. विकासखण्डवार ग्रामों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	योजना के मापदण्डों अनुसार लक्ष्य में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	मापदण्डों के अनुसार कार्य पूर्ण ग्रामों की संख्या
1.	धमधा	2	2
2.	बेमेतरा	6	6
3.	बेरला	22	22

(ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित सभी ग्रामों हेतु स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया है.

#### ए.सी.बी. एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा मारे गये छापे

19. (\*क्र. 2267) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 20 फरवरी, 2017 तक की अवधि में एंटी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कब-कब, कहां-कहां एवं किन-किन अधिकारियों के निवास/कार्यालय पर छापे मारा गया ? उनके नाम, पदनाम एवं बरामद राशि एवं अन्य परिसम्पत्तियों की जानकारी वर्षवार दें. (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में, कितने आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं कितनों के विरुद्ध लंबित है, कब से ? लंबित होने के क्या कारण हैं ? (ग) चालान प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 20 फरवरी 2017 तक की अवधि में एंटी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों के संबंध में वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में, 38 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं 95 के विरुद्ध लंबित है. शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “ख” में दर्शित 95 अधिकारियों के प्रकरण विवेचनाधीन है. चालान प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई है, अतः अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

#### राजनांदगांव जिले में विजलेंस दल द्वारा विद्युत चोरी के दर्ज प्रकरण

20. (\*क्र. 1876) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या. अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 15-2-17 तक विजलेंस (सतर्कता दल) राजनांदगांव व अन्य स्थानीय स्तर पर विद्युत चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) दर्ज कितने प्रकरण में पेनाल्टी अधिरोपित की गई ? इनमें से कितने प्रकरणों को रिब्यू कमेटी में रखा गया ? कितने प्रकरण में राशि कम की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सतर्कता दल की जांच में राजनांदगांव जिले में 522 तथा स्थानीय स्तर पर की गई जांच में 331, चोरी के प्रकरण बनाये गये हैं. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित राजनांदगांव जिले के 853 प्रकरणों में पेनाल्टी अधिरोपित की गई है. विद्युत चोरी के प्रकरणों को रिब्यू कमेटी के समक्ष रखने का नियम नहीं है. उक्त 853 प्रकरणों में सम्मिलित 10 उपभोक्ताओं के आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण कर मांग की गई राशि कम की गई है.

#### पायका योजनांतर्गत क्रय किए गए सामग्री का भौतिक सत्यापन

21. (\*क्र. 1291) **श्री मोहन मरकाम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पायका योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में किन पायका केन्द्रों के लिए कितनी लागत से कौन सी सामग्रियों का क्रय किस स्तर से किया गया ? सामग्री प्रदायित संस्था का नाम सहित विवरण दिया जाए ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार क्या क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो किस स्तर से व किसके द्वारा ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) पायका योजनांतर्गत, प्रश्नाधीन अवधि में सामग्रियों का क्रय आदेश संचालनालय स्तर से जारी किया गया है. सामग्री प्रदायित संस्था, सी.एस.आई.डी.सी. है. अन्य विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में हैं. (ख) सामग्री का प्रदाय, शासकीय उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया गया है तथा संबंधित संस्था के प्रधान पाठक, प्राचार्य द्वारा सामग्री मिलान कर पावती दी गई है.

विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग और बिलिंग की जांच

22. (\*क्र. 2373) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मीटर रीडिंग व बिलिंग की निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? (ख) क्या उपभोक्ताओं के मीटर की प्रतिमाह नियमित जांच एवं रीडिंग होती है यदि नहीं, तो बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? विभाग द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उपभोक्ता के मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु निर्धारित मापदण्ड † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग प्रतिमाह की जाती है. प्रतिमाह जांच करने के नियम नहीं हैं. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग से संबंधित शिकायत की संख्या और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी निम्नानुसार है :—

रीडिंग में त्रुटि से संबंधित शिकायत		बिलिंग में त्रुटि से संबंधित शिकायत	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	रीडिंग में सुधार किया गया	प्राप्त शिकायतों की संख्या	बिल में सुधार किया गया
2,692	2,057	1,735	993

विधान सभा क्षेत्र डौणडीलोहरा में मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण की स्वीकृति

23. (\*क्र. 643) **श्रीमती अनिला भेंड़िया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौणडीलोहरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-2016, 2016-2017 में मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण के तहत कितने कार्यों में विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कितने ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? (ख) कितने ग्राम विद्युतीकरण के लिये शेष हैं कब तक किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजनांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में डौणडीलोहरा विधान सभा क्षेत्र के 26 ग्रामों में उक्त योजना के मापदण्ड अनुसार गली विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं. उक्त ग्रामों में से 24 ग्रामों में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित 26 ग्रामों में से केवल 2 ग्रामों में स्वीकृत किये गये विद्युतीकरण कार्य शेष है, जिन्हें माह मार्च 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.

जिला कोरबा में सामूहिक विवाह के हितग्राहियों को प्रदत्त उपहार

24. (\*क्र. 1793) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला में वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक सामूहिक विवाह के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदकों को पात्र व कितने अपात्र घोषित किए गए ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) पात्र हितग्राहियों को विभाग द्वारा क्या-क्या उपहार प्रदान किए गए तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा विद्युत चोरी के दर्ज प्रकरण

25. (\*क्र. 1909) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. विभाग द्वारा 2015-16, 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 की स्थिति के उड़नदस्ता (सतर्कता) दल ने कितने विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज किये ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” अनुसार उल्लेखित परीक्षण उपरांत उपभोक्ता से पेनाल्टी राशि की मांग की गई ? इनमें से कितने प्रकरणों को रिव्यु कमेटी में रखा गया ? कितने प्रकरण पर राशि कम की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में केशकाल विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सतर्कता दल द्वारा विद्युत चोरी के 26 प्रकरण बनाये गये हैं. विकासखण्डवार चोरी के प्रकरण की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	विद्युत चोरी के प्रकरणों की संख्या
1.	केशकाल	12
2.	बड़ेराजपुर	13
3.	फरसगांव	1

(ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित सभी प्रकरणों में संबंधित उपभोक्ताओं से पेनाल्टी राशि की मांग की गई है. विद्युत चोरी के प्रकरणों को रिब्यू कमेटी के समक्ष रखने के नियम नहीं हैं. उल्लेखित प्रकरणों में राशि कम नहीं की गई है.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### विकासखण्ड छिन्दगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट का संचालन

1. (क्र. 99) **श्री कवासी लखमा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सुकमा के विकासखण्ड छिन्दगढ़ में रेडी-टू-ईट का संचालन किन-किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ? (ख) क्या वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में रेडी टू ईट सामग्री आपूर्ति में कटौती की गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) रेडी टू ईट सामग्री आपूर्ति की मात्रा वर्षवार निर्धारित नहीं है अपितु समय-समय पर हितग्राहियों की संख्या के अनुसार प्रदाय आदेश दिया जाता है. अतः कटौती का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2. (क्र. 644) **श्रीमती अनिला भेड़िया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 में सौर ऊर्जा संयंत्र कितने ग्रामों में लगाई गई है ? कितने ग्रामों में अब तक नहीं लग पाया है ? (ख) सौर ऊर्जा के लिए विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ? कितने चालू स्थिति में हैं ? कितने बंद हैं ? (ग) शेष ग्राम में सौर ऊर्जा नहीं लग पाने का क्या कारण है ? कब तक लगाई जावेगी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी ग्राम में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है. लेकिन "डिस्ट्रीक्ट मिनरल फण्ड" से स्वीकृत राशि से 75 ग्रामों के मजरा टोलों में 326 नग सोलर होम लाइट की स्थापना लंबित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है. लेकिन सोलर होमलाइट के लिए क्रेडा द्वारा विधान सभा डौण्डीलोहारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित ग्राम सुकड़ीगुहान तथा ग्राम पंचायत नलकसा के आश्रित ग्राम नारंगसुर में राशि रुपये 12,24,000/- के व्यय पर 80 नग सोलर होम लाइट्स स्थापना की गई है. उक्त 80 नग सोलर होम लाइट में से 77 चालू हैं एवं 03 बंद हैं. (ग) विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के 75 ग्रामों के मजरा-टोला में "डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड" से स्वीकृत राशि अनुसार 326 नग सोलर होम लाइट की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है. उक्त सभी 326 सोलर होम लाइट की स्थापना दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.

### विधान सभा बिलाईगढ़ में क्रेडा द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण

3. (क्र. 972) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से कितने गांवों को विद्युतीकृत कर लाभान्वित किया गया है ? वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 से 31 जनवरी 2017 में किन-किन गांवों को सौर ऊर्जा से लाभान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में सोलर हैण्डपंप सुविधाएं किन-किन ग्राम पंचायतों में दी गई है ? वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 से 31 जनवरी 2017 की कार्य योजना में लाभान्वित होने वाले ग्राम पंचायतों के नाम बताइये ? (ग) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में कौन-कौन से गांव विद्युत विहीन है ? उन्हें कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से 12 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया. प्रश्नाधीन अवधि में 01 ग्राम यथा "बार" में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित सोलर हैंड पम्प की ग्राम पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल 345 ग्रामों में से 333 ग्राम में परम्परागत विद्युत से तथा शेष 12 ग्राम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किये गए. बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 04 ग्रामों यथा बार, लोरिदखार, छतालडबार एवं आमगांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के, खराब/चोरी, हो जाने के कारण उक्त 04 ग्राम विद्युतविहीन हैं, जिन्हें मार्च 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है.

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में अकुशल श्रमिकों की कुशलता हेतु आयोजित कार्यक्रम

4. (क्र. 975) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में श्रम विभाग अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की कुशलता हेतु क्या-क्या कार्यक्रम वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आयोजित किये गये एवं कितने श्रमिकों का कुशलता उन्नयन किया गया ? (ख) बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत कुशलता उन्नयन हेतु उक्त अवधि में कब-कब किस-किस कार्य क्षेत्र हेतु कार्यशाला आयोजित की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अकुशल श्रमिकों से कुशल श्रमिकों की उन्नयन संख्या विकासखण्डवार बतायें ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण संचालित किये गये जिसमें 598 श्रमिकों का कौशल उन्नयन किया गया है। ट्रेडवार प्रशिक्षित श्रमिकों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाई गई है। (ख) उक्त अवधि में कौशल उन्नयन संबंधी कोई कार्यशाला आयोजित नहीं किये जाने से राशि व्यय नहीं की गई है। (ग) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या विकासखण्डवार † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाई गई है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रदाय

5. (क्र. 1015) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को दिसम्बर 2016 की स्थिति में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन सहित अन्य सहायता राशि शासन की ओर से प्रदान किया जाता है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : रामपुर विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं से दिसम्बर, 2016 की स्थिति में 9,325 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 853 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, 3,679 हितग्राहियों को सुखद सहारा योजना, 1,962 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, 13,440 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कुल 29,259 हितग्राहियों को पेंशन तथा 125 हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि विभाग की ओर से प्रदान की गयी है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत कराई यात्राएं एवं व्यय

6. (क्र. 1016) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र रामपुर के कितने तीर्थयात्रियों को वर्ष 2015 से दिसम्बर 2016 तक कहां-कहां तीर्थयात्रा करायी गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) तीर्थयात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है ? उक्त कार्य में कितना व्यय हुआ ? (ग) आगामी तीर्थयात्रा हेतु कितने आवेदन शासन स्तर पर प्राप्त हो चुके हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अंतर्गत वर्ष 2015 से दिसम्बर 2016 तक विधान सभा क्षेत्र रामपुर के 1227 तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा करायी गई। विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है। (ख) तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है। उक्त कार्य में राशि रुपये 1,23,41,274/- व्यय हुआ है। (ग) आगामी तीर्थयात्रा हेतु 391 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत तीर्थयात्रियों को कराई गई यात्रा

7. (क्र. 1049) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार के कुल कितने तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अंतर्गत कहां-कहां यात्रा कराई गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है ? उक्त अवधि में तीर्थयात्रा में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) वर्ष 2016-17 में ( जनवरी 2017 तक) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार के कुल 520 तीर्थयात्रियों को यात्रा कराई गई है. विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. उक्त अवधि में तीर्थयात्रा में राशि रुपये 57,28,384/- व्यय हुआ.

विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

8. (क्र. 1053) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? उसमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है ? (ख) यदि हां तो भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कब तक भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है ? (ग) क्या सभी भवनयुक्त आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों में अहाता निर्मित है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 285 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, उसमें से 88 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन है. (ख) स्वयं के भवन विहीन 88 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 61 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं, 27 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किया जाना शेष है. स्वयं के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के प्रयास हैं, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) 169 आंगनबाड़ी भवनों हेतु अहाता निर्माण स्वीकृत है जिसमें से 147 आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्मित है एवं 22 भवनों में अहाता निर्माणाधीन है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण

9. (क्र. 1243) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में जिला प्रशासन ( श्रम) द्वारा कितने जन समस्या निवारण शिविर कब-कब व कहाँ लगाए गए ? (ख) आयोजित शिविरों में कुल कितने आवेदन तथा शिकायत प्राप्त हुए ? (ग) क्या प्राप्त समस्त शिकायतों व आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में जिला प्रशासन ( श्रम) द्वारा 06 जनसमस्या निवारण शिविर लगाए गए. शिविर स्थल एवं तिथि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) आयोजित शिविरों में कुल 02 आवेदन प्राप्त हुए तथा कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुए. (ग) प्राप्त समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया है. शिकायत प्राप्त नहीं होने से निराकरण करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

ग्राम बस्तर में स्वीकृत खनि पट्टा के शर्तों का पालन तथा खदानों का निरीक्षण

10. (क्र. 1473) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील जगदलपुर के ग्राम बस्तर में किस-किस संस्था/फर्म/व्यक्ति को लाईम स्टोन, मार्बल, अन्य सह खनिज ( डायमेशन स्टोन) खनिपट्टा कितने हेक्टेयर में कितनी-कितनी अवधि के लिये किन-किन शर्तों के तहत स्वीकृत किया गया है ? नाम एवं डायरेक्टर के नाम एवं पता सहित जानकारी दें. (ख) क्या खनन किये जाने वाले मार्बल/स्टोन के कटिंग तथा पॉलिशिंग का कार्य शर्तों/अनुबंध के तहत स्थानीय स्तर पर ही किया जाना है ? यदि हां तो क्या तत्संबंधी शर्तों का पालन संबंधित संस्थान द्वारा सुनिश्चित कर कार्य सम्पादित किया जा रहा है ? शर्तों के पालन होने संबंधी निरीक्षण का कार्य वर्ष 2014 से फरवरी 2017 तक कब-कब किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया ? (ग) वर्ष 2014 से जनवरी 2017 अवधि में संबंधित संस्थान द्वारा कुल कितनी-कितनी मात्रा में खनिज का खनन किया गया है एवं कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति की गई है ?

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां. पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र में कटिंग यूनिट लगाया गया है तथा पालिशिंग यूनिट की स्थापना हेतु लीज क्षेत्र के बाहर 6.55 हेक्टेयर की भूमि क्रय की गई है. जिसमें पालिशिंग यूनिट की स्थापना प्रक्रियाधीन है. वर्ष 2014 से फरवरी 2017 तक की अवधि में प्रश्नांश (क) की खदान का निरीक्षण किये जाने का दिनांक एवं निरीक्षणकर्ता का पद नाम की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 एवं 7 पर दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 8 एवं 9 पर दर्शित है.

मानपुर मोहला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रमिकों के पंजीयन के प्राप्त आवेदन

11. (क्र. 1866) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मानपुर, मोहला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान श्रमिकों के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में कितने प्रकरणों में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : मानपुर, मोहला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु 848 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 284 प्रकरणों में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत 573 असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 504 प्रकरणों में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय कर वितरण हेतु स्वीकृत राशि

12. (क्र. 1910) **श्री संतराम नेताम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोन्डागांव अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 में श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में प्रदान की गई है ? (ख) प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि से किस-किस कार्य हेतु कब-कब, कहां-कहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एवं कितनी राशि व्यय की गई है ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) जिला कोन्डागांव अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 में श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास योजना के तहत राशि रुपये 1,25,47,350 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदाय किया गया है. सामग्री क्रय का प्रावधान नहीं होने से सामग्री क्रय हेतु आवंटन नहीं किया गया है. (ख) प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि से निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु चलाये गये प्रशिक्षण कोर्स में 1,31,94,597 राशि व्यय की गई है. प्रशिक्षण का विवरण तिथिवार, स्थानवार † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है.

प्रदेश में मजदूर बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा निगम को किया गया भुगतान

13. (क्र. 2052) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा निगम को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में कितने प्रकरणों में कितनी राशि का भुगतान किया गया ? जिलेवार जानकारी देवें.

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना संचालित नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ एवं बलौदा विकासखण्ड में गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी का आवंटन

14. (क्र. 2087) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ एवं बलौदा में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में गौण खनिज से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) उक्त रायल्टी में कितनी-कितनी राशि नवागढ़ एवं बलौदा विकासखण्ड के कितने ग्रामों में किस मद में आवंटित की गई है ?

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ एवं बलौदा में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में गौण खनिज से कुल राशि रुपये 24 करोड़ 73 लाख 13 हजार 356/- की रायल्टी प्राप्त हुई है. वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त रायल्टी में वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक विकासखण्ड नवागढ़ के 19 ग्रामों के लिए राशि रुपये 150.41 लाख एवं विकासखण्ड बलौदा के 42 ग्रामों के लिए राशि रुपये 1160.23 लाख विभिन्न विकास कार्यों के मद में व्यय हेतु पंचायतों को आवंटित की गई है.

प्रदेश में बाल संप्रेषण गृह का संचालन

15. (क्र. 2142) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने बाल संप्रेषण गृह का संचालन किया जा रहा है ? (ख) बाल संप्रेषण गृह के संचालन हेतु विगत 02 वित्तीय वर्ष में कितना आवंटन प्रदाय किया गया एवं कितना व्यय किया गया ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) वर्तमान में प्रदेश में 10 बाल संप्रेषण गृह संचालित है. (ख) बाल संप्रेषण गृहों के संचालन हेतु विगत दो वित्तीय वर्ष (2014-15 एवं 2015-16) में कुल राशि रुपये 8,42,76,295/- (आठ करोड़ बयालीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ पनचान्बे रुपये) का आवंटन प्रदाय किया गया एवं राशि रुपये 7,38,02,617/- (सात करोड़ अड़तीस लाख दो हजार छः सौ सत्रह रुपये) व्यय किया गया.

महासमुंद जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत विवाह में व्यय राशि

16. (क्र. 2212) **श्री रामलाल चौहान** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महासमुंद जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 31 जनवरी 17 की स्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने जोड़ों का विवाह कराया गया और इसमें कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? कृपया आयोजन स्थलवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : महासमुंद जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 197 जोड़ा, वर्ष 2016-17 में 31 जनवरी 2017 की स्थिति में 113 जोड़ा कुल 310 जोड़ों का विवाह कराया गया. जिसमें कुल राशि 46,50,000/- रुपये खर्च की गई. आयोजन स्थलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट है.

मंत्रालयीन सेवा में नई भर्ती एवं रिक्त पद

17. (क्र. 2238) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंत्रालय के पदस्थापना में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ? इनमें से सचिव स्तर के कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? नाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के संस्थान में क्या वर्ष 2016-17 में नए कर्मचारियों की मंत्रालयीन सेवा में भर्ती की गई है ? अगर हां, तो किस-किस संवर्ग के और वर्तमान में कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) मंत्रालय के पदस्थापना में कुल 1199 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं. इनमें से सचिव स्तर के 19 अधिकारी कार्यरत हैं. नाम सहित ब्यौरा प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. (ख) जी हां. वर्ष 2016-17 में मंत्रालयीन सेवा में की गई भर्ती की संवर्गवार जानकारी एवं वर्तमान में रिक्त संवर्गवार पदों की संख्या प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है.

प्रदेश में कोयला उत्खनन हेतु आवंटित भूमि

18. (क्र. 2268) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से प्रदेश में किन-किन इकाई/कंपनी को कोयला उत्खनन के लिए कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां पर कब से ? लीज पर दी गई है ? (ख) उक्त इकाई/कंपनियों में किन-किन की छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वयं की औद्योगिक इकाई नहीं है ? तथा इन्हें किन नियमों के तहत खनन लीज पर दी गई है ? (ग) कंडिका (क) की खदानों से वर्ष 2010 से शासन को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? यह सही है कि 31 जनवरी 2017 की स्थिति में कंपनियों से रायल्टी की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-7 पर दर्शित है. उक्त इकाई/कंपनियों को कोल माईन्स (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 2015, एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 तथा इन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत खनन लीज दी गई है. (ग) उक्त खदानों से वर्ष 2010 से दिनांक 31-01-2017 तक कुल 211 करोड़ 33 लाख 60 हजार 5 सौ 95 रुपये रायल्टी प्राप्त हुई है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-8 पर दर्शित है. 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में कंपनियों से कोई रायल्टी लेना बकाया नहीं है.

विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत ग्रामों में लो-वोल्टेज की शिकायतों पर कार्यवाही

19. (क्र. 2274) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किन-किन ग्रामों में लो-वोल्टेज की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? लो-वोल्टेज होने के क्या कारण हैं ? (विकासखण्डवार जानकारी दी जावे)।

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के 11 ग्रामों में लो-वोल्टेज संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त ग्रामों के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) उत्तरांश “क” में उल्लिखित 11 ग्रामों में लो-वोल्टेज की शिकायत के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। लो-वोल्टेज के मुख्य कारण निम्नानुसार है :-

1. निम्नदाब लाईन की लंबाई अधिक होना।
2. फीडर में विद्युत का लोड अधिक होना।
3. विद्युत लाईन में रिएक्टिव लोड अधिक होना।

प्रदेश में कुपोषित बच्चे को सुपोषित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही

20. (क्र. 2275) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में माह जनवरी 2017 तक कुल कितने बच्चे कुपोषित पाये गये हैं ? (जिलेवार जानकारी दी जावे)। (ख) बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में क्या कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. केन्द्र में भर्ती कराया गया है ? यदि हां तो कितने व कहां-कहां के बच्चों को एन.आर.सी. केन्द्र में भर्ती कराया गया है ? (जिलेवार परियोजनावार जानकारी दी जावे)। (ग) कुपोषित से सुपोषित किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही है ? (विस्तृत जानकारी देवें ?)

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में लंबित प्रकरण

21. (क्र. 2280) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2017 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस अपराध के प्रकरण राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कब-कब से किन-किन कारणों से लंबित है ? (ख) उपरोक्त में से किनके-किनके प्रकरण कब-कब सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं ? (ग) 01 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2017 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत प्रकरण भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को कब-कब प्रेषित किये गये हैं ? (घ) उक्त प्रकरणों में भारत सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) 01 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2017 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “क” के परिशिष्ट में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। (ग) 01 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2017 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों डॉ. आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टुटेजा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की अनुमति हेतु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को दिनांक 18-07-2015 को पत्र भेजा गया था। (घ) प्रश्नांश “ग” में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 04-07-2016 को प्राप्त हुई है।

पॉवर कंपनियों में डायरेक्टरों के स्वीकृत/रिक्त पद

22. (क्र. 2305) **श्री बृहस्पति सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ऊर्जा विभाग में पॉवर कंपनियों के डायरेक्टरों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं ? जनवरी, 2017 की स्थिति में कितने पद भरे हैं एवं कितने कब से रिक्त हैं ? (ख) प्रश्नांश

“क” के अनुसार रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया ? यदि हां तो कितने प्रतिभागियों ने आवेदन किया ? (ग) चयन का मापदण्ड क्या था तथा कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी को छोड़कर उत्तरांश (क) के अन्य 03 कंपनियों में डायरेक्टर के रिक्त पद पर, चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पत्र क्रमांक 1214/एफ 21/01/2016/13/2 दिनांक 31-03-2016 से जारी विज्ञापन को पत्र क्रमांक 1554/एफ 21/01/2016/13/2 दिनांक 10-05-2016 द्वारा निरस्त करने के उपरांत पत्र क्रमांक 2497/एफ 21/01/2016/13/2 दिनांक 11-08-2016 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया तथा उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कंपनीवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) चयन के लिए आयु सीमा, मापदण्ड की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. प्राप्त आवेदनों में से 03 प्रतिभागियों का चयन किया गया है.

#### प्रदेश में बिजली बिल की वसूली का लक्ष्य

23. (क्र. 2306) **श्री बृहस्पत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एक करोड़ रुपये से अधिक बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ताओं की संख्या 15 फरवरी, 2017 की स्थिति में कितनी है ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार उपभोक्ताओं की बकाया राशि वसूली के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में 15 फरवरी 2017 की स्थिति में 1 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वाले 61 उपभोक्ता हैं. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लिखित उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए की जा रही कार्रवाई का उपभोक्तानुसार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

#### जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लिए गए रेडी टू ईट के नमूने की जांच

24. (क्र. 2313) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से रेडी टू ईट के कितने नमूने वर्ष 2015-16 से 31 जनवरी, 2017 तक के दौरान जांच हेतु लिए गए ? (ग) कितने नमूने स्तरहीन पाये गये ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 471 नमूने जांच हेतु लिए गए. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जांच हेतु लिए गए नमूनों में से 24 नमूनों में प्रोटीन की मात्रा आंशिक रूप से कम पाई गई है.

#### कबीरधाम जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण

25. (क्र. 2335) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन का निर्माण हो चुका है ? कितने शेष हैं ? कितने केन्द्रों में अहाता निर्माण पूर्ण है तथा कितने शेष हैं ? (ख) जिले में कितने नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ? जानकारी विकासखंडवार दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कबीरधाम जिले के अंतर्गत 1549 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 1506 भवनों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 1355 आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवनों का निर्माण हो चुका है, 151 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण शेष है. 981 आंगनबाड़ी भवनों हेतु अहाता स्वीकृत है जिसमें से 861 आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्माण पूर्ण है तथा 120 आंगनबाड़ी भवनों हेतु अहाता निर्माण शेष है. (ख) नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं. विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

प्रदेश में सौर सुजला योजना के तहत हितग्राहियों को अनुदान

26. (क्र. 2349) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के किन-किन जिलों में किया जा रहा है ? (ख) योजना के तहत हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया जाता है ? एवं अलग-अलग वर्ग के हितग्राहियों को कितना अंशदान स्वयं जमा करना होता है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी 27 जिलों में किया जा रहा है. (ख) सौर सुजला योजना के तहत दिए जाने अनुदान एवं अलग-अलग संवर्ग के हितग्राहियों द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

1. (क्र. 168) **श्री चिन्तामणी महाराज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में एवं कितने निजी भवन में संचालित हैं ? (ग) क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवन से संचालित करने की योजना है ? यदि हां तो कब तक ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में कुल 580 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) 336 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के शासकीय भवन में, 24 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में, 213 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 07 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन में संचालित हैं। (ग) समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन उपलब्ध कराने के प्रयास निरंतर किया जाता है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरण

2. (क्र. 221) **श्री संतोष बाफना** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को पेंशन वितरण किया गया ? (ख) दिनांक 15 फरवरी 2017 की स्थिति में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजनाओं के तहत कितने पेंशन प्रकरण लंबित हैं ? इनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विगत तीन वित्तीय वर्ष में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वितरित पेंशन राशि के हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या		
		2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7707	6530	6558
2.	सुखद सहारा योजना	2776	2736	2642
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5652	5390	5344
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1702	1861	1887
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	184	535	671
<b>योग</b>		<b>18021</b>	<b>17052</b>	<b>17102</b>

(ख) दिनांक 15 फरवरी, 2017 की स्थिति में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत उक्त पेंशन योजनाओं में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बस्तर जिला में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण

3. (क्र. 224) **श्री संतोष बाफना** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या है तथा कहां-कहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण तथा विद्युत की आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला बस्तर में 28 ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या हैं. इन 28 ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु 17 ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत कार्य, 08 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु तथा 02 ग्राम में 01 फेस से 03 फेस तार में परिवर्तन करने तथा 01 ग्राम में ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तन करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है. लो वोल्टेज के समस्या के निराकरण की विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित 28 ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

विकासखंड नगरी एवं मगरलोड में श्रवण बाधित एवं पैर से निःशक्तों को ट्रायसिकल एवं श्रवण यंत्र का वितरण

4. (क्र. 519) **श्री श्रवण मरकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड नगरी एवं मगरलोड जिला धमतरी में दिसम्बर 2016 की स्थिति में कितने श्रवण बाधित एवं पैर से निःशक्त हैं ? (ख) उक्त विकासखंडों में वर्ष 2013-14 से 31 दिसम्बर 2016 तक कितने निःशक्तजनों को ट्रायसिकल एवं श्रवण यंत्र प्रदान किये गये हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विकासखंड नगरी एवं मगरलोड में दिसम्बर, 2016 की स्थिति में निम्नानुसार श्रवण बाधित एवं पैर से निःशक्त हैं-

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	श्रवण बाधित (3)	पैर से निःशक्त (4)	योग (5)
1.	नगरी	223	627	850
2.	मगरलोड	109	331	440
<b>योग</b>		<b>332</b>	<b>958</b>	<b>1290</b>

(ख) विकासखंड नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2013-14 से 31 दिसम्बर, 2016 तक निम्नानुसार ट्रायसायकल एवं श्रवण यंत्र प्रदान किये गये हैं-

क्र.	वर्ष	नगरी		मगरलोड		योग	
		ट्रायसायकल (3)	श्रवण यंत्र (4)	ट्रायसायकल (5)	श्रवण यंत्र (6)	ट्रायसायकल (7)	श्रवण यंत्र (8)
1.	2013-14	39	22	45	13	84	35
2.	2014-15	122	28	40	21	162	49
3.	2015-16	129	67	96	26	225	93
4.	2016-17	83	52	92	37	175	89
<b>योग</b>		<b>373</b>	<b>169</b>	<b>273</b>	<b>97</b>	<b>646</b>	<b>266</b>

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में संचालित मुरूम खदान

5. (क्र. 591) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां मुरूम खदान हैं ? रकबे सहित जानकारी दी जावे ? (ख) वर्ष 2016-17 में उक्त मुरूम स्थान/खदान से अवैध उत्खनन तथा परिवहन के कितने प्रकरण बनाए गए हैं ? वाहन सहित स्थानवार जानकारी दी जावे ? उक्त अवधि में शासन को कितने की रायल्टी प्राप्त हुई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में मुरूम की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है, अपितु 18 स्थानों पर तालाब गहरीकरण एवं खेत निर्माण से प्राप्त मुरूम के परिवहन की अनुमति दी गई है. ग्रामवार एवं रकबे सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) वर्ष 2016-17 में उक्त क्षेत्र से अवैध उत्खनन का 01 प्रकरण ग्राम रहंगी में दर्ज किया जाकर रुपये 2,50,000 समझौता राशि वसूल किया गया. अवैध परिवहन के 07 प्रकरण दर्ज किया जाकर रुपये 47,400 समझौता राशि वसूल किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. प्रश्नाधीन अवधि में उक्त स्थानों से मुरूम परिवहन पर रायल्टी के रूप में रुपये 32,68,000 राशि प्राप्त हुई.

जिला रायगढ़ में सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण

6. (क्र. 615) **श्री रोशनलाल अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में नवम्बर 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने किसानों को कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन दिया गया है ? (ख) रायगढ़ जिले में कृषकों को सिंचाई पंपों में विद्युतीकरण हेतु 31-1-2017 की स्थिति में कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु कुल 6,625 विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है. (ख) दिनांक 31-01-2017 की स्थिति में रायगढ़ जिले में कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु 591 आवेदन लंबित हैं जिनमें से 416 विद्युत लाइन विस्तार हेतु लंबित है जिन्हें माह जून 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है एवं 175 कार्य आवेदकों द्वारा औपचारिकतापूर्ण नहीं किये जाने के कारण लंबित है, अतः समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में सिंचाई हेतु पंपों हेतु विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

7. (क्र. 657) **श्रीमती अनिला भेंडिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक सिंचाई पंपों के विद्युत कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने आवेदनों का निराकरण (कनेक्शन दिया गया है) किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी देवें. (ख) अनिराकृत आवेदनों का निराकरण कब तक करा लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत कनेक्शन सिंचाई पम्प हेतु कुल 808 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों में से 651 की स्वीकृति उपरांत 517 आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है. विकासखंडवार, वर्षवार प्राप्त आवेदन, कार्यपूर्ण एवं लंबित आवेदनों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित लंबित प्रकरणों में से लाइन विस्तार हेतु लंबित 134 प्रकरणों को जून 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है तथा 67 प्रकरणों में आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण इन प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा, की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन

8. (क्र. 959) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 से जनवरी 2017 की स्थिति में विभाग में विद्युत आपूर्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये ? (ख) प्राप्त आवेदन पत्र में कितने में स्वीकृति दी गई एवं कितने लंबित हैं तथा लंबित होने के क्या कारण हैं एवं कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को विभिन्न श्रेणी में विद्युत कनेक्शन हेतु कुल 1,877 आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) सभी 1,877 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है. इनमें से 1780 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष 97 कार्यों में से 73 कार्य विद्युत लाइन विस्तार हेतु लंबित है, जिन्हें माह जून 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है एवं 24 कार्य आवेदकों द्वारा औपचिकतापूर्ण नहीं किये जाने के कारण लंबित है, अतः समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

जिला रायगढ़ में आंगनबाड़ी गुणवत्ता अभियान के तहत प्रावधानित राशि

9. (क्र. 960) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी गुणवत्ता अभियान के तहत कब, कितने कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया ? विकासखंडवार जानकारी दें। (ख) आंगनबाड़ी गुणवत्ता अभियान हेतु वर्ष 2015-2016 से जनवरी, 2017 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कितना व्यय किया गया ? विकासखंडवार जानकारी दें। (ग) कुपोषित बच्चों हेतु पोषण आहार/दूध की आपूर्ति किस-किस कंपनी/संस्था से की गई ? दर सहित जानकारी दें। (घ) कुपोषण दूर करने हेतु कब तक का लक्ष्य रखा गया है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार है। (ग) पूरक पोषण आहार की आपूर्ति स्व सहायता समूहों द्वारा तथा दूध की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा की जा रही है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3, 4 तथा 5 अनुसार है। (घ) कुपोषण के स्तर में कमी लाने हेतु सतत् विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) के तहत वर्ष 2030 तक कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य चिन्हांकित किया गया है।

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या की प्राप्त शिकायतें

10. (क्र. 994) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने गांवों में लो-वोल्टेज की समस्या से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई ? उसे दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ख) कितने गांव में विद्युतीकरण करना शेष है ? कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? (ग) पंप कनेक्शन के कितने प्रकरण शेष है ? उसे कब तक पूरा किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 29 ग्रामों में लो वोल्टेज की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या की निराकरण के लिये किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कार्य संक्षेप में	मात्रा	ग्रामों की संख्या
1.	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना	18 नग	18
2.	ट्रांसफार्मर को लोड सेंटर पर शिफ्ट करना	6 नग	6
3.	विद्यमान कंडक्टर को सुदृढ़ करना	900 मीटर	1
4.	विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि	4 नग	4

(ख) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल 345 ग्रामों में से 333 ग्राम में परम्परागत विद्युत से तथा शेष 12 ग्राम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किये गये। बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 4 ग्रामों यथा बार, लोरिदखार, छताल (छतालडबरा) एवं आमगांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के, खराब/चोरी, हो जाने के कारण उक्त 04 ग्राम विद्युतीविहीन हैं, जिन्हें मार्च 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। (ग) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सिंचाई पंप के विद्युत कनेक्शन के 4 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें मार्च 2017 तक जारी करने का लक्ष्य है।

विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

11. (क्र. 1123) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कृपया विकासखंडवार बतायें ? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये भवन उपलब्ध है ? कितने भवन विहीन हैं ? (ग) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? नवीन भवन विभाग द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 325 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 284 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये स्वयं के भवन उपलब्ध हैं। 41 आंगनबाड़ी

स्वयं के भवन विहीन है. (ग) 10 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है. स्वयं के भवन विहीन 41 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें से 18 भवन पूर्ण हैं जो विभाग को हस्तांतरित होना शेष है, 23 भवन निर्माणाधीन हैं. निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास हैं, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

12. (क्र. 1168) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना के अन्तर्गत अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को भ्रमण हेतु 2016-17 से 31-01-2017 तक कहां-कहां भेजा गया ? (ख) मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 31-01-2017 में प्रत्येक भ्रमण में कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा स्वीकृति की जाती है एवं हितग्राहियों को भ्रमण के दौरान क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 31-01-2017 तक अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के 220 तीर्थयात्रियों को भ्रमण कराया गया है. यात्रा का विवरण प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के लिये विभाग द्वारा प्रत्येक भ्रमण हेतु पृथक-पृथक राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है. हितग्राहियों को भ्रमण के दौरान उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं एवं उस पर व्यय की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुरूम खनन हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति

13. (क्र. 1260) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2015-16 एवं 2016-17 में 30 जनवरी, 2017 की स्थिति में कहां-कहां कितने रकबे पर किस-किस फर्म/एजेंसी/व्यक्ति को कितनी समयावधि के लिये मुरूम खदान संचालन हेतु अनुज्ञप्ति तथा लीज प्रदान की गयी है ? (ख) वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुरूम खुदाई से कुल कितने राशि की रॉयल्टी प्राप्त हुई है ? (ग) क्या उक्त अवधि में अवैध मुरूम खनन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2015-16 एवं 2016-17 में 30 जनवरी 2017 तक किसी भी फर्म/एजेंसी/व्यक्ति को मुरूम खदान संचालन हेतु अनुज्ञप्ति तथा लीज प्रदान नहीं की गई है. अपितु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत तालाब गहरीकरण तथा खेत निर्माण कार्य के दौरान प्राप्त गौण खनिज मुरूम को अग्रिम रायल्टी जमा कराया जाकर, परिवहन हेतु दी गई अनुमति की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में 30 जनवरी, 2017 तक आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तालाब गहरीकरण तथा खेत निर्माण कार्य के दौरान गौण खनिज मुरूम के परिवहन से कुल 57 लाख 49 हजार 60 रुपये रायल्टी राशि के रूप में प्राप्त हुई है. (ग) जी हां. दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड/समझौता राशि वसूल की गई.

आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रदत्त एकल बत्ती कनेक्शन

14. (क्र. 1261) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने घरों में एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन दिया गया है ? (ख) क्या सभी एकल बत्ती कनेक्शन पर मीटर लगाया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कनेक्शन की संख्या कितनी है तथा इनके लिये मीटर कब तक लगा लिया जावेगा ? (ग) जिन घरों में मीटर नहीं लगा है, वहां बिल निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र आरंग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के द्वारा दिनांक 31-01-2017 तक 8,150 घरों में एकलबत्ती (बी. पी. एल.) विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है. (ख) जी हां. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 की कंडिका 8.1 में निहित प्रावधान के तहत मीटर लगाये बिना कनेक्शन जारी करने का प्रावधान नहीं है. अतः उक्त प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

जिला कोण्डागांव अंतर्गत नारंगी व अन्य नदियों में रेत उत्खनन से प्राप्त रायल्टी

15. (क्र. 1301) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत नारंगी व अन्य नदियों में रेत उत्खनन हेतु वर्ष 2016-17 में कितनी-कितनी मात्रा में पीट पास कितने-कितने घन मीटर मात्रा के लिए खनिज विभाग द्वारा जारी किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित रेत खदानों में से एवं उक्त अवधि में वास्तविक उत्खनन एवं परिवहन की गई मात्रा का स्थल परीक्षण कर सत्यापन रेत की मात्रा तथा वास्तविक रायल्टी की राशि कितनी जमा की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोण्डागांव जिला अंतर्गत केवल नारंगी नदी में ग्राम पंचायत बनियागांव से रेत परिवहन के लिए 14 अभिवहन पास पुस्तिका (प्रत्येक 100 पन्नों में) जारी की गई है। अभिवहन पास जारी करते वक्त मात्रा का उल्लेख नहीं किया जाता है। पर्यावरण सम्मति में निर्धारित मात्रा अनुसार खनिज की निकासी की जाती है। (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित रेत खदान से जनवरी, 2017 तक 11304 घन मीटर रेत का परिवहन किया गया तथा राशि रुपये 2 लाख 26 हजार 80 मात्र, रायल्टी पंचायत के खाते में जमा की गई।

रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

16. (क्र. 1369) **श्री श्रीचंद सुंदरानी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? इनमें से कितनों के स्वयं के भवन हैं ? एवं कितने भवन विहीन हैं ? (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ियों के संचालन की क्या व्यवस्था हैं ? विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रायपुर जिले में रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 110 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, इनमें से 07 आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं एवं 103 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं। (ख) स्वयं के भवन विहीन 103 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 95 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में, 05 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में, 03 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक सहयोग के भवन में संचालित हो रहे हैं। विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 01 आंगनबाड़ी भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नयी दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन के रखरखाव में व्यय राशि

17. (क्र. 1399) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नयी दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन के रखरखाव के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 तक कितनी राशि व्यय की गयी थी ? (ख) छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन में वर्ष 2015-16 और 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 तक कितने अतिथि रूके थे एवं वहां से कितनी आय प्राप्त हुई थी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं छत्तीसगढ़ सदन के रख-रखाव हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रु. 34,08,400/- और 2016-17 में 31 जनवरी 2017 तक राशि रुपये 20,85,825/- का व्यय हुआ है। (ख) छत्तीसगढ़ भवन एवं छत्तीसगढ़ सदन में वर्ष 2015-16 में 3134 अतिथि रूके थे तथा राशि रुपये 30,75,859/- की आय प्राप्त हुई और 2016-17 में 31 जनवरी 2017 तक 2871 अतिथि रूके थे तथा राशि रुपये 56,03,400/- की आय प्राप्त हुई।

जिला बालोद के निःशक्तजनों को प्रदत्त उपकरण

18. (क्र. 1782) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अन्तर्गत कितने निःशक्तजन हैं ? (ख) कितने निःशक्तजनों को ई-यंत्र/ई ट्रायसिकल व अन्य उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बालोद जिला अन्तर्गत 8,603 दिव्यांगजन हैं। (ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा ई-यंत्र/ई ट्रायसायकल वितरण नहीं किया जाता है। बालोद जिला के दिव्यांगजनों को 339 ट्रायसायकल, 36 बैसाखी, 48 व्हील चेयर, 31 श्रवण यंत्र, 06 श्वेत छड़ी, 03 कैलिपर्स शू तथा 02 कृत्रिम पैर कुल 465 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय किए गए हैं।

जिला बालोद के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन की स्वीकृति

19. (क्र. 1783) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? विकासखंडवार बतावें ? (ख) कितने केन्द्रों के लिए आंगनबाड़ी भवन हैं ? कितने केन्द्र किराये से संचालित हैं ? कितने केन्द्र अन्य भवन में संचालित हैं ? विकासखंडवार बतावें ? (ग) उक्त केन्द्रों के लिए कब तक विभाग का भवन स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) बालोद जिले अंतर्गत 1033 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन हैं. 254 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं. 122 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवन में संचालित हैं. (ग) 376 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं, इनमें से 261 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं. 115 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किया जाना शेष है. भवन स्वीकृति हेतु शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृति के प्रयास हैं, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

विधान सभा क्षेत्र बालोद के अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

20. (क्र. 1818) **श्रीमती अनिला भेड़िया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक में बालोद जिला अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास/आश्रम में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) कितने छात्रावास/आश्रम में सौर ऊर्जा संचालित है ? कितने बंद है ?

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक में बालोद जिला अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 04 छात्रावास/आश्रम में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है. इन संयंत्रों की स्थापना में व्यय की गई राशि एवं कार्यशीलता की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” अंतर्गत 04 छात्रावास/आश्रम में स्थापित सभी 04 नग सौर संयंत्र कार्यशील हैं.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

21. (क्र. 1863) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सक्ती विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र/उपआंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : सक्ती विधान सभा क्षेत्र में 310 आंगनबाड़ी केन्द्र/46 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कराई गई तीर्थ यात्राएं

22. (क्र. 1868) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 31 जनवरी, 2017 तक राजनांदगांव जिले के कितने तीर्थयात्रियों को कहां-कहां यात्रा कराई गई ? (ख) उक्त तीर्थ यात्रा में कितना व्यय हुआ ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 31 जनवरी 2017 तक राजनांदगांव जिले के 5706 तीर्थयात्रियों को यात्रा कराई गई है. विवरण परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) उक्त तीर्थयात्रा में राशि रुपये 5,06,91,590/- व्यय हुआ है.

विकासखंड मोहला मानपुर को कुपोषण मुक्त एवं नौजतन योजना के तहत आवंटित राशि

23. (क्र. 1869) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्लॉक मोहला मानपुर में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में महिला बाल विकास विभाग को कुपोषण मुक्त एवं नौजतन योजना के तहत कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ था ? वर्षवार एवं योजनावार जानकारी दें ? (ख) प्राप्त राशि में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) ब्लॉक मोहला व मानपुर में प्रश्नाधीन अवधि में "कुपोषण मुक्त" नामक योजना संचालित नहीं है. नवाजतन योजना के अंतर्गत ब्लॉक मोहला-मानपुर में वर्षवार आवंटन की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

राजनांदगांव जिले में सूखा पीड़ित परिवार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरण

24. (क्र. 1877) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 से 15-2-17 तक महिला बाल विकास विभाग को सूखा पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? उक्त प्रकरण में से कितने की स्वीकृति दी गई है व कितने लंबित है ? विकासखंडवार जानकारी दें. (ख) डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजना के तहत स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित प्रकरण की जानकारी दें ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 से 15-2-17 तक महिला बाल विकास विभाग को सूखा पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कुल 3864 प्रकरण प्राप्त हुए हैं. प्राप्त प्रकरणों में 3769 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं. वर्तमान में कोई प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं. विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजना के तहत 671 प्रकरण स्वीकृत एवं 32 प्रकरण अस्वीकृत किये गये हैं. वर्तमान में कोई प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं. (ग) कोई भी प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं होने के कारण प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है.

जशपुर जिले में खनिज न्यास निधि के तहत प्राप्त आवंटन

25. (क्र. 1901) **श्री रोहित कुमार साय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जशपुर जिले में खनिज न्यास निधि से वर्ष 2015 एवं 2016-17 में कितनी राशि जिले को प्राप्त हुई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : जशपुर जिले में खनिज न्यास निधि से वर्ष 2015-16 में रुपये 7 करोड़ 85 लाख 73 हजार 179/- एवं वर्ष 2016-17 में रुपये 19 करोड़ 65 लाख 16 हजार 539/- कुल राशि 27 करोड़ 50 लाख 89 हजार 718/- रुपये प्राप्त हुआ है.

कोण्डगांव जिले में दृष्टि, श्रवण तथा अस्थिबाधित निःशक्तजनों का पंजीयन

26. (क्र. 1919) **श्री संतराम नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डगांव जिले में 31 जनवरी 2017 तक कितने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व अस्थिबाधित निःशक्तजनों (दिव्यांगों) का पंजीयन हुआ है ? विकासखंडवार जानकारी दें. (ख) अप्रैल 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने दिव्यांगों को श्रवणयंत्र, ट्राईसायकिल व कृत्रिम अंग प्रदान किये गये हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें.

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कोण्डगांव जिले में 31 जनवरी 2017 तक 698 दृष्टिबाधित, 619 श्रवणबाधित व 4793 अस्थि बाधित दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया है. विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

गुरुर में उपकोषालय प्रारंभ किये जाने संबंधी

27. (क्र. 1967) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरुर में उपकोषालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो उपकोषालय कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरुर में उपकोषालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु प्रदत्त राशि

28. (क्र. 2064) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत 01 फरवरी 2017 की स्थिति में कितने महिला एवं पुरुष निःशक्तजनों को चिन्हांकित किया गया है ? विकासखंडवार बताएँ ? (ख) वर्ष 2015-16 से 01 फरवरी, 2017 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजन/निराश्रितों को अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं से प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि में से कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई एवं कितनी राशि शेष है ? योजनावार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जांजगीर चाम्पा जिला अंतर्गत 01 फरवरी, 2017 की स्थिति में 5527 महिला एवं 8690 पुरुष कुल-14217 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है. विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) वर्ष 2015-16 से 01 फरवरी, 2017 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन/निराश्रितों को अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु राशि रुपये 53.17 करोड़ प्राप्त हुई. प्राप्त राशि में से पूर्ण राशि व्यय की गई. कोई राशि शेष नहीं है. योजनावार, विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

जिला बस्तर से श्रमिकों के पलायन के दर्ज प्रकरण

29. (क्र. 2148) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कितने ग्रामीण मजदूरों/श्रमिकों के पलायन के प्रकरण दर्ज हुए ? कितने पलायन मजदूरों/श्रमिकों की अन्य राज्य से वापसी की कार्यवाही की गई ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” अंतर्गत क्षेत्र में पलायन किये मजदूरों/श्रमिकों के रोजगार हेतु कल्याणार्थ योजना का संचालन किया जा रहा है ? यदि हाँ तो किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध करावें ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) जिला बस्तर क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ग्रामीण मजदूरों/श्रमिकों के पलायन के प्रकरण दर्ज नहीं हुए. अतः अन्य राज्य से वापसी की कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला कोण्डागांव में श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि

30. (क्र. 2160) **श्री मोहन मरकाम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में 15 फरवरी 2017 तक श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ? वर्षवार जानकारी दी जाए ? (ख) क्या उक्त वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रदत्त मानदेय की राशि वितरण हेतु लंबित हैं ? यदि हाँ तो कितनी राशि लंबित हैं ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) कोण्डागांव जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में 15 फरवरी 2017 तक श्रमिकों को प्रशिक्षण हेतु कुल रुपये 1,95,47,350 आवंटित की गई. वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सामग्री क्रय का प्रावधान नहीं होने से सामग्री हेतु बजट आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जी हाँ. वर्ष 2014-15, 2015-2016 व 2016-17 में मानदेय हेतु कुल राशि रु. 1,23,94,520 का वितरण लंबित है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खेल मैदान/ स्टेडियम

31. (क्र. 2195) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से जनवरी, 2017 तक कितने खेल मैदान एवं स्टेडियम स्वीकृत किये गये ? उक्त में से कितने अपूर्ण/अप्रारंभ हैं ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में 04 मैदान समतलीकरण एवं 02 स्टेडियम निर्माण स्वीकृत किए गए हैं. उक्त में से 01 स्टेडियम अपूर्ण एवं 01 मिनी स्टेडियम अप्रारंभ है.

विधान सभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत शाकंभरी योजना के तहत किसानों को प्रदाय विद्युत

32. (क्र. 2217) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं जनवरी 2017 की स्थिति में शाकंभरी योजना के तहत कितने किसानों को शासन द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया है ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत धारा प्रवाह हेतु कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये ? इनमें से कितने चालू हालत में हैं ? कितने खराब हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) शाकंभरी योजना अंतर्गत सिंचाई पंप पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं अपितु राज्य शासन से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर प्रश्नाधीन अवधि में, सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 350 सिंचाई पंप कनेक्शन जारी किये गये हैं. (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु 99 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं. दिनांक 01-03-2017 की स्थिति में उक्त सभी ट्रांसफार्मर चालू हालत में हैं.

जिला महासमुंद में युवाओं के कल्याण हेतु शिविर/कार्यक्रमों का आयोजन

33. (क्र. 2218) **श्री रामलाल चौहान** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 31 जनवरी 2017 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए कब-कब एवं कहां-कहां शिविर/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) उक्त शिविर/कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार जानकारी दें ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

प्रदेश में सिंचाई विद्युत पंपों के उपभोक्ता

34. (क्र. 2226) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा सिंचाई विद्युत पंपों की अलग-अलग श्रेणी के [जैसे (1) 3 हा. पा. एवं 5 हा. पा. तक के पंपों में कुल यूनियों की छूट से शेष पर दर (2) फ्लेट रेट प्रति हा. पा. (3) अतिरिक्त पंपों पर पूरी दर (4) अस्थायी कनेक्शन वाली पंप] पंपों पर कौन-कौन सी विद्युत दरें निर्धारित हैं ? कृपया अलग-अलग सभी श्रेणी के पंपों की दरों की जानकारी दें ? (ख) प्रदेश के किस-किस जिले में किस-किस विद्युत दरों की श्रेणी के कितनी-कितनी संख्या में सिंचाई विद्युत पंपों के उपभोक्ता हैं ? कृपया जिलेवार अलग-अलग श्रेणी के दरों वाले उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा सिंचाई पंपों हेतु लागू दरें †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित हैं. (ख) प्रदेश में विद्युत दरों के आधार पर जिलेवार सिंचाई पम्प कनेक्शनों की संख्या की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

रायपुर जिले में अस्थायी/स्थायी पंपों का प्रदत्त विद्युत कनेक्शन

35. (क्र. 2234) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के किस-किस विकासखंड में वर्ष 2014-15, 2015-16 में कुल कितनी-कितनी संख्या में अस्थायी/स्थायी पंपों को विद्युत कनेक्शन दिया गया ? (ख) अस्थायी कनेक्शन पंप को कब तक स्थायी कनेक्शन दिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में सिंचाई पम्प हेतु दिये गये अस्थायी/स्थायी विद्युत कनेक्शनों की विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है.

क्रमांक	विकासखंड का नाम	दिये गये कनेक्शनों की संख्या			
		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16	
		अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
1.	अभनपुर	267	68	249	155
2.	आरंग	186	128	225	121
3.	तिल्दा	148	185	179	161
4.	धरसीवा	186	169	173	146
	<b>कुल</b>	<b>787</b>	<b>550</b>	<b>826</b>	<b>583</b>

(ख) उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर स्थायी कनेक्शन जारी किया जाता है. उत्तरांश “क” में प्रदत्त अस्थायी पम्प धारकों में से 490 कृषकों ने आवेदन दिये हैं, जिनमें से 487 आवेदकों को स्थायी कृषि सिंचाई पम्प कनेक्शन प्रदाय कर दिये गये हैं. तथा 03 स्थायी कृषि पम्प प्रदान किये जाने हेतु लंबित है. उक्त लंबित कार्य में भूमि विवाद होने के कारण, कब तक पूर्ण किया जावेगा, यह बताया जाना संभव नहीं है.

#### विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लिये जा रहे विद्युत शुल्क

36. (क्र. 2262) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा जब विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत विक्रय किया जाता है. तब विद्युत शुल्क लिया जाता है ? यदि हां तो वर्तमान में किस दर पर विद्युत शुल्क लिया जा रहा है ? (ख) क्या विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत विक्रय करने पर उपभोक्ता से ऊर्जा विकास उपकर के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है ? यदि हां तो वर्तमान में किस दर से शुल्क लिया जा रहा है ? (ग) कैलेण्डर वर्ष 2012 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रश्नांश (क) एवं प्रश्नांश (ख) के शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2013 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को बेची गई बिजली पर विद्युत शुल्क देय नहीं है. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम 2010 के अनुसार वर्तमान में 10 पैसे प्रति यूनिट के मान से ऊर्जा विकास उपकर लिया जा रहा है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत शुल्क के मद में राशि रुपये 23,39,04,640/- (रुपये तेइस करोड़ उन्तालीस लाख चार हजार छः सौ चालीस) एवं ऊर्जा विकास उपकर के मद में राशि रुपये 683,99,09,081/- (रुपये छः सौ तिरासी करोड़ नित्यानवे लाख नौ हजार इक्यासी) वसूल की गयी है.

#### स्टेट हेलीकॉप्टर एवं स्टेट प्लेन से की गई यात्रा

37. (क्र. 2273) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2017 तक कब-कब, कौन-कौन स्टेट हेलीकॉप्टर एवं स्टेट प्लेन से कहां-कहां की यात्राएं की हैं ? उनके नाम, पदनाम एवं यात्रा तिथि की जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार देवें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : वर्ष 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2017 तक स्टेट हेलीकॉप्टर एवं स्टेट प्लेन से की गई यात्राओं तथा उनके नाम, पदनाम एवं यात्रा तिथि की जानकारी वर्षवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में है.

#### बस्तर जिलान्तर्गत पोषण आहार निर्माण के आंवटित कार्य

38. (क्र. 2276) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में रेडी-टू-ईट योजना के तहत किन-किन एन. जी. ओ./स्व सहायता समूह को पूरक पोषण आहार बनाने का कार्य आवंटित किया गया है ?

विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत निर्मित पोषण आहार के सैम्पल की जांच हेतु माह जनवरी 2017 तक किन-किन केन्द्रों में सैम्पल लिया गया ? सैम्पल के निष्कर्ष क्या है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ग) क्या गुणवत्ताहीन पूरक पोषण आहार बनाने वाले समूहों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विकासखंडवार जानकारी दी जायें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है. (ग) जी नहीं. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश के मजदूरों के अन्य प्रांतों में बंधक बनाये जाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

39. (क्र. 2277) **श्री दीपक बैज** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 में बस्तर जिले के मजदूरों को कौन-कौन से प्रांतों में कब-कब बंधक बनाकर रखे जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई एवं कितने मजदूरों को मुक्त कराया गया ? मुक्त हुए मजदूरों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई है ? उनमें से चित्रकोट विधान सभा के कितने मजदूर है ? (ग) मजदूरों के पलायन को रोकने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) वर्ष 2015-16 में बस्तर जिले के मजदूरों को अन्य प्रांतों में बंधक बनाकर रखे जाने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) जी, हाँ.

प्रदेश में ट्रांसफार्मर खरीदी

40. (क्र. 2289) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक कुल कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर किन-किन कंपनियों से खरीदे गए ? (ख) ट्रांसफार्मर खरीदी हेतु क्या टेंडर आमंत्रित किया गया था ? यदि हां तो, न्यूनतम दर कितनी-कितनी थी ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या न्यूनतम दर से अधिक दर पर ट्रांसफार्मर की खरीदी की गई है ? यदि हां तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की पावर कम्पनियों द्वारा खरीदे गये ट्रांसफार्मर की वर्षवार, फर्मवार एवं क्षमतावार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ राज्य की पावर कम्पनियों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में क्रय किए गए पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मरों की वर्षवार न्यूनतम दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है. (ग) जी नहीं.

जिले में कुपोषित बच्चों के सुधार हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

41. (क्र. 2314) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत कितने कुपोषित बच्चे हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) कुपोषित बच्चों के सुधार हेतु कितनी राशि वर्ष 2015 से 2016 तक आवंटित की गई है ? (ग) उक्त राशि किन-किन मदों में व्यय की गई तथा कितने बच्चों में सुधार आया है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) कुपोषित बच्चों के सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि 11950764/- रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि 10815881/- रुपये आवंटित की गई है. (ग) व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. प्रश्नाधीन अवधि में मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2015 के अनुसार कुल 47894 कुपोषित बच्चों की तुलना में मासिक प्रगति प्रतिवेदन जनवरी 2017 की स्थिति में 39435 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं. इस अवधि में 8459 कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है.

रायगढ़ जिला में सौर योजना के तहत कृषकों के प्राप्त आवेदन

42. (क्र. 2350) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में विद्युत विहीन ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु सौर सुजला योजना कब से प्रारंभ की गई है ? एवं इस योजना से किसानों को अनुदान का मापदंड क्या है ? जानकारी दें ? (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 में रायगढ़ जिला में सौर सुजला योजना के तहत कितने किसानों द्वारा आवेदन दिया गया ? एवं इनमें

से कितने पात्र पाए गये ? विकासखंडवार पात्र आवेदकों की जानकारी दें ? (ग) सौर सुजला योजना के पात्र आवेदकों में कितने-कितने को योजना के तहत मोटर पंप एवं अन्य यंत्र अनुदान पर प्रदान किया गया है, बतावें ? सभी पात्र आवेदकों को पंप नहीं दिये जाने का कारण क्या है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में विद्युत विहीन ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु सौर सुजला योजना माह दिसम्बर 2016 से प्रारंभ की गई है. योजनांतर्गत किसानों को देय अनुदान की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) वर्तमान में रायगढ़ जिले में सौर सुजला योजना के तहत 212 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सभी 212 आवेदन पात्र पाए गए हैं. उक्त सभी आवेदनों की विकासखंडवार सूची † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) सौर सुजला योजना के तहत उत्तरांश “ख” में उल्लेखित 212 आवेदनों में से 32 हितग्राहियों के खेत में सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है तथा शेष 180 हितग्राहियों के खेतों में सोलर पंप स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है.

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा श्रमिकों को मुफ्त भोजन का प्रदाय

43. (क्र. 2369) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा श्रमिकों को मुफ्त में भोजन देने की योजना कब से एवं कहां-कहां लागू की गई ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा श्रमिकों को मुफ्त में भोजन देने की योजना दिनांक 12-01-2017 से रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम ऑफिस के पास स्थित गांधी मैदान चावड़ी से लागू की गई है.

महासमुंद जिले में लगाये गये सौर ऊर्जा संयंत्र

44. (क्र. 2370) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में कितने सौर ऊर्जा के विद्युत संयंत्र लगे हैं ? विकासखंडवार स्थान बताएँ. (ख) इन सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा विद्युत की आपूर्ति कहाँ एवं किस दर पर की जाती है ? संयंत्रों के नाम बताएँ. (ग) इन संयंत्रों द्वारा संयंत्र स्थल से विद्युत आपूर्ति केन्द्र तक कितने टावर लगाए गए हैं ? (घ) क्या लगाए गए टावरों की जमीन का मुआवजा संयंत्र द्वारा किसानों को दिया गया ? यदि हाँ तो किस दर पर ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले में संचालित पांच सौर ऊर्जा संयंत्र के नाम एवं क्षमता की विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) के संयंत्रों द्वारा पॉवर प्लांट से किस विद्युत उपकेन्द्र में किस दर पर बिजली आपूर्ति की जा रही है की नाम सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ग) उत्तरांश (क) के संयंत्रों में सम्मिलित केवल एक कंपनी यथा मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संयंत्र स्थल से 132 केव्ही सब स्टेशन झलप तक स्थापित विद्युत पारेषण लाइन के अंतर्गत 69 टॉवर लगाए गए हैं. (घ) जी हाँ. राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-7/सात-1/2014 दिनांक 20 फरवरी 2015 के अनुपालन में मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित पारेषण लाइन के टॉवर/विद्युत लाइन से प्रभावित भूमि के लिये मुआवजे की राशि का आंकलन कर संबंधित 178 भू-स्वामियों को कुल रुपये 18,97,200 मुआवजे का भुगतान किया गया है, जिनका विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. चूंकि शेष 02 पॉवर प्लांट्स हेतु संयंत्र से 33/11 केव्ही सब स्टेशन तक 33 केव्ही की लाइन की स्थापना की गई है अतः राजस्व विभाग के उक्त आदेश के तहत मुआवजा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है.

-----

## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 2191) की जानकारी ]

## जनवरी 2016 से जनवरी 2017 तक बंधक मजदूरों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
मुंगेली	1	श्री राजेश कुमार टंडन आठ श्री रमनिरी टंडन ग्राम किराणा, पीठ बैलपुर, विकासखण्ड प्यारिया, जिला मुंगेली (80710)	जिला भागपुर (महााराष्ट्र)	सीमा टंडन पति श्री राजेश कुमार टंडन, ग्राम किराणा पीठ बैलपुर, विकासखण्ड प्यारिया, जिला मुंगेली (80710)	10	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	2	श्री मंगल सिंह आठ श्री विद्या, सतनामी, ग्राम मिलौनी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-बाघमा (80710)	जिला कोलार (कर्नाटक)	राजा आठ श्री मंगल सिंह ग्राम मिलौनी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-बाघमा (80710)	19	जिला प्रशासन की टीम संबंधित स्थान पर गई। श्रमिक स्वेच्छा से कार्यरत।	-	19	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपनी स्वेच्छा से कार्यरत।
बलरामपुर	3	श्री बाल कुमार के भाला द्वारा थाना रामचन्द्रपुर में शिकायत जिला - बलरामपुर- रामानुजगंज	विभावलमवेश के जिला कुर्नेर एवं मंडी	श्री बाल कुमार आयाम आत्मज स्व. श्री परमेश्वर आयाम, ग्राम लोधी जगपद पंचरास रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर	3	मुक्त कराने हेतु गठित टीम के साथ वापस जाते।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	4	श्री राजकुमार रंगा, पता- इलमिडी, उत्तूर, जिला- बीजापुर	थाना मुंगनूर, जिला- कर्नूर (आन्ध्रप्रदेश)	श्री संतोष कुमार कोरसा, पता- इलमिडी, उत्तूर, जिला- बीजापुर	11	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	11	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
बीजापुर	5	श्रीमति सुशिला पोस्तेती, पता- भटपल्ली, मोपालपट्टनम, जिला- बीजापुर	थाना बापटला, (आन्ध्रप्रदेश)	श्री सुरेश भदना, पता- भटपल्ली, मोपालपट्टनम, जिला- बीजापुर	11	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	11	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	6	डॉ. जितेन कुमार, रामानुजपुर, छ.ग.शासन, रायपुर	श्री सुदर्शन ईंट भट्टा, ग्राम थोकावाडी, तहसील तिरुवंगोड़े, जिला नमककाल (तमिलनाडु)	श्री सुकलाल वर्मा पिला श्री बुध्यास, ग्राम बंकरपुर, पो. सोनाजोरी, तहसील तैलूंगा, जिला रायगढ़	2	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	2	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
रायगढ़	7	श्री सुभाष पिला श्री शिवकरण कुर्रे ग्राम श्रीखमपुरा थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़	इंदरगौरी ईंट भट्टा, ग्राम बन्दापुर, थाना प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (छ.प्र.)	शिवकरण कुर्रे, श्रीखमपुरा, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़	7	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	7	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	8	श्रीमती स्मार्तिन भाई जर्भ कांति सतरंज ग्राम जेवरा, तह. सारंगढ़ जिला रायगढ़	ईंट भट्टा ग्राम खरखोदरा, थाना खरखोदरा, जिला सोनीपत, (हरियाणा)	श्री लक्ष्मण सतरंज, ग्राम जेवरा, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़	1	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये है। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
कोरबा	9	श्री मनोज पटेल एवं परिजन, ग्राम लबदापारा (पोडी) धाना पाली जिला कोरबा	ग्राम -- अकलीकेरा (चिन्नागिरी) जिला दावनागिर (कर्नाटक)	श्री राजाराम एवं अन्य 03 श्रमिक ग्राम लबदापारा (पोडी) धाना - पाली जिला कोरबा	3	मुक्त कराने हेतु गठित टीम, के साथ वापस लौटे।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	10	श्री रामलाल गोड एवं अन्य परिजन ग्राम पोटापानी धाना - पाली जिला कोरबा	ग्राम - नरसिम्हा राजपुर जिला चिकमंगलूर, कर्नाटका	श्री चमार सिंह पिता श्री रामलाल गोड एवं अन्य 06	7	मुक्त कराने हेतु गठित टीम के साथ वापस लौटे।	-	7	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
बस्तर	11	सरपंच, ग्राम पंचायत-जामगांव, विकासखण्ड-बास्तानार, जिला-बस्तर	बैंगलोर, कर्नाटक	कुंगी पिता पण्डरु, उम्र-30, ग्राम जामगांव, विकासखण्ड-बास्तानार, जिला-बस्तर	13	मुक्त कराने हेतु गठित टीम के साथ वापस लौटे।	13	-	13 श्रमिक विमुक्त कराकर लाये गये हैं।
जांजगीर-चांपा	12	श्री लंकेश्वर पिता श्री नारायण जाति सतनामी व अन्य निवासी ग्राम सुखापाली, तह-डभरा	भट्टा मालिक पिन्दू बाबू लक्ष्मी उद्योग भट्टा आई.बी.पी. ग्राम-बेलभारिया धाना धौक जिला-महाराजगंज (उ.प्र.)	श्री लंकेश्वर पिता श्री नारायण जाति सतनामी व अन्य निवासी ग्राम सुखापाली, तह-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा उ.ग.	10	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	13	श्री उहकू पिता श्री दशरथ ग्राम-सुखापाली तहसील-डभरा	भट्टा मालिक पिन्दू बाबू लक्ष्मी उद्योग भट्टा आई.बी.पी. ग्राम-बेलभारिया, जिला-महाराजगंज (उ.प्र.)	श्री उहकू पिता श्री दशरथ ग्राम-सुखापाली तहसील-डभरा	10	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	14	श्री मनीराम यादव ग्राम-डोगाडीह, तह-जैजैपुर	श्री कन्हैया बोलवेलस बसन्ध नगर जिला-हिंगोली (महाराष्ट्र)	श्री धनीराम पिता श्री मनीराम ग्राम-डोगाडीह, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा उ.ग.	4	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	4	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	15	श्री मंगल महेश पिता श्री सेंतराम ग्राम-मिरीनी धाना-हसौद धाना-मालखरीदा	भट्टा मालिक सोनू गुप्जर, सी.बी.के. मार्का, ग्राम-कोथे, मनहसन, पोस्ट-गोब्राह्मन, तहसील व धाना-रामगढ़ जिला-साम्बा (जम्मु कश्मीर)	श्री मंगल महेश पिता श्री सेंतराम ग्राम-मिरीनी धाना-हसौद धाना-मालखरीदा	13	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	13	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	16	श्री अंगुलराम पिता श्री जगदास विरहे व अन्य ग्राम-अडभार, धाना-मालखरीदा	मुमताज एवं इमरानखान ग्राम-डोडा, पोस्ट-धापा, धाना-चान्हे, जिला-रांची (झारखंड)	श्रीमती जर्जिला बाई पति श्री अंगुलराम ग्राम-अडभार धाना-मालखरीदा जिला-जांजगीर-चांपा उ.ग.	11	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	11	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	17	श्री खडक दिवाकर (गरीब) ग्राम-किरित तहसील व धाना-नवागढ़	पाल भट्टा माध-इलाना, धाना-खरखोदा, जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री फागलाल दिवाकर पिता खयरु ग्राम-किरित तहसील व धाना-नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा उ.ग.	6	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	6	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	18	श्री राम कुमार सतनामी ग्राम-बडेपडारमुडा, तहसील-मालखरीदा,	आर.जी.एच. ईट.भट्टा ग्राम-सीलन धाना व तहसील-खरखोदा जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री राम कुमार सतनामी ग्राम-बडेपडारमुडा, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा उ.ग.	2	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	2	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
जांजगीर-चांपा	19	श्री मोतीराम टंडन पिता श्री मुरार राम टंडन ग्राम-बस्तीबाराद्वार थाना बाराद्वार, तहसील-सक्ती	पाल ईट भट्टा मार्का एच.के. बी. ग्राम-सिसाना (सिलाना) थाना-खरखोदा, जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री मोतीराम टंडन पिता श्री मुरार राम टंडन ग्राम-बस्तीबाराद्वार थाना बाराद्वार, तहसील-सक्ती	3	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	20	श्री बुद्धामणी महंत ग्राम-बुंदेला थाना-पामगढ़	माता वैष्णो देवी युनिवर्सिटी कटरा, जिला-रियासी (जम्मू कश्मीर)	श्री बुद्धामणी महंत ग्राम-बुंदेला थाना-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	1	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	21	श्री लंकेश्वर प्रसाद कुरें पिता श्री गोविन्दराम कुरें ग्राम-किरार, पोस्ट-किरारी, थाना व तहसील-मालखरीदा	ए.एस.के. ईट भट्टा ग्राम-गोरेगांव थाना-आडर, जिला-रांची (झारखंड)	श्री लंकेश्वर प्रसाद कुरें पिता श्री गोविन्दराम कुरें ग्राम-किरार, पोस्ट-किरारी, थाना व तहसील-मालखरीदा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	9	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	9	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	22	श्री नरेश कुमार भारद्वाज पिता श्री मुखन भारद्वाज ग्राम-बोरसी थाना-पामगढ़ जिला-अनूपम	ईट भट्टा मालिक भरत बाई ओड ग्राम-दसलाना, थाना विरगाम जिला-अहमदाबाद (गुजरात)	श्री रोहित पिता श्री सुभू ग्राम-बोरसी थाना-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	72	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	72	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	23	श्री संतोष पाल पिता श्री सुखराम मुकाम-चिन्दा, तहसील-जैजैपुर व अन्य	मकसूद खान पिता श्री सलीम खान ग्राम-डेरवा चौकी सिसवा, तहसील-परसावल जिला-महाराजगंज (उ.प्र.)	श्री जन्तेराम कुरें पिता श्री बोधराम ग्राम-चिन्दा, तहसील-जैजैपुर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	10	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	24	सदाराम टंडन पिता रामाधर ग्राम-कोटमीसोनार अकलतरा	श्री फकलु साहू ग्राम-रफेल आयोध्या थाना-नीलगीरी जिला-बालेश्वर (उड़ीसा)	श्री राजू पिता श्री छतलाल ग्राम-साकर तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	84	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	84	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	25	गणेशराम / मनीषा बाई ग्राम- छोटे रबेली जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.	के एस ईट भट्टा स्थान सबलापुरा नागर रोड थाना-राजाखेडा जिला-धौलपुर (राजस्थान)	गणेशराम / मनीषा बाई ग्राम- छोटे रबेली जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.	28	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	28	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	26	छतराम सतनामी पिता श्री जनीराम सतनामी ग्राम-मुडुपार दुरपा थाना शिवरीनारायण	ईट भट्टा ग्राम जरपाल (गुड) थाना नगरोटासूर्यन तह ज्वाली जिला कांगडा (हि.प्र.)	श्री छेदीलाल पिता श्री छतराम ग्राम-मुडुपार दुरपा थाना-शिवरीनारायण जिला-जांजगीर-जांजगीर-चांपा छ.ग.	10	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	27	श्री रसिया यादव पिता श्री मैथिली यादव ग्राम-रायपुरा तह. जैजैपुर थाना- बाराद्वार	ईट भट्टा ठेकेदार अमर और टाईगर, पता- अंजाना भट्टा, नवसेरा जिला-जम्मूतावी	श्री रसिया यादव पिता श्री मैथिली यादव ग्राम-रायपुरा तह. जैजैपुर थाना- बाराद्वार जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	3	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र.	शिवायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहाँ श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
जांजगीर-चांपा	28	बलराम बहुर ग्राम-पडरैया अकलतरा	डी के इंट भट्टा मालिक डी के किसान ग्राम-बरहामुडा कुचिण्डा रोड थाना कुलाबेरा तह व जिला झारसुगडा (उडीसा)	श्री मीना बाई संझरी पिता श्री बलराम ग्राम-पडरिया, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	5	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	5	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	29	श्री रमेश कुमार पिता श्री रामु जाति शतमण्डे ग्राम -डामडी तह बलौदा	पवन ईंट भट्टा ग्राम-सिसाना (गडडी) थाना-खरखोदा, जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री कन्हैया लाल कॅवट पिता श्री पंचराम ग्राम-पिपरसल्ली जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	35	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	35	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	30	गणपत सोनवानी ग्राम-जाधकपुर थाना-बलौदा	गणेश भट्टा ग्राम-नोनापुरमोड थाना भोगनीपुर पोखराया बाजपुर जिला कानपुर(उ.प्र.)	श्री राजाराम सोनवानी पिता श्री गणपत सोनवानी ग्राम-जाधकपुर थाना-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	5	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	5	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	31	सुकुमार बाई पति श्री जगतराम खुटे ग्राम-काशीगढ़ अक्षा कपुर तह जेजैपुर	डि. भट्टा ग्राम छीपरी थाना दसुवा जिला हरियाणा(पंजाब)	श्री सुन्दर पिता जगतराम खुटे ग्राम-काशीगढ़ अघानकपुर तहसील-जेजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	4	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	4	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	32	पिता बाई पति स्व श्री भोज प्रसाद व अग्र ग्राम कनई तह जांजगीर	सुपर ईंट भट्टा ग्राम-गोलीभाजरा थाना आसन जिला-पानीपत (हरियाणा)	श्री बाल मुकुन्द ग्राम-कनई, थाना-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	6	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	6	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	33	श्याम सिंह कंवर पिता श्री मनबोध कंवर ग्राम-छिदमुडा तह सकती	वेकेंदार अजय जम्मू भट्टा ग्राम-नंगल थाना तह व जिला-कटुआ (जम्मू कश्मीर)	श्री सिदार सिंह कंवर पिता श्री मनबोध सिंह कंवर ग्राम-छिदमुडा तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	7	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	7	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	34	चंदनलाल पाटले पिता नरधुराम ग्राम-हरभाठा थाना तह -चांपा	शिव भट्टा मालिक बिंदरबाबू, जेएमएक्स कं 2 ग्राम रिब्रच बस्ती बंदरबाडी के पास चाकी फरमाडा तह व थाना खरखोदा जिला सोनीपत (हरियाणा)	चंदनलाल पाटले पिता नरधुराम ग्राम-हरभाठा थाना तह -चांपा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	1	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	35	बुधराम बंजारे पिता श्री धनाराम ग्राम कोडाभाठ थाना धामगढ	ईंट भट्टा मालिक गुड्डू पाण्डे एवं भाई लाल सरोज 555 इंट मार्का लालगोपालगंज कठौता पुल के पास थाना नवागंज जिला इलाहाबाद (उ. प्र.)	बुधराम बंजारे पिता श्री धनाराम ग्राम कोडाभाठ थाना धामगढ	1	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
36	हृदयराम पिता कार्तिकराम ग्राम-बरतुंगा तहसील-डमरा	नंदा गांव सीफीपुर थाना-आदमपुर जिला-जांजगीर (पंजाब)	हृदयराम पिता कार्तिकराम ग्राम-बरतुंगा तहसील-डमरा	3	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।	

जिला	क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
जांजगीर-चांपा	37	रहसलाल पिता श्री मोतीराम ग्राम जर्ब पा व तहसील-जैजैपुर	मुठ्ठी भट्टा थाना-जोड़िया तहसील-अखनूर जिला-जम्मू (जम्मू कश्मीर)	रहसलाल पिता श्री मोतीराम ग्राम जर्ब पा व तहसील-जैजैपुर	85	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	85	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	38	श्री सकुन्द राम पिता नकछेड ग्राम पो -पोता तह-मालखरीदा	भांजरा ईंट मट्टा तह-नालागढ़ जिला दबोटा (हिमाचल प्रदेश)	श्री कार्तिकराम ग्राम-पोता, थाना व तहसील-मालखरीदा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	32	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	32	शिकायत झूठी। बंधक श्रमिक नहीं पाये गये।
	39	श्री नेहरू सिंह गोड ग्राम-मधुवा तह. अकलतरा	एस.बी.आइ.ई.ट मट्टा ग्राम मुगी जिला-उधमपुर (जम्मू-कश्मीर)	श्री रुद्र कुमार ग्राम-मधुआ थाना व तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	12	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	12	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	40	श्री उमैद राम सतनामी ग्राम-घोरभट्टी तह-नवागढ़	ठेकेदार सोनू ग्राम-बादण जिला-पानीपत (हरियाणा)	श्री मनोज बर्मन पिता श्री छोटेलाल बर्मन ग्राम-आमगांव, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	20	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	20	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	41	श्री गणेशराम कुरें पिता श्री विजय राम ग्राम-रीवाडीह तह-जैजैपुर	मट्टा मालिक सबाना ईंट मट्टा मार्का 555 ग्राम-इमू थाना व तहसील-अध्वबल, जिला-अनंतनाग (जम्मू कश्मीर)	श्री बेदराम कुरें पिता श्री दुजैराम ग्राम-रीवाडीह, थाना-जैजैपुर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	10	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	42	श्री हेतराम (बबल) घृतलहरे पिता श्री फुल सिंह ग्राम-बरतुंगा थाना व तहसील-डमरा	आरतील गोयल ओ.बी.सी ईंट मट्टा मीठापुर जिला-अम्बाला (हरियाणा)	श्रीमती जानकी घृतलहरे पति श्री हेतराम ग्राम-बरतुंगा थाना व तहसील-डमरा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	5	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	5	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	43	श्री सुखराम नौरंग पिता श्री दूजराम नौरंग ग्राम-कारीभांवर	शिव फौजी ग्राम-गुना (मैसवाल) सोनीपत थाना-मुहाना जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री सुखराम नौरंग पिता श्री दूजराम नौरंग ग्राम-कारीभांवर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	40	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	40	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	44	श्री पतंग सतनामी पिता स्व. बोधन सतनामी ग्राम-कारीभांवर तहसील-जैजैपुर	शिव फौजी ग्राम-गुना (मैसवाल) सोनीपत थाना-मुहाना जिला-सोनीपत (हरियाणा)	श्री पतंग सतनामी पिता स्व. बोधन सतनामी ग्राम-कारीभांवर तहसील-जैजैपुर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	8	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	8	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	45	श्री पुनीराम खुटे पिता श्री पहरसिंह खुटे ग्राम-बरतुंगा, पो-देवरघटा, थाना व तहसील-डमरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	भट्टा मालिक द्वारका पिता श्री तितरू बी.बी.के. ईंट मट्टा ग्राम-लेतर डोंगरी थाना-पोनी, जिला-रियासी (जम्मू कश्मीर)	श्री पंथरतन पिता श्री पहर सिंह मु-बरतुंगा पो-देवरघटा, थाना व तहसील-डमरा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	12	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	12	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	46	श्री राज कुमार पिता श्री चैतराम ग्राम-किरीत, थाना व तहसील-नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	ईसादतगंज ग्लास फॅक्ट्री, थाना-धुरपुर, तहसील-गतरा, जिला-इलाहाबाद (उ.प्र.)	श्री राज कुमार पिता श्री चैतराम ग्राम-किरीत, थाना व तहसील-नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	40	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	40	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
जांजगीर-चांपा	47	श्रीमती इंदू बजारे सभापति स्वास्थ्य स्थाई समिति ग्राम-भिलाई पो-ओंगाकहरीद तहसील-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	एम.पी.एस. ईट भट्टा दस्तारी रोड परसिया, थाना-बिसौली, जिला-बदायूं (उ.प्र.)	श्री मंगल सिंह पिता श्री बिसाहू, ग्राम-भिलाई पो-ओंगाकहरीद, तहसील-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	24	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	24	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	48	श्री संतोष धीवर वार्ड नंबर 02 ग्राम-करीवाडीह, तहसील-जैजपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	गर्भी भट्टा खानपुर बकलार कालोनी जिला-कठवा (जम्मू कश्मीर)	श्री संतोष धीवर वार्ड नंबर 02 ग्राम-करीवाडीह, तहसील-जैजपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	3	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	49	श्री अच्छराम पिता श्री बिल्वराम खाण्डे ग्राम-अण्डी, थाना-मालखरीदा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	भट्टा मालिक श्री रमेश सिंह ईट भट्टा बी.बी.एफ. ग्राम-फतेहपुर, थाना-रुद्रपुर जिला-देवरिया गोरखपुर (उ.प्र.)	श्री लोचन पिता श्री रामलाल महिलांगे ग्राम-अण्डी, पो-किरारी तहसील-मालखरीदा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	22	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	22	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	50	श्रीमती फूल कुवर संतोष चौहान (सरपंच) ग्राम-पंचायत-जेवरा, वि.ख-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	आई.एस.आई. भट्टा मालिक ग्राम-धुरपुर जिला-इलाहाबाद (उ.प्र.)	कुमारी कैंवट पति छतराम ग्राम-जेवरा वि.ख-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	8	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	8	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	51	श्री सेवक राम रात्रे पिता श्री छल्लू जाति-सतनामी ग्राम-बनडभरा, तह-चांपा जिला-जांजगीर-चांपा	श्री मान सिंह भट्टा छनीघटवाल थाना-गजबांग जिला-हीसनगर (जम्मू कश्मीर)	श्री सेवक राम रात्रे पिता श्री छल्लू जाति-सतनामी ग्राम-बनडभरा, तह-चांपा जिला-जांजगीर-चांपा	13	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	13	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	52	श्री कलीराम पिता श्री रोहित राम ग्राम-आमगांव मोहल्ला-कारीमावर तहसील-जैजपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	श्री जोगेन्द्र सिंह पठानिया, ग्राम-समलाना, तहसील व थाना-जवाली, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	श्री कलीराम पिता श्री रोहित राम ग्राम-आमगांव मोहल्ला-कारीमावर तहसील-जैजपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	34	कलेक्टर जिला - जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	34	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	53	श्री शिव पिता बुधवार मयुकर ग्राम-धनपुर पो-चंगोरी तहसील व थाना-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	ठेकेदार संजय डोटे ग्राम व थाना-रजुस, जिला-चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	श्री शंकर रोहिदास ग्राम-धनपुर पो-बंगोरी तहसील व थाना-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	73	कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा जिला दण्डाधिकारी जिला-चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु पत्र क्रमांक 3257 दिनांक.10.01.2017 प्रेषित।	-	-	कार्यवाही निरंतरित।
	54	श्री दाऊ सूर्यवंशी पिता श्री बनाऊ ग्राम-कोसमंदा, थाना चांपा	ठेकेदार मनोहर सरबस और श्री गंगा प्रसाद करियारे सिकन्दराबाद हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)	श्री संजू सूर्यवंशी पिता श्री दाऊ सूर्यवंशी ग्राम-कोसमंदा थाना-चांपा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	7	कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा जिला दण्डाधिकारी जिला-करनौल (आन्ध्रप्रदेश) को श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु पत्र क्रमांक 3079 दिनांक 09.01.2017 प्रेषित।	-	-	कार्यवाही निरंतरित।
	55	श्री मोहन लाल पिता श्री बुधराम जाति-महर साकिन-धनगांव पो-रसौदा थाना व तहसील-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	भट्टा मालिक समाजीत वर्मा, मैनेजर श्री इंदर वर्मा ईट मार्का गोल्ड निवासी बसड़ा, पो-पकड़ी भोजपुर, थाना व तहसील-टांडा जिला-अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)	श्री भोला ग्राम-धनगांव, पो-रसौदा, थाना व तहसील-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	26	कलेक्टर जिला जांजगीर - चांपा द्वारा जिला दण्डाधिकारी जिला-अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) को श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु पत्र क्रमांक 3004 दिनांक.29.12.2016 प्रेषित।	-	-	कार्यवाही निरंतरित।

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहाँ श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
बलीदाबाजार	56	श्री गनेशराम एवं अन्य ग्राम-जोरापाली, तह. विलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा	क एस. भट्टा स्थान सबलापुरा नागर रोड, थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर, (राजस्थान)	अजय, ग्राम-जोरापाली, तह विलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा	07	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	07	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	57	श्री गनेशराम एवं अन्य ग्राम-जोरापाली, तह. विलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा	मिट्टु बाबु ईट भट्टा ग्राम-नखरा, कटक (उड़ीसा)	संजय पिता सुवितराम सतनामी ग्राम-मुखमल्दा, थाना-सरसीवा, थाना-बिलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा	07	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	07	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
धमतरी	58	श्री भानुबाई धुव ग्राम - खिडकीटोला पो0आ. रुद्रा जिला धमतरी	तिरुअन्नामलाई, तमिलनाडु	बलराम धुव खिडकीटोला पो0आ. रुद्रा जिला धमतरी	4	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	2	2	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
महासमुंद	59	रमेश धर्तरीन बाई, शिवकुमार एवं रेवाराम ग्राम-बरभाटा, नांदगांव थाना-पटैया जि. महासमुंद	ग्राम- परेवातरी एवं विश्रामपुर था. बड़कागांव जि. हजारीबाग राज्य- आरखंड	श्री भूषण कुमार पिता श्री उर्मद ग्राम- बरभाटा थाना पटैया जि. महासमुंद	12	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	12	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	60	श्री अमरुत पिता आशासम ग्राम-समदरहा पो. मलदामाल वि.खं. व थाना सरायपाली जि.महासमुंद	जम्मू काश्मीर के जिला व थाना बडगांम ग्राम-इचगांव	श्री दिव्यलोचन पिता अमरुत ग्राम-समदरहा पो. मलदामाल वि. खं. व था. सरायपाली जि. महासमुंद	7	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	7	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	61	श्रीमति रीमा निर्मलकर ग्राम- भीमखोज था.खल्लारी जि.महासमुंद	व्ही.आर. टोबेको गोया तालाब बैरताल रोड बाकरोल जिला आनंद राज्य गुजरात	श्री देवानंद निर्मलकर पत्ता ग्राम- भीमखोज था.खल्लारी जि. महासमुंद	1	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	62	श्री तोरण घृतलहरे व रघुदास सोनवानी ग्राम- अम्बवस था. तुमगांव जि.महासमुंद	ग्राम व पोस्ट कुलई था परजंग जि. टंकाताल राज्य उडिसा	श्री दिनुराम सोनवानी ग्राम, अमावस था. तुमगांव जि. महासमुंद	10	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	10	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	63	श्री बुधराम, समारू, पुनितराम सर्व ग्राम-पिथौरा जि.महासमुंद	तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक स्थान	श्री रामशंकर पिता दिगम्बर ग्राम- कुंभारपारा पिथौरा तह पिथौरा जि.महासमुंद	7	जिला प्रशासन की टीम द्वारा लाये गये हैं।	-	7	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	64	श्री चेतन राम रात्रे, ग्राम घोडाडीह, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक बसिन्दीही खान ईट मार्क एन.डी.के., ग्राम मकड़, थाना भरेवा, जिला गोरखपुर (उ.प्र.)	लीलाराम पिता चेतनराम रात्रे	30	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	30	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	65	श्री रामशानीत पिता रामरतन ग्राम बिनैका थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक पप्पू यादव ईट मार्क नं. 1 बाबा रूपसपुर, वी. एस. फिरोजाबाद, थाना शिकोहाबाद (उ.प्र.)	जयकुमार पिता श्यामलाल	35	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	35	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	रथान का नाम जहाँ श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
बिलासपुर	66	श्री प्रेमलाल पिता लक्ष्मण पाटले ग्राम भत्तरखान थाना बिल्हा, तह बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक सतराम गुप्ता निवासी बिरगंज पो. सिकंदरा थाना बहरिया, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	फंकूराम पाटले	29	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	29	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	67	श्रीमति अनिता भार्गव पति चैतराम भार्गव ग्राम सुकुलकारी तह. मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक बबलू यादव ग्राम बारापुर थाना धरबाई, तह. फूलपुर जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	श्री चैतराम भार्गव	1	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	1	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	68	श्री मुकेश कुमार पिता शैल कुमार जाति सतनामी ग्राम बिनाका मस्तूरी जिला बिलासपुर(छ.ग.)	भट्टा मालिक जंग बहादुर सिंह पिता नामालूम ग्राम मादो चौकी मदिनगंज जिला आजमगढ़(उ.प्र.)	सीताबाई पति शैल कुमार	6	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	6	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	69	श्री चन्द्रपाल पिता चंदुलाल ग्राम रिस्ता जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक मुमताज ग्राम कटहरी खुर्द शेरवा शिवान पो. कटहरी जिला महराजगंज (उ.प्र.)	विजय पिता सरजू	33	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	33	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	70	श्रीमती कुमारी बाई पति पंचराम केवट ग्राम मल्हार तिलरीपारा मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक अंबुज सिंह ठाकुर पिता नरेन्द्र सिंह ठाकुर ग्राम भिगनापुर थाना सरपटा जिला जीनपुर (उ.प्र.)	अर्चना केवट पति रामनारायण	5	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	5	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	71	श्री लक्ष्मण बंजारे पिता श्री साधुराम बंजारे ग्राम सोनलोहरी थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छ.ग.	खुशी पिता बच्चा बाबू खुशी ईटभट्टा ग्राम आटा बन्धर थाना अंचल गंज जिला उन्नाव (उ.प्र.)	लक्ष्मणबंजारे पिता श्री साधुराम बंजारे	23	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	23	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	72	श्री बट्टलाल रत्नाकर पिता स्व. महावीर ग्राम जुनवानी मल्हार थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छ.ग.	ईट भट्टा मालिक :- राम किशन अग्रवाल धरमुमवानी ईटभट्टा ग्राम पेण्डी पाठ मटकोला तहश व थाना हथनी जिला पलवल (हरियाणा)	याम कोशले पिता स्व. मंशाराम	12	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	12	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	73	श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. शिवदास बंजारे निवासी ग्राम मनैसर जयसाम नगर थाना व तहश मस्तूरी जिला बिलासपुर छ. ग.	ईट भट्टा संघालक :- श्री सुरेश ग्राम जमसेरा थाना झीलपानी जिला राऊरकेला उड़ीसा	श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. शिवदास बंजारे	3	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	74	श्री राधेश्याम पिता श्री मूरितराम ग्राम बेकरकुदा पो.टेकारी थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छ.ग.	ईट भट्टा :- श्री बगई कुर्मी c/o ग्राम जमसेरा थाना झीलपानी जिला राऊरकेला उड़ीसा	श्री राधेश्याम पिता श्री मूरितराम	13	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	13	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	75	श्री घनाबाई घृतलहरे पति फूलचंद धृतलहरे ग्राम खोरसी थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा :- श्री श्याम मुशम यादव ग्राम शाहगंज जिला जीनपुर (उ.प्र.)	बृजलाल मधुकर पिता सिरिया मधुकर	44	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	44	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
76	रानी पिता तीजराम बांधे ग्राम भैसबोड थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक बल्लू ग्राम गुहणा सोनीपत हरियाणा	रानी पिता तीजराम बांधे	8	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	8	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।	

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहाँ श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
बिलासपुर	77	कालीचरण पुत्र फिरतूराम सोनवानी ग्राम देवरी थाना सीपत मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक अमर बहादुर ग्राम मुसाफिर जिला अमठी (उ.प्र.)	श्रीमती शारदा	28	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	28	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	78	रामकिशन बर्मन पुत्र धारसीराम ग्राम रसतल मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक अहमद एवं फिरोज ग्राम तिलारी नवाबगंज जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	पुनीराम	11	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	11	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	79	श्री दिष्ण अंबदा प्रिया किरुम अंबदा ग्राम दादली थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक शिवशंकर उपाध्याय ग्राम धौरी जिला अमठी (उ.प्र.)	खेलन विमल	4	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	4	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	80	कार्तिकराम ग्राम बोझसरा थाना चकरभाड़ा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक विरेन्द्र सिंह टाकुर चोखरा जिला गोस्वपुर	सुखराम	13	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	13	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	81	श्री सुनलशाम धनधार पिता श्री मंगलसिंह मनवार ग्राम बसहा थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)	तेकंदार आदित्य बनलक्ष्मी बोरखेल बैंगलोर कर्नाटक	रविकुमार धनवार	5	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	5	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	82	श्री चन्द्रकुमार पिता श्री गणु वृत्तमहारे ग्राम बिनैका पो ओखर थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	भट्टा मालिक बालाजी ग्राम रोहतक हरियाणा	ओमप्रकाश कुरें	2	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	2	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	83	मनोज कुमार केशकर ग्राम डगनिया थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक लल्ला ब्रिक्स कंपनी, ग्राम चिटई पट्टी, थाना तह. जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)	संजीबाई पति मनोज कुमार	20	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	20	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
बिलासपुर	84	श्री रामायण जागड़े सुखमनी बाई, निलिता एवं अन्य ग्राम गतौरा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक डी संजय चोटे, राजू घोटै, ग्राम नवीन सतरी, थाना व जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	भगवान चरण जागड़े	73	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	73	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	85	बहादुर नन्द जेठूम, ग्राम बकरकुदा, पो. आ. टिकारी, मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक अजय भदौरिया, डी.बी.एफ ईट माका दुर्गा ब्रिक्स फिन्ड, ग्राम सिखु बेल्लपुर जनपद औरिया (उ.प्र.)	राजकुमार पिता जीवनलाल	25	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	25	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	86	मनीराम ग्राम खोरसी, थाना तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक सभाजीत वर्मा ग्राम भसडा, पो. पकड़ी, भोजपुर थाना व तह. टाण्डा, जिला अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)	श्रीमती राधाबाई	6	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	6	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
	87	श्रीमती कविता लहरे पति श्री दिनेश लहरे, ग्राम कुटेला, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक मुबारक बाई अलीखान पठान, ग्राम हिरापुर, चौकी मवाडी, जिला अहमदाबाद (गुजरात)	दिलीप पिता रामसाय	3	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	3	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।

जिला	क्र	शिकायतकर्ता का नाम व पता	स्थान का नाम जहां श्रमिक बंधक बताये गये हैं। (जिला व राज्य)	बंधक बताये गये प्रथम श्रमिक का नाम व पता	बंधक बताये गये कुल श्रमिकों की संख्या	कार्यवाही संबंधी विवरण	कार्यवाही के		बंधक नहीं पाये गये श्रमिकों की स्थिति
							बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक नहीं पाये गये श्रमिक संख्या	
	88	श्री नरेन्द्र कुमार अंघल ग्राम दलदली, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ईट भट्टा मालिक अब्दुल करीम, ग्राम सिरपुर, जिला हसीबाबाद (आंध्रप्रदेश)	मथुरा प्रसाद अंघल	15	कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा संबधित जिले के जिला कलेक्टर से पत्राचार। श्रमिक वापस भेजे गये।	-	15	बंधक नहीं पाये गये। श्रमिक अपने गृह - ग्राम वापस।
दत्तेवाडा	89	श्री सीमा मण्डवी (पूर्व विधायक)	तमिलनाडू, जिला- इरोड,	गणेश / हुंगा	17	श्रमिकों को रिहा कर वापस अपने गृह ग्राम लाया गया।	10	7	10 श्रमिक विमुक्त कराकर लाये गये हैं।
	90	श्री कवासी लखमा (विधायक कोन्टा)	विशाखापटनम	माड़वी घच्या / कोसा	6	टीप गठित कर सलिल परीक्षण हेतु भेजा गया	0	6	श्रमिक स्वेच्छा से कार्यरत। बंधक नहीं पाये गये।

## परिशिष्ट "दो"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 785) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों एवं उन्हें वर्ष 2014 से 2016 तक किये गये भुगतान की परियोजनावार, वर्षवार एवं समूहवार जानकारी

क्र	सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परियोजना अंतर्गत शामिल सेक्टर का नाम	सेक्टर में रेडी टू ईट संचालन कर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	रेडी टू ईट प्रदाय हेतु महिला स्व सहायता समूहों को भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण (राशि रुपये में)			
				वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारंगढ़	सारंगढ़ शहरी	माँ अग्निज्वाला स्व सहायता समूह सारंगढ़	826596	0	0	826596
2			सुशीला महिला स्व सहायता समूह ग्राम जिल्दी	0	2653887	1232515	3886402
3			दुर्गा महिला स्व सहायता समूह झरियापारा सारंगढ़	0	0	923475	923475
4		सारंगढ़ ग्रामीण	माँ भवमोचनी स्व सहायता समूह सारंगढ़	720008	1346294	0	2066302
5			ज्योति महिला स्व सहायता समूह ग्राम चनामुड़ा	0	398936	987130	1386066
6			सरस्वती महिला स्व सहायता समूह ग्राम बरदरहा	0	0	380419	380419
7		हरदी	सुशीला महिला स्व सहायता समूह ग्राम जिल्दी	1829441	2149266	1835191	5813898
8		गोड़म 1	आदर्श महिला स्व सहायता समूह ग्राम ग्वालिनडीह	1518212	1764473	1419923	4702608
9			विजया महिला स्व सहायता समूह ग्राम टिमरलगा	1296984	1499950	1243296	4040230
10		दानसरा	ज्योति महिला स्व सहायता समूह ग्राम चनामुड़ा	2263268	1906979	1517662	5687909
11		नौरंगपुर	समलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोसीर छोटे	2194451	2334333	1666126	6194910
12		मल्दा ब	मां बंजारी महिला स्व सहायता समूह ग्राम मल्दा ब	2166736	2420430	1897878	5485045
13		सालर	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम पाकरडीह	1698556	2290463	1826102	5815121
योग-		8	9	14514252	18765011	14929718	48208981

परिशिष्ट-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 785

1	2	3	4	5	6	7	8
14	कोसीर	कोसीर	उत्तरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम मुड़वाभांठा	3735883	5418266	4433835	13587984
15		उलखर	नैना महिला स्व सहायता समूह ग्राम बरदूला	2399681	4063865	3037724	9501270
16		जशपुर	लक्की महिला स्व सहायता समूह ग्राम दहिदा	3490827	4656898	4024878	12172603
17		छिन्द	अंजली महिला स्व सहायता समूह ग्राम छिन्द	3024380	4456936	3486744	10968060
18		कैडार	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह ग्राम साल्हे	4607494	4896865	3763095	13267454
19		भेड़वन	भवानी महिला स्व सहायता समूह ग्राम भेड़वन	2332275	2648758	2440735	7421768
<b>योग-</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19590540</b>	<b>26141588</b>	<b>21187011</b>	<b>66919139</b>
20	बरमकेला	बरमकेला	वैभवलक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम बरमकेला	1910554	2524458	2224222	6659234
21		बड़े नावापारा	प्रद. महिला स्व सहायता समूह ग्राम खैरगढ़ी	1810054	2687919	2397417	6895390
<b>योग-</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3720608</b>	<b>5212377</b>	<b>4621639</b>	<b>13554624</b>
22	लेन्धरा	लेन्धरा	सम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम सराईपाली	2429404	1904390	1763281	6097075
23		डोंगरीपाली	पार्वती महिला स्व सहायता समूह ग्राम बिरनीपाली	1678728	1816096	1733958	5228782
24		जोगनीपाली	तिरंगा महिला स्व सहायता समूह ग्राम धनिगाँव	1458613	1576246	1395666	4430525
25		तौसीर	संतोषी महिला स्व सहायता समूह ग्राम कलगाटार	1896476	1883196	1585183	5364855
26		रिसोरा	सम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम सराईपाली	284740	1345461	0	1630201
27			उजाला स्व सहायता समूह ग्राम केनाभांठा	0	269174	1220108	1489282
<b>योग-</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7747981</b>	<b>8794563</b>	<b>7698196</b>	<b>24240720</b>
<b>महायोग-</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>45573361</b>	<b>58913539</b>	<b>48436564</b>	<b>152923464</b>

## परिशिष्ट "तीन"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 2348) के भाग (क) की जानकारी ]

## आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रावधानित मानदेय की जानकारी

क्र	वर्ग	भारत शासन द्वारा प्रदाय किया जाने वाला मानदेय	राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
1	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नान मैट्रिकुलेट	2938	1000	3938
	नान मैट्रिकुलेट तथा 5 वर्ष से अधिक समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो।	2969	1000	3969
	नान मैट्रिकुलेट तथा 10 वर्ष से अधिक समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो।	3000	1000	4000
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिकुलेट	3000	1000	4000
	मैट्रिकुलेट तथा 5 वर्ष से अधिक समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो।	3031	1000	4031
	मैट्रिकुलेट तथा 10 वर्ष से अधिक समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो।	3063	1000	4063
2	आंगनबाड़ी सहायिका	1500	500	2000

- भारत शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले मानदेय में भारत शासन एवं राज्य शासन का अंशदान 60:40 का अनुपात है।
- राज्य शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में राज्य शासन का अंशदान शतप्रतिशत है।

## परिशिष्ट "चार"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 2051) के भाग (क) की जानकारी ]

जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 31-01-2017 की स्थिति में स्वीकृत निम्न श्रेणी चूनापत्थर/डोलोमाईट खदानों की जानकारी

क्र	व्यक्ति / फर्म का नाम जिसे खदान स्वीकृत है	ग्राम का नाम	खनिज का नाम	रकबा	स्वीकृत अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री रासबिहारी गुप्ता नि० खरसिया	खैरझीटी	नि० श्रे० चूनापत्थर	1.782 हे०	19.03.2007 से 18.03.2017
2	श्री शिवकुमार अग्रवाल नि० सक्ती	रायपुर	नि० श्रे० चूनापत्थर	0.632 हे०	26.11.2009 से 25.11.2017
3	श्री सतौष कुमार यादव	किकिरदा	नि० श्रे० चूनापत्थर	1.32 एकड़	06.06.2007 से 05.06.2017
4	मै० डोलोमाईट माईनिंग कार्पो. बाराद्वार	खम्हरिया	डोलोमाईट	20.412 हे०	15.07.2001 से 14.07.2021
5	श्री प्रतीष कुमार गोयल नि० सक्ती	खम्हरिया	डोलोमाईट	4.107 हे०	28.08.2014 से 27.08.2034
6	श्री अजय सिंह चन्द्रा नि० झालरौंदा	झालरौंदा	डोलोमाईट	4.050 हे०	02.08.2010 से 01.08.2030
7	श्री मृत्युंजय सिंह सिसौदिया नि० ठठारी	छितापड़रिया	डोलोमाईट	4.408 हे०	21.07.2011 से 20.07.2031
8	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह नि० धनेली बाराद्वार	छितापड़रिया	डोलोमाईट	4.168 हे०	29.08.2009 से 28.08.2029
9	श्री बालाजी ट्रेडिंग कं० पार्ट० श्री रामभगत गुप्ता नि० खरसिया	छितापड़रिया	डोलोमाईट	4.249 हे०	05.07.2008 से 04.07.2038
10	गुरुश्री मिनरल्स प्रा० लि० निर्देशक श्री मनमोहन शर्मा नि० बाराद्वार	छितापड़रिया	डोलोमाईट	4.990 हे०	08.11.2011 से 07.11.2041

## परिशिष्ट "पांच"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 2363) के भाग (क), (ख) एवं (घ) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्रमांक	जिले का नाम	पंजीयन की जानकारी	
		छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल	छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा
1	रायपुर	167741	38131
2	धमतरी	54001	173568
3	गरियाबंद	11746	13143
4	बलौदाबाजार	94294	11668
5	महासमुन्द	113461	37127
6	बिलासपुर	103539	99489
7	मुंगेली	15959	20587
8	कोरबा	46619	78017
9	जांजगीर चांपा	55984	28290
10	रायगढ़	54811	42391
11	दुर्ग	65747	80528
12	कवर्धा	35096	9947
13	राजनांदगांव	136328	44220
14	बालोद	61417	26622
15	बेमेतरा	38846	9964
16	बस्तर	17177	22728
17	बीजापुर	4512	5833
18	सुकमा	4579	1610
19	दंतेवाड़ा	18555	8928
20	कोण्डागांव	11805	14578
21	नारायणपुर	4133	5004
22	कांकेर	22859	19107
23	सरगुजा	36324	14382
24	जशपुर	7223	10831
25	कोरिया	48781	18770
26	सूरजपुर	74600	28150
27	बलरामपुर	24683	14312
योग		1330820	877925

## प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिले का नाम	राशि वितरण की जानकारी	
		छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल	छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा
1	रायपुर	336612285	3252462
2	धमतरी	98507512	24304380
3	गरियाबंद	84026403	3765339
4	बलौदाबाजार	287880707	9279520
5	महासमुन्द	190228848	6579146
6	बिलासपुर	104245668	16823639
7	मुंगेली	27158971	1802962
8	कोरबा	72385174	1921224
9	जांजगीर चांपा	93306251	11279420
10	रायगढ़	73006710	17205958
11	दुर्ग	82177404	16089670
12	कवर्धा	69087853	3992312
13	राजनांदगांव	170037836	4375378
14	बालोद	80605824	7373681
15	बेमेतरा	69195838	7173543
16	बस्तर	16264005	10534641
17	बीजापुर	3615939	3261038
18	सुकमा	7443635	2425490
19	दंतेवाड़ा	28723680	1281446
20	कोण्डागांव	19567520	8990779
21	नारायणपुर	6460336	286912
22	कांकेर	34332226	4148716
23	सरगुजा	13730400	4444149
24	जशपुर	11073418	546776
25	कोरिया	46118683	5183346
26	सूरजपुर	92666802	5029196
27	बलरामपुर	6513797	4823552
<b>योग</b>		<b>2124973725</b>	<b>186174675</b>

प्रपत्र "स"

## अपात्र पाये गये आवेदन

क्र०	योजना का नाम	आवेदनों में गड़बड़ियां पाई गई (अपात्र आवेदन)
1	विश्वकर्मा मृत्यु पर अन्तयेष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना	42
3	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	2
4	गंभीर बिमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना	2
5	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	18
6	राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना	19
7	नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना	17
8	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	28
<b>योग</b>		<b>128</b>

परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2094) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ग्राम चारगांव, मेटाबोदली तथा बरबसपुर के अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक पर खनिज लौह अयस्क के स्वीकृत खनिपट्टे, उनसे उत्खनित खनिज की मात्रा, प्राप्त राजस्व रायल्टी, उत्खनन कार्य से प्रभावित ग्राम एवं सामुदायिक विकास परियोजना के दायरे में शामिल ग्राम की जानकारी

क्र	पट्टेदार/पट्टेदार संस्थान का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण		स्वीकृत अवधि	जनवरी 2017 तक उत्खनित खनिज की मात्रा (मिट्टिक टन)	प्राप्त राजस्व रायल्टी (रूपये में)	उत्खनन कार्य	उत्खनन कार्य से प्रभावित ग्राम का नाम	सामुदायिक विकास परियोजना के दायरे में शामिल ग्राम का नाम
		वन कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	वनकक्ष क्रमांक 426 पी एवं 427 पी	25.00	17.01.2002 से 16.01.2052 (50 वर्ष)	59,970	2,30,00,000	प्रारंभ है ।	चारगांव मेटाबोदली	चारगांव, मेटाबोदली, पोरोण्डी, सोण्वापारा, छोटेबोदली, टेमरूपानी, घासीपारा पोरोण्डी, सूरवाही, कडमें, भैंसासूर, नवगेल, मटियाखार
2		वनकक्ष क्रमांक 240 (नया पी 282) एवं खसरा क्र. 399/218/4, 5	14.40	16.10.2014 से 15.10.2044 (30 वर्ष)	68,334	2,90,00,000	प्रारंभ है ।	बरबसपुर	बरबसपुर, बारवी, मूंगवाल, भेजा, तेलम्मा, असतरा, चारगांव
3	श्री जीवनलाल जैन, धमतरी	वनकक्ष क्र. 399/218/1	17.93	14.03.1996 से 13.03.2016 (20 वर्ष)	21,63,317	1,01,96,237	वर्ष 2011 से बंद है ।		

## प्रपत्र "ब"

## सामुदायिक विकास (सी एस आर) गतिविधियों के तहत संपादित कार्यों की जानकारी

क्र.	संपादित कार्य का मद	चारगांव, मेटाबोदेली खान क्षेत्र अंतर्गत संपादित कार्य	बरबसपुर लायनडॉगरी खान क्षेत्र अंतर्गत संपादित कार्य
1	2	3	4
1	स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता एवं पेयजल की सुविधाएं	समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, पंद्रह अलग अलग जगहों पर हैण्डपम्प की व्यवस्था ।	निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, 3 एचपी का सबमर्सिबल पम्प से पेय जल एवं तालाब के जल भरने की व्यवस्था, पांच अलग अलग जगहों पर हैण्डपम्प की व्यवस्था, ओव्हर हेड पानी टैंक की व्यवस्था ।
2	शिक्षा एवं प्रशिक्षण	दस लोकल बालकों को निःशुल्क आईटीआई प्रशिक्षण मिलाई में कराया गया, 4 निर्धन परिवारों के बालिकाओं को नर्सिंग कोर्स कराया गया, इस क्षेत्र के दो बालकों को प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण दिया गया ।	नौ लोकल बालकों को निःशुल्क आईटीआई प्रशिक्षण मिलाई में कराया गया, प्राथमिक स्तर के स्कुली बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, 2 निर्धन परिवारों के बालिकाओं को नर्सिंग कोर्स कराया गया ।
3	महिला सशक्तिकरण	--	ग्राम बरबसपुर में निःशुल्क सिलार्ड प्रशिक्षण केन्द्र संचालित ।
4	पर्यावरण स्थिरता	फलदार पौधों का वितरण एवं उन्नत किस्म के बीज का वितरण	फलदार पौधों का वितरण एवं पर्यावरण संतुलन के लिए विभिन्न किस्म के पौधों का रोपण कार्य ।
5	सामुदायिक कल्याण, राष्ट्रीय धरोहर, पारंपरिक कला एवं सँस्कृति का संवर्धन, विकास व संरक्षण	सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वाद्ययंत्रों प्रदाय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु सहयोग	सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वाद्ययंत्रों प्रदाय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रतिवर्ष सहयोग
6	खेल-कूद	ग्रामीण स्तर के विभिन्न खेलकुद हेतु आर्थिक मदद प्रतिवर्ष किया जाता है ।	ग्रामीण स्तर के विभिन्न खेलकुद का प्रतिवर्ष आयोजन एवं आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है ।
7	ग्रामीण विकास परियोजनाएं एवं आधारभूत संरचनाएं	ग्रामीणों को दूरस्थ अंचल का भ्रमण, आय अर्जन हेतु मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण एवं सुदूर अंचल के गावों तक पहुंच मार्ग बनाने एवं सड़क का मरम्मतिकरण का कार्य ।	ग्रामीणों को दूरस्थ अंचल का भ्रमण, आय अर्जन हेतु मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, पहुंच मार्ग का मरम्मतीकरण एवं मंदिर निर्माण ।

परिशिष्ट "सात"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2260) के भाग (क) की जानकारी ]

क्रमांक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवारजनों को दी जाने वाली राशि एवं सहायता / सुविधाएं	पात्रता	संबंधित नियम/ परिपत्र
1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन सम्मान निधि	रु. 15,000/- (प्रतिमाह)	छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
2.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होने पर विधवा पत्नी को पेंशन सम्मान निधि का अंतरण	रु. 15,000/- (प्रतिमाह)	परिपत्र क्र. एफ 5-1/2004/1-7, दिनांक 28.01.2010
3.	अंत्येष्टि हेतु परिवार को सहायता राशि	रु. 6,000/-	परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/2008/1-7, दिनांक 05.06.2010
4.	राज्य तथा राज्य के बाहर निजी बसों में एक अटेंडेंट सहित नि: शुल्क यात्रा सुविधा	नि:शुल्क	परिपत्र क्रमांक एफ 6-2/2003/1-7, दिनांक 08.02.2008
5.	शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा/दवा की व्यवस्था	नि:शुल्क	परिपत्र क्र. एफ 14-12/1/13/99 दिनांक 24.7.1999
6.	डेन्चर (दांत)/चश्मा एवं हीयरिंग एड यंत्र प्रदाय करना	नि:शुल्क	परिपत्र क्र. 4855/5200/86/एक/1/एफ.एफ. दिनांक 10.11.1986
7.	चिकित्सा सहायता अनुदान राशि	अधिकतम रु. 20,000/-	छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986
8.	कृषि/पशु चिकित्सा तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में पुत्रों/पुत्रियों को प्रवेश में सीट आरक्षण	प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध कुल स्थानों का 3 प्रतिशत	परिपत्र क्र. शैक्ष/ए-11/7032, दिनांक 22.11.1975
9.	मेडिकल कालेज में पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश में सीट आरक्षण	प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध कुल स्थानों का 3 प्रतिशत	परिपत्र क्र. 2468/5548/17/मेडि/2/80, दिनांक 18.7.1980
10.	पुत्र एवं पौत्रों को पोलिटेक्निक एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में सीट आरक्षण	प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध कुल स्थानों का 3 प्रतिशत	परिपत्र क्र. 40/2/80/एच/8/80, दिनांक 18.06.1981
11.	शासकीय सेवा में प्राथमिकता	परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर निर्धारित शर्तों के अधीन	परिपत्र क्र. 175/सी.आर./774/एक(तीन)/72, दिनांक 27.02.1973
12.	नाती/नातिन एवं पौत्र/पौत्रियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था।	शैक्षणिक संस्था से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के उद्देश्य से	परिपत्र क्र. 2656/1722/92/1/13 दिनांक 06.11.1992

## परिशिष्ट "आठ"

[ तारकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2373) के भाग (क) की जानकारी ]

## छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उपभोक्ता के मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु निर्धारित मापदण्ड

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	टीप
1	मीटर रीडिंग हेतु पहुंच सुनिश्चित करना	उपभोक्ता द्वारा मीटर तक पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
2	मीटर रीडिंग का काल चक्र	जहाँ तक संभव हो महीने की एक ही तारीख पर मीटर रीडिंग करना। राज्य नियामक आयोग द्वारा कृषि पंप कनेक्शन तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में औद्योगिक तथा अस्थाई कनेक्शनों को छोड़कर अन्य कनेक्शन की रीडिंग तीन माह में एक बार करने हेतु छूट प्रदान की है। इन स्थानों पर भी वितरण कंपनी द्वारा सामान्यतः महीने में एक बार रीडिंग का प्रयास किया जाता है।
3	मीटर रीडिंग हेतु विभिन्न साधन	मीटर वाचक द्वारा/ स्पॉट बिल मशीन से/ आटोमेटेड मीटर रीडिंग से।
4	परिसर के बंद होने पर मीटर रीडिंग की व्यवस्था	उपभोक्ता स्वयं मीटर रीडिंग की जानकारी संबंधित कार्यालय में दे सकता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में दिगत 12 माह की औसत खपत के आकलन के आधार पर बिल जारी करने का प्रावधान है।
5	मीटर बंद/खराब/जले पाये जाने की स्थिति में रीडिंग की व्यवस्था	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से औसत खपत का ऑकलन कर बिल जारी करने का प्रावधान है।
6	उपभोक्ता द्वारा विशेष मीटर रीडिंग की मांग करने पर रीडिंग की व्यवस्था	विशेष परिस्थिति में जैसे परिसर के उपयोग करने वाले व्यक्ति में बदलाव आने अथवा परिसर के रिक्त होने की स्थिति में, उपभोक्ता लिखित आवेदन कर माह के बीच में भी मीटर रीडिंग करने हेतु मांग कर सकता है। इस विशेष रीडिंग हेतु अतिरिक्त निर्धारित शुल्क उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
7	मीटर रीडिंग उपरांत बिल जारी करना	मीटर रीडिंग उपरांत बिल सामान्यतः 10 दिवस की कालावधि में जारी किये जाते हैं। स्पॉट बिलिंग की स्थिति में मीटर रीडिंग उपरांत मशीन से तैयार बिल उपभोक्ता को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाता है। ए.एम.आर. (आटोमेटेड मीटर रीडिंग) माध्यम से की गई रीडिंग के बिल सामान्यतः माह के प्रथम सप्ताह में जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट "नौ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1793) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

प्रश्नांक अवधि में कौरवा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, पात्र एवं अपात्र की जानकारी

क्र.	वर्ष	सामूहिक विवाह हेतु कुल प्राप्त आवेदन	पात्र आवेदन	अपात्र आवेदन	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	2013-14	130	130	0	
2	2014-15	255	255	0	पात्र में से 1 जोड़ा विवाह हेतु उपस्थित नहीं हुए।
3	2015-16	200	200	0	
4	2016-17	0	0	0	
योग		585	585	0	

प्रपत्र "ब"

क्रोरबा जिले में प्रश्नांश अवधि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत दिये गये उपहार एवं व्यय की जानकारी

नायोजन की तिथि	क्या-क्या उपहार प्रदान किये गये (विवरण दे)	उपहार सामग्री पर व्यय राशि
1	2	3
28.02.2014	श्रृंगार पेंटी, आलता, कंधी, बिन्दी, चूड़ी, पाउडर, नेल पॉलिश, सिन्दुर, सेफ्टी पिन, पगड़ी, माला, मुकुट, चांदी का मंगलसूत्र, बिंदिया, साडी सेट, शेरवानी कुर्ता, पैजामा, गमछा, टेबल पंखा, गद्दा, चादर, तकिया, आलमीरा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, स्टील ड्रम, लोटा, प्रेशर कूकर, स्टील परात, स्टील मसाला डिब्बा, टीन की पेंटी एवं 1000 रुपये का चेक दिया गया।	15,86,702 / -
25.03.2015		31,00,172 / -
27.03.2016	पैजामा, कुर्ता, दुल्हा सांफा, दुल्हा पगड़ी, लेडिस नेपकीन, जेन्टस नेपकीन, दुल्हन साड़ी, पेंटीकोट, ब्लाउज, चुनरी, लेडिज चप्पल, जेन्टस चप्पल, चांदी मंगलसूत्र, वर मयूर मुकुट, वधु मयूर मुकुट, चूड़ी सेट, तेल, सिन्दुर, पाउडर, कंधी, क्लीप सेट, बक्कल, सेफ्टी पिन, लिपिस्टिक, लाल बिंदी, नेल पॉलिश, फेश क्रीम, आलता, मेहन्दी, काजल डिबिया, सिंगार बाक्स, सूटकेश, कलाई घड़ी (जोड़ा), टार्च, गद्दा, तकिया (जोड़ा), चादर पंखा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, परात, पानी टंकी, प्लेट, लोटा, जग, आलमीरा एवं 1000 रुपये का चेक दिया गया।	24,52,000 / -
<b>कुल</b>		<b>71,38,874 / -</b>

नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "दस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 99) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला सुकमा के विकासखण्ड छिन्दगढ़ में रेडी टू ईट फुड का संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड छिन्दगढ़ अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परियोजनागत शामिल सेक्टर का नाम	आई.सी.डी.एस. हितग्राहियों के लिये रेडी टू ईट का संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूह का नाम एवं पता	गैर सबला योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लिये रेडी टू ईट का संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूह का नाम एवं पता
1	2	3	4	5
1		पाकेला	इंदिरा स्व सहायता समूह चिपुरपाल	श्रीया स्व सहायता समूह पेदापारा पाकेला
2		चिपुरपाल		रूपा स्व सहायता समूह चिपुरपाल
3		कुंदनपाल	रूपा स्व सहायता समूह चिपुरपाल	डेबरीधुर स्व सहायता समूह कुन्दनपाल
4		रोकेल	दुर्गा स्व सहायता समूह (रोकेल)	ज्ञानलता स्व सहायता समूह अमर रोकेल
5		पेंदलनार	सोनी स्व सहायता समूह पेंदलनार	मौ तारणी स्व सहायता समूह अन्दुमपाल
6		छिन्दगढ़	बसंती स्व सहायता समूह छिन्दगढ़	तारा स्व सहायता समूह महारापारा
7		मिचवार		आनंद स्व सहायता समूह ब्लाकपारा छिन्दगढ़
8	तोंगपाल	गुडरा		झील स्व सहायता समूह नहरपारा तोंगपाल
9		तोंगपाल	सागर स्व सहायता समूह तोंगपाल	जय मौ दतेश्वरी स्व सहायता समूह तोंगपाल
10		लेदा	दुर्गा स्व सहायता समूह बाजार पारा तोंगपाल	मोंगराफूल स्व सहायता समूह चिड़पाल
11		पुसपाल	कमला स्व सहायता समूह स्कूलपारा पुसपाल	स्वास्तिक स्व सहायता समूह पुसपाल
12		नेतानार	डोंगरदई स्व सहायता समूह कुम्हारपारा पुसपाल	कानीमाता स्व सहायता समूह गुम्मा

## परिशिष्ट "ग्यारह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 972) के भाग (ख) की जानकारी ]

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 से 31 जनवरी 2017 तक ग्रामों में स्थापित सोलर  
हैंडपंप की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	संख्या	विकासखंड	वर्ष
1	मानद्विप	मानद्विप	1	कसडोल	2014-15
2	अमलीडीह	अमलीडीह	1	बिलाईगढ़	2015-16
4	कुशगढ़	कुशगढ़	2	कसडोल	2015-16
5	भानपुर		1	कसडोल	2014-15
6	धमलपुर	धमलपुर	1	कसडोल	2015-16
3	नयांपारा		1	कसडोल	2015-16
7	बया	बया	1	कसडोल	2014-15
8	धाराशिव	धाराशिव	1	बिलाईगढ़	2014-15
9	रैनकोट	रैनकोट	1	बिलाईगढ़	2016-17
10	तेन्दुवा	तेन्दुवा	1	बिलाईगढ़	2016-17
11	पुरगांव	पुरगांव	1	बिलाईगढ़	2016-17

परिशिष्ट "बारह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 975) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में ट्रेडवार कौशल उन्नयन की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या
1	2014-15	कारपेंटर	39
		सहा. राजमिस्त्री	20
		राजमिस्त्री	40
		रेफिजरेशन एयर कंडिशनर	20
		इलेक्ट्रिशियन	20
2	2015-16	गारमेंट	51
		टेली	143
		कारपेंटर	20
		टेलर	19
		सैम्पलिंग टेलर	18
		हेण्ड इंब्रायडरी	61
		राजमिस्त्री	91
		जनरल ड्यूटी अटेन्डेस	56
योग			598

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में कौशल उन्नयन की जानकारी

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्रशिक्षित श्रमिक संख्या
01	बलौदाबाजार	415
02	कसडोल	91
03	भाटापारा	92
	योग	598

17 मार्च, 2019 ]

## परिशिष्ट "तेरह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1016) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र रामपुर के वर्ष 2015 से दिसम्बर 2016 तक कराई गई तीर्थयात्राओं की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	तीर्थ स्थान	दिनांक	विकासखण्ड का नाम		योग
			कोरबा	करतला	
1	2	3	4	5	6
1	अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, वैष्णोमाता मंदिर, बाघा बार्डर	20.02.2015 से 24.02.2015	0	18	18
2	बाबा बैजनाथ धाम, बजरंग बली मंदिर, अनुकूलन ठाकुर जी का सत्संग मंदिर	10.05.2015 से 12.05.2015	36	58	94
3	अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वैष्णोमाता मंदिर, बाघा बार्डर	23.05.2015 से 27.05.2015	7	12	19
4	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	31.05.2015 से 05.06.2015	0	25	25
5	बोधगया, सारनाथ, नालंदा	18.07.2015 से 21.07.2015	37	146	183
6	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	23.08.2015 से 28.08.2015	11	0	11
7	गंगासागर, बिरला मंदिर कालीघाट	03.10.2015 से 06.10.2015	20	160	180
8	उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर	01.12.2015 से 04.12.2015	0	24	24
9	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	13.12.2015 से 18.12.2015	0	20	20
10	द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर	07.01.2016 से 12.01.2016	52	99	151

क्र.	तीर्थ स्थान	दिनांक	विकासखण्ड का नाम		योग
			कोरबा	करतला	
1	2	3	4	5	6
11	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	05.03.2016 से 10.03.2016	0	14	14
12	हरिद्वार, ऋषिकेश, भारत माता मंदिर	26.03.2016 से 30.03.2016	56	79	135
13	उज्जैन सिंहस्थ	22.04.2016 से 25.04.2016	23	77	100
14	वैष्णोदेवी, रघुनाथ मंदिर, बघेबाहु	16.06.2016 से 22.06.2016	56	60	116
15	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	20.07.2016 से 25.07.2016	0	20	20
16	तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम्	20.10.2016 से 27.10.2016	56	61	117
योग			354	873	1227

## प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं :-

1. बोर्डिंग हेतु स्टेशन तथा गृह निवास तक तीर्थयात्रियों को पहुंचाने की सुविधा।
2. समस्त हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट कराये जाने की सुविधा।
3. यात्रा के दौरान किट में सामग्री दी जाती है।
4. यात्रा के दौरान शाकाहारी नास्ता एवं भोजन।
5. तीर्थयात्रियों के रुकने हेतु धर्मशाला/होटल की व्यवस्था।
6. प्रत्येक तीर्थयात्रा में तीन तीर्थ स्थलों का निःशुल्क भ्रमण।
7. तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए बस की व्यवस्था।
8. यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा।
9. टूरिस्ट गाईड की व्यवस्था।
10. दुर्घटना बीमा की सुविधा।
11. तीर्थयात्रा के दौरान पेय जल की सुविधा।

## परिशिष्ट "चौदह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1049) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2016-17 में ( जनवरी 2017 तक ) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अन्तर्गत कराई गई यात्राओं की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	तीर्थ स्थान का नाम	विकासखण्ड का नाम			योग
		बलौदाबाजार	सिमगा	तिल्दा	
1	तिरूपति, मदुरै, रामेश्वरम्	49	12	15	76
2	उज्जैन सिंहस्थ	14	9	0	23
3	-उज्जैन सिंहस्थ	0	4	0	4
4	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)	6	0	2	8
5	द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर	59	11	27	97
6	पुरी, भवुनेश्वर, कोणार्क	53	14	36	103
7	शिरडी, शनिसिंगनापुर, त्रयम्बकेश्वर	46	39	23	108
8	प्रयाग, काशी विश्वनाथ, हनुमान मंदिर	52	25	10	87
9	द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर	14	0	0	14
	<b>योग</b>	<b>293</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>520</b>

## प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं :-

1. बोर्डिंग हेतु स्टेशन तथा गृह निवास तक तीर्थयात्रियों को पहुंचाने की सुविधा।
2. समस्त हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट कराये जाने की सुविधा।
3. यात्रा के दौरान किट में सामग्री दी जाती है।
4. यात्रा के दौरान शाकाहारी नास्ता एवं भोजन।
5. तीर्थयात्रियों के रुकने हेतु धर्मशाला/होटल की व्यवस्था।
6. प्रत्येक तीर्थयात्रा में तीन तीर्थ स्थलों का निःशुल्क भ्रमण।
7. तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए बस की व्यवस्था।
8. यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा।
9. ट्रिस्ट गार्ड की व्यवस्था।
10. दुर्घटना बीमा की सुविधा।
11. तीर्थयात्रा के दौरान पेय जल की सुविधा।

## परिशिष्ट "पन्द्रह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1243) के भाग (क) की जानकारी ]

<u>वर्ष 2015-16</u>			
क्र0	शिविर दिनांक	स्थान	प्राप्त आवेदन संख्या
1	24.04.2015	चंदखुरी फार्म	0
2	25.06.2015	बड़गांव	0
3	29.10.2015	कोरासी	1
4	12.02.2016	भित्ताई	0
योग			1

<u>वर्ष 2016-17</u>			
क्र0	शिविर दिनांक	स्थान	प्राप्त आवेदन संख्या
1	05.10.2016	पचेड़ा	1
2	25.02.2017	अमोदी	0
योग			1

परिशिष्ट "सोलह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1473) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

बस्तर जिले के ग्राम बस्तर में मुख्य खनिज चूनापत्थर, मार्बल सह अन्य खनिज (डायमेशन) स्टोन के स्वीकृत खनिपट्टे, खदान का निरीक्षण किये जाने का दिनांक एवं निरीक्षणकर्ता का पद नाम, खदान से उत्खनित खनिज की मात्रा एवं प्राप्त राजस्व की जानकारी

क्र	संस्था/कंपनी का नाम एवं पता	स्वीकृत रकबा (हेक्टर में)	स्वीकृत अवधि	शर्त, जिसके तहत खनिपट्टा स्वीकृत किया गया	वर्ष 2014 से फरवरी 2017 तक की अवधि में खदान का निरीक्षण किये जाने का दिनांक एवं निरीक्षणकर्ता का पद नाम		वर्ष 2014 से जनवरी 2017 तक की अवधि में	
					दिनांक	निरीक्षणकर्ता का पद नाम	उत्खनित खनिज की मात्रा (घन मी. में)	प्राप्त राजस्व (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नवीन कुमार अग्रवाल पता मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)	4.026	दिनांक 21.11.2013 से 20.11.2043 तक (30 वर्ष)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 सपठित संगमरमर विकास और संरक्षण नियम 2002, खनिज रियायत नियम 1960 तथा खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1988, स्वीकृति आदेश दिनांक 27.09.2013 एवं अनुबंध निष्पादन में आपसी सहमति से उल्लेखित शर्तों के तहत	20.09.2014	खनि सुपरवाइजर	3109.8	23,90,500
					04.03.2015	राजस्व निरीक्षक बस्तर एवं खनि सुपरवाइजर		
					26.08.2016	खनि निरीक्षक		
					04.02.2017	खनि निरीक्षक		

परिशिष्ट "सत्रह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1910) के भाग (ख) की जानकारी ]

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की के तहत प्रशिक्षण की जानकारी

वर्ष 2014-15

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या	प्रशिक्षण शुल्क	मानदेय राशि	परीक्षा शुल्क
1	बेडसाईड असिस्टेंट	01.12.2014	जीविका लाईवलीहुड कालेज, तह0जिला कोण्डागांव	19	484000.00	0.00	16000.00
2	बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग	01.10.2014	छ0ग0 अन्त्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र, तह0जिला-कोण्डागांव	10	18000.00	12600.00	8000.00
3	ड्राईवर कम प्लून	01.10.2014	छ0ग0 अन्त्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र, तह0जिला-कोण्डागांव	10	27000.00	42525.00	8000.00
4	असिस्टेंट मेशन	17.09.2014	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर माकडी, तह0माकडी जिला-कोण्डागांव	24	108000.00	179445.00	19200.00
5	असिस्टेंट मेशन	17.09.2014	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर विश्रामपुरी, तह0विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव	50	225000.00	258569.00	40000.00
6	असिस्टेंट मेशन	07.11.2014	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर, फरसगांव, तह0फरसगांव जिला-कोण्डागांव	50	225000.00	0.00	40000.00
7	असिस्टेंट मेशन	06.01.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर कोण्डागांव, तह0जिला-कोण्डागांव	50	412500.00	0.00	40000.00
8	असिस्टेंट मेशन (डीसीए)	15.12.2014	छ0ग0 अन्त्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र, तह0जिला-कोण्डागांव	65	52000.00	0.00	52000.00
<b>कुल</b>				<b>278</b>	<b>1551500.00</b>	<b>493139.00</b>	<b>223200.00</b>

वर्ष 2015-16

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या	प्रशिक्षण शुल्क	मानदेय राशि	परीक्षा शुल्क
1	बेडसाईड असिस्टेंट	15.06.2015	जीविका लाईवलीहुड कालेज, तह0जिला कोण्डागांव	20	247500.00	110130.00	16000.00
2	मेशन	13.07.2015	जीविका लाईवलीहुड कालेज, तह0जिला कोण्डागांव	35	481250.00	163515.00	28000.00
3	मेशन	15.06.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर कोण्डागांव, तह0जिला-कोण्डागांव	50	350000.00	0.00	0.00

4	इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक	14.08.2015	भास्कर फाउण्डेशन कोण्डागांव तह0जिला कोण्डागांव	20	360000.00	272862.00	16000.00
5	इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक	25.02.2016	भास्कर फाउण्डेशन कोण्डागांव तह0जिला कोण्डागांव	20	0.00	0.00	16000.00
6	एकाउंटिंग	29.06.2015	पर्णवी विकास समिति, कोण्डागांव तह0जिला-कोण्डागांव	20	247500.00	0.00	16000.00
7	मेशन	30.01.2016	देवनागरी ट्रेनिंग सेन्टर, बडेभिरावण्ड तह0जिला-कोण्डागांव	60	900000.00	0.00	48000.00
8	इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक	16.01.2016	देवनागरी ट्रेनिंग सेन्टर, बडेभिरावण्ड तह0जिला-कोण्डागांव	31	446400.00	0.00	24800.00
9	मेशन	05.03.2016	संस्कार एजुकेशन एवं युमेन एम्प्लॉयमेन्ट सोसाईटी, ग्राम बम्हनी तह0जिला-कोण्डागांव	20	0	0.00	16000.00
10	टेलर (बेसिक सेविंग आपरेटर)	05.03.2016	संस्कार एजुकेशन एवं युमेन एम्प्लॉयमेन्ट सोसाईटी, ग्राम बम्हनी तह0जिला-कोण्डागांव	30	243000.00	0.00	24000.00
11	मेशन	16.06.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर माकडी, तह0माकडी जिला-कोण्डागांव	30	200000.00	366748.00	24000.00
12	मेशन	16.01.2016	रुद्रा टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, बाडागांव तह0 बडेराजपुर जिला-कोण्डागांव	95	1377000.00	0.00	76000.00
13	मेशन	06.06.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर विश्रामपुरी, तह0विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव	50	687500.00	506553.00	0.00
14	मेशन	04.08.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर विश्रामपुरी, तह0विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव	60	300000.00	32000.00	0.00
15	मेशन	13.05.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर, केशकाल तह0केशकाल जिला-कोण्डागांव	50	350000.00	40000.00	0.00
16	मेशन	06.06.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर, केशकाल तह0केशकाल जिला-कोण्डागांव	50	0.00	0.00	0.00
17	मेशन	16.01.2016	भदानी टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, बोरगांव तह0 केशकाल जिला-कोण्डागांव	95	1437000.00	0.00	76000.00
18	मेशन	16.01.2016	इन्द्रावती वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, धनोरा तह0 केशकाल जिला-कोण्डागांव	80	1185000.00	0.00	64000.00
19	मेशन	30.07.2015	जनपद ट्रेनिंग सेन्टर, फरसगांव, तह0फरसगांव जिला-कोण्डागांव	30	0.00	0.00	0.00
20	टेलर (बेसिक सेविंग आपरेटर)	30.03.2016	श्री सर्वोदय फाउण्डेशन, ग्राम लंजोडा तह0फरसगांव जिला-कोण्डागांव	20	162000.00	0.00	16000.00
<b>कुल :-</b>				<b>866</b>	<b>8974150.00</b>	<b>1491808.00</b>	<b>460800.00</b>

## परिशिष्ट "अट्टारह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2087) के भाग (क) की जानकारी ]

जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड बलौदा एवं नवागढ़ में गौण खनिज से वर्षवार प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी

विकासखण्ड का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
बलौदा	62584921	47504296	52307020	71656702	234052939
नवागढ़	398750	4046385	2782115	6033167	13260417
महायोग					247313356

परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2212) की जानकारी ]

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत प्रदेश में सम्पन्न कराए गए विवाह में लाभान्वित जोड़ों, व्यय राशि, लंबित राशि की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	परियोजना का नाम	आयोजन स्थल का नाम	विवाह आयोजन की तिथि	विवाह सम्पन्न कराये गये जोड़ों की संख्या	व्यय राशि			कुल व्यय राशि	
						सामग्री पर व्यय	आयोजन पर व्यय	खाते/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदायित		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2015-16	महासमुन्द शहरी	घुवापाली विकासखण्ड-बागबाहरा	27-02-2016	8	92000	20000	8000	120000	
2		महासमुन्द ग्रामीण			18	207000	45000	18000	270000	
3		बागबाहरा			11	126500	27500	11000	165000	
4		पिथौरा			13	149500	32500	13000	195000	
5		बसना			10	115000	25000	10000	150000	
6		सरायपाली			22	253000	55000	22000	330000	
						82	943000	205000	82000	1230000
1			महासमुन्द शहरी	बिरकौली चण्डी मंदिर विकासखण्ड-महासमुन्द	10-03-2016	18	207000	45000	18000	270000
2		महासमुन्द ग्रामीण	18			207000	45000	18000	270000	
3		बागबाहरा	22			253000	55000	22000	330000	
4		पिथौरा	18			207000	45000	18000	270000	
5		बसना	18			207000	45000	18000	270000	
6	सरायपाली	21	241500			52500	21000	315000		
		कुल			115	1322500	287500	115000	1725000	
		कुल योग(2015-16)			197	2265500	492500	197000	2955000	
1	2016-17 में 31 जनवरी 2017 तक	महासमुन्द शहरी	मुन्गासेर विकासखण्ड-बागबाहरा	09-05-2016	13	149500	32500	13000	195000	
2		महासमुन्द ग्रामीण			16	184000	40000	16000	240000	
3		बागबाहरा			33	379500	82500	33000	495000	
4		पिथौरा			21	241500	52500	21000	315000	
5		बसना			10	115000	25000	10000	150000	
6		सरायपाली			20	230000	50000	20000	300000	
		कुल			113	1299500	282500	113000	1695000	
		कुल योग (2015-16 से 2016-17)			310	3565000	775000	310000	4650000	

## परिशिष्ट "बीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2238) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## मंत्रालय पदस्थापना में सचिव स्तर के कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा

स.क्र. (1)	नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1	श्रीमती ऋचा शर्मा (भा.प्र.से. 1994)	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
2	श्रीमती निधि छिब्बर (भा.प्र.से. 1994)	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अति. प्रभार)
3	श्री विकास शील (भा.प्र.से. 1994)	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग अध्यक्ष, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अति.प्रभार)
4	श्री गणेश शंकर मिश्रा (भा.प्र.से.1994)	सचिव, जल संसाधन विभाग सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अति. प्रभार)
5	श्री सुबोध कुमार सिंह (भा.प्र.से. 1997)	सचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक व प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, सचिव, खनिज साधन विभाग, अध्यक्ष, सीएमडीसी, सचिव, लोक निर्माण विभाग (अति. प्रभार)
6	डॉ.एम.गीता (भा.प्र.से. 1997)	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास
7	श्री सोनमणि बोरा (भा.प्र.से 1999)	सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग
8	श्री अशोक अग्रवाल (भा.प्र.से 2000)	आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन, सचिव, माननीय राज्यपाल (अति. प्रभार)
9	श्री देवी दयाल सिंह (भा.प्र.से. 2000)	सचिव, सहकारिता विभाग तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अति. प्रभार)
10	श्रीमती शहला निगार (भा.प्र.से. 2001)	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, वित्त विभाग (अति. प्रभार)
11	श्री संतोष कुमार मिश्रा (भा.प्र.से. टी.एन. 2000)	सचिव, जनसंपर्क विभाग सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग (अति. प्रभार)
12	श्री अतुल कुमार शुक्ला ( भा.व.से. 1986)	सचिव, वन विभाग
13	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (भा.व.से 1987)	सचिव, कृषि विभाग
14	श्री संजय शुक्ला (भा.व.से. 1987)	सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (अति. प्रभार)

स.क्र. (1)	नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
15	श्री आशीष कुमार भट्ट (भा.व.से 1988)	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सचिव, ऊर्जा विभाग (अति. प्रभार)
16	श्री अनिल राय (भा.व.से 1990)	प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सड़क विकास निगम विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (अति.प्रभार)
17	श्री अनिल कुमार साहू (भा.व.से. 1990)	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अति. प्रभार)
18	श्री अरूण देव गौतम (भा.पु.से.)	सचिव, गृह विभाग
19	श्री एम.के.त्यागी सेवानिवृत्त (भा.प्र.से) संविदा	संचालक, छ.ग.राज्य प्रशासन अकादमी सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, ऊर्जा (अति. प्रभार)

## प्रपत्र "ब"

मंत्रालयीन सेवा में वर्ष 2016-17 में निम्नांकित संवर्ग की भर्ती की गई -

क्र	संवर्ग
(1)	(2)
1	सहायक ग्रेड-3
2	डाटा एन्ट्री आपरेटर
3	स्टेनो टायपिस्ट

वर्तमान में मंत्रालयीन सेवा में रिक्त पदों की जानकारी

क्र	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	अपर सचिव	01
2	संयुक्त सचिव	01
3	उप सचिव	01
4	ग्रंथपाल	02
5	सहायक ग्रंथपाल	01
6	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01
7	सहायक ग्रेड-1	19
8	केयर टेकर	01
9	पेट्री मैनेजर	01
10	सहायक प्रोग्रामर	02
11	सहायक लेखा अधिकारी	01
12	कनिष्ठ विश्लेषक	01
13	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	04
14	सहायक ग्रेड-2	82
15	शीघ्रलेखक	37
16	लेखापाल	02
17	डाटा एन्ट्री आपरेटर	03
18	केशियर	02
19	लिफ्ट आपरेटर	01
20	सहायक ग्रेड-3	81
21	स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी)	43
22	कुक	02
23	वाहन चालक	06
24	दफ्तरी	14
25	जमादार	04
26	भृत्य	88
27	बुक बाईंडर	01
28	बुक असस्टिण्ड	01
29	भृत्य कलेक्टर दर	40

परिशिष्ट "इक्कीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2268) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

वर्ष 2010 से प्रदेश में विभिन्न इकाई/कंपनी को कोयला उत्खनन हेतु स्वीकृत लीज की जानकारी

क्र.	इकाई/कंपनी का नाम	कोल ब्लॉक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	स्वीकृत रकबा (हेक्टर में)	स्वीकृत अवधि	इकाई/कंपनी का राज्य में स्थापित औद्योगिक संयंत्र	वर्ष 2010 से दिनांक 31.1.2017 तक जमा रायल्टी(रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गारेपेलमा-IV/4	जिला रायगढ़, तहसील तमनार, ग्राम कोडकेल, बनखेता, बांजीखोल, बालजोर, डोंगामौहा एवं वनभूमि	884.846	16.10.2015 से 15.10.2035	नहीं है	113670200/-
2	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गारेपेलमा-IV/5	जिला रायगढ़, तहसील तमनार, ग्राम लमदरहा, कोडकेल, मीलूपारा, बांजीखोल एवं वनभूमि	829.82	16.10.2015 से 15.10.2045	नहीं है	153238800/-
3	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड	गारेपेलमा-IV/7	जिला रायगढ़, तहसील तमनार, ग्राम करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, बजरमुड़ा, डोलनारा, गारे	335.736	कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन नहीं कराया गया है।	है	निरंक
4	मेसर्स अबुजा सीमेंट लिमिटेड	गारेपेलमा-IV/8	जिला रायगढ़, तहसील तमनार, ग्राम खम्हरिया, करवाही, लमदरहा, मीलूपारा एवं वनभूमि	474.703	31.12.2015 से 30.12.2045	नहीं है	निरंक

क्र.	इकाई/कम्पनी का नाम	कोल ब्लॉक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	स्वीकृत रकबा (हेक्टर में)	स्वीकृत अवधि	इकाई/ कम्पनी का राज्य में स्थापित औद्योगिक संयंत्र	वर्ष 2010 से दिनांक 31.1.2017 तक जमा रायल्टी(रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	गारेपेलमा सेक्टर-III	जिला रायगढ़, तहसील तमनार, ग्राम ढोलनारा, बजरमुड़ा, करवाही, खम्हरिया, मीलूपारा एवं वनभूमि	629.538	23.02.2017 से 22.02.2047	है	निरंक
6	मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	परसा ईस्ट एवं कैंटेबासेन	जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर, ग्राम सल्ही, हरिहरपुर, परसा, केते, घाटबर्सा एवं वनभूमि	2388.525	दिनांक 26.05.2012 द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आबंटन निरस्त किये जाने के उपरांत द कोल माईन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकंड ओर्डिनंस 2014 के प्रावधानो तहत पुनः आबंटन होने से दिनांक 02.11.2015 को 30 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किया गया है।	नहीं है	1791263207 /-
7	मेसर्स भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	चोटिया	जिला कोरबा, तहसील पोड़ी, ग्राम चोटिया	1179.826	16.10.2015 से 15.10.2035	है	55188388 /-

## परिशिष्ट "बाईस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2274) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त लो-वोल्टेज की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लो वोल्टेज हेतु कृत कार्यवाही का विवरण
1	तोकापाल	टहकापाल	राशि रू0 58.65 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
2	तोकापाल	बुरजी	राशि रू0 117.29 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
3	तोकापाल	साकरगांव	राशि रू0 14.06 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
4	तोकापाल	डिमरापाल	राशि रू0 7.12 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
5	तोकापाल	मावलीभाटा	राशि रू0 32.50 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
6	लोहण्डीगुड़ा	छिंदगांव	राशि रू0 1.59 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
7	लोहण्डीगुड़ा	बडेंधाराऊर	राशि रू0 1.86 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
8	लोहण्डीगुड़ा	छोटेपरोदा	राशि रू0 1.37 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
9	लोहण्डीगुड़ा	करंजी	राशि रू0 1.65 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
10	लोहण्डीगुड़ा	बेलर	राशि रू0 39.46 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
11	लोहण्डीगुड़ा	बड़ांजी	राशि रू0 16.51 लाख की लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।

## परिशिष्ट "तेईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2275) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

छ.ग. प्रदेश में माह जनवरी 2017 की स्थिति में मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या

क	जिले का नाम	जनवरी-2017 के एमपीआर के आंकड़ों के अनुसार 05 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों की संख्या
1	बालोद	13100
2	बलौदाबाजार	29428
3	बलरामपुर	27835
4	बस्तर	27584
5	बेमेतरा	14376
6	बीजापुर	9518
7	बिलासपुर	34314
8	दंतेवाड़ा	8028
9	धमतरी	7534
10	दुर्ग	20439
11	गरियाबंद	13640
12	जांजगीर	23900
13	जशपुर	22159
14	कांकेर	11658
15	कवर्धा	21778
16	कोण्डागांव	16017
17	कोरबा	23260
18	कोरिया	8844
19	महासमुन्द	18934
20	मुंगेली	13520
21	नारायणपुर	4699
22	रायगढ़	23628
23	रायपुर	28917
24	राजनादगांव	39435
25	सरगुजा	16360
26	सुकमा	12452
27	सूरजपुर	24009
	योग	515366

## प्रपत्र "ब"

बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में एनआरसी केन्द्र में भर्ती कराए गए बच्चों की परियोजनावार जानकारी  
बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में एनआरसी केन्द्र में भर्ती कराए गए बच्चों की परियोजनावार जानकारी

क	जिले का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष 2015-16 में एन.आर.सी में भर्ती कराये गये कुपोषित बच्चों की संख्या
1	कांकेर	कांकेर	172
		चरामा	101
		नरहरपुर	151
		भानुप्रतापपुर	130
		दुर्गुकोन्दल	93
		अंतागढ़	205
		कोयलीबेड़ा	188
		पखांजूर	239
		योग	1279
2	कोण्डागॉव	कोण्डागॉव-1	55
		कोण्डागॉव-2	77
		कोण्डागॉव-3	38
		माकड़ी	55
		फरसगॉव	18
		बड़ेडोंगर	10
		केशकाल	143
		बड़ेराजपुर	105
		योग	501
3	बीजापुर	बीजापुर	260
		भैरमगढ़	117
		भेपालपट्टनम	96
		उसूर	73
		बांसागुड़ा	18
		कुटरू	28
		योग	592
4	सुकमा	सुकमा	72
		छिंदगढ़	95
		तोंगपाल	0
		कोंटा	0
		दोरनापाल	0
		योग	167

5	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	119
		बचेली	30
		गीदम	66
		बारसूर	51
		कटेकल्याण	55
		बड़ेगुडरा	7
		कूओंकोण्डा	57
		किरंदुल	15
		योग	400
6	बस्तर	बस्तर	278
		बकावण्ड-01	136
		बकावण्ड-02	88
		जगदलपुर ग्रामीण	40
		जगदलपुर शहरी	10
		तोकापाल	50
		लोहांडीगुड़ा	32
		दरभा	232
		बास्तानार	18
		योग	884
7	नारायणपुर	नारायणपुर	110
		ओरछा	637
		बेनूर	15
		छोटेडोंगर	76
		योग	838

## प्रपत्र "स"

विभाग द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए की जा रही प्रमुख कार्यवाहियाँ  
विभाग द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए की जा रही प्रमुख कार्यवाहियाँ

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विविध सेवाओं का प्रदाय।
2. गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं के लिए रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय की घर ले जाने हेतु व्यवस्था।
3. गर्भवती माताओं के लिए महतारी जतन योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजे गर्म भोजन के प्रदाय की व्यवस्था।
4. 03 से 06 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ताजे गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था।
5. वजन त्थौहार के माध्यम से प्रतिवर्ष बच्चों के वजन का आकलन।
6. नवाजतन योजना के माध्यम से कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर सामान्य श्रेणी में लाने के विशेष प्रयास।
7. मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के माध्यम से स्वास्थ्य जांच व दवा प्रदाय की व्यवस्था।
8. मुख्यमंत्री अमृत योजना के माध्यम से सुगंधित मीठे दुग्ध प्रदाय की व्यवस्था।
9. प्रदेश के 17 जिलों में विश्व बैंक सहायित इस्निप परियोजना के माध्यम से सतत् सीख प्रक्रिया, सुपोषण चौपाल तथा अन्य विशेष प्रयास।
10. समुदाय में जागरूकता लाने के लिए विविध प्रयास।
11. पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए सघन प्रयास।
12. समय-समय पर अन्य गतिविधियाँ व अनुश्रवण।

## परिशिष्ट "चौबीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2280) के भाग (क) की जानकारी ]

(क) 01 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2017 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध अपराध के प्रकरण राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज हैं :-

क.	अपराध क्रमांक	संदेही अधिकारी का नाम, पता	आरोप का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	23/2013 28.06.2013	1. श्री डी०के० सेन, तत्कालीन संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर । 2. डॉ० प्रमोद सिंह, संयुक्त संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर । 3. संचालनकर्ता, नव जागृति कला समिति, बिलासपुर । 4. संचालनकर्ता, छत्तीसगढ़ी लोक कला समिति, धमतरी । 5. संचालनकर्ता, सुमन सौरभ, रायपुर एवं अन्य ।	लोक कला के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन जागरूकता वर्ष 2005-06 के कार्यक्रमों का संपादन एवं भुगतान में अनियमितता करना ।	विवेचना में है ।
2.	24/2013 28.06.2013	1. श्री डी०के० सेन, तत्कालीन संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर । 2. डॉ० प्रमोद सिंह, संयुक्त संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर । 3. संचालनकर्ता, ओम नव जागृति कला समिति, बिलासपुर । 4. संचालनकर्ता, छ०ग० आदर्श लोक कला समिति, धमतरी । 5. संचालनकर्ता, सुमन सौरभ सेवा संस्थान, रायपुर एवं अन्य ।	लोक कला के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन जागरूकता वर्ष 2006-07 के कार्यक्रमों का संपादन एवं भुगतान में अनियमितता करना ।	विवेचना में है ।
3.	40/2013 31.12.2013	1. श्री सुभाष मिश्रा, तत्कालीन महाप्रबंधक, छ०ग० पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर । 2. मुद्रक मेसर्स प्रबोध एण्ड कम्पनी, रायपुर । 3. मेसर्स छत्तीसगढ़ पैकेजर्स, भिलाई एवं अन्य ।	वर्ष 2009-10 में छ०ग० पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर में एम०जी०एम०एल० कार्ड्स क्लास 3-4 के मुद्रण कार्य में नियमों एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोपी द्वारा मुद्रकों से आपस में साठगांठ कर मुद्रकों को छलपूर्वक अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए डाई कटिंग की अधिक राशि 3,61,99,875/- रुपये का भुगतान कर अवैध लाभ पहुंचाया गया तथा उतनी ही राशि से शासन को अवैध आर्थिक क्षति पहुंचाई गई ।	अभियोजन स्वीकृति में लंबित ।
4.	43/2014 13.10.2014	(1) श्री जी०पी० पाण्डे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पुसौर, जिला रायगढ़ (2) श्री सुभाष चन्द्र बारीक, शाखा प्रभारी, पेंशन, जनपद पंचायत पुसौर, जिला-रायगढ़ (3) श्री स्वैत कुमार, सहायक ग्रेड-3, जनपद पंचायत, पुसौर जिला-रायगढ़	आरोपियों द्वारा आपस में साठगांठ कर जनपद पंचायत पुसौर के अंतर्गत 77 ग्राम पंचायतों में पेंशन शिदिर लगाने हेतु टेंट सामग्री किराया हेतु राशि 4,82,000/- एवं 5,83,000/- रुपये का स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री क्रय में कुल रुपये 10,65,000/- का फर्जी बिलों के माध्यम से नगद आहरण कर गबन कर छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 एवं छ.ग. वित्त/लेखा नियमों उल्लंघन करना ।	विवेचना में है ।
5.	56/2014 29.12.2014	(1) श्री आलोक अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर । (2) अबरार बेग, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर । (3) श्री जी०आर० देवांगन, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर । (4) श्री विजय कुमार सिंग ठाकुर,	श्री आलोक अग्रवाल, प्रभारी कार्यपालन अभियंता के द्वारा खारंग जल संसाधन संभाग में अपने कार्यकाल के दौरान 15 गुप (निविदा राशि 60 करोड़) में जो निविदा डाली गई थीं उसके निराकरण में फर्जी दस्तावेज तैयार कर, दस्तावेजों को असली बताकर इन निविदाओं के निविदा मूल्यांकन समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र क्रम चलाते हुए	विवेचना में है ।

		उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर। एवं अन्य	मूल्य के निविदाकार, शिकायतकर्ता विनीत सिंह, कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा0 लि0 बिलासपुर को प्री-क्वालीफिकेशन की शर्तों की आड़ में बीड से पृथक् कर अन्य ठेकेदारों को कार्य सम्पादन हेतु स्वीकृति दी गई तथा अपने घरेलू अधिकारियों तत्कालीन उपयंत्री श्री जी.आर. देवांगन, श्री अबरार बेग, श्री विजय कुमार सिंह ठाकुर व अन्य से साठगांठ कर कार्यों को अपने पद का आपराधिक दुरुपयोग करते हुए गुणवत्ताविहीन तरीके से सम्पन्न करवाकर राज्य शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाने का अपराध घटित होना पाया जाना।	
6.	09/2015 12.02.2015	(1) डॉ. आलोक शुक्ला, आई.ए.एस. तत्कालीन चैयरमैन, नागरिक आपूर्ति निगम। (2) अनिल दुटेजा, आई.ए.एस. तत्कालीन प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम।	शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवकों द्वारा अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से आपराधिक षड्यंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानीपूर्वक उपयोग कर आपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255/- (पांच करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार दो सौ पचपन) की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया एवं उपरोक्त प्रकरण में जप्त नगद राशि 3,08,26,965/- (तीन करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार नौ सौ पैंसठ) व विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120 बी, 409, 420, भा.द.वि. का अपराध घटित करना।	अभियोजन स्वीकृति प्राप्त। चालानी कार्यवाही में लंबित।
7.	45/2015 25.07.2015	(1) श्री व्ही0के0 भतपहरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (2) श्री ए0के0 चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता (3) श्री ए0के0 श्रीवास, कार्यपालन अभियंता (4) श्री आशीष भट्टाचार्य, अनुविभागीय अधिकारी (5) श्री ए0के0 वर्मा, विभागीय उप अभियंता एवं ठेकेदार श्री विनोद कुमार जैन, निवासी-रायपुर	विधानसभा मोवा फोरलेन मार्ग निर्माण में आरोपियों द्वारा ठेकेदार श्री विनोद कुमार जैन, निवासी-रायपुर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना	विवेचना में है।
8.	12/2016 09.02.2016	लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के एन्टी वायरस खरीदी प्रक्रिया से जुड़े तत्कालीन अधिकारी (लोकसेवक) एवं अन्य।	लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा आईजेक कम्प्यूटर से एन्टी वायरस सॉफ्टवेयर खरीदने में सप्लायर कंपनी के मालिक एवं एन्टी वायरस खरीदी प्रक्रिया से जुड़े तत्कालीन अधिकारियों (लोकसेवक) द्वारा शासन को षड्यंत्रपूर्वक धोखा देते हुए करोड़ों रूपयों की राशि का अनुचित भुगतान करते हुए सप्लायर को अवैध लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में है।
9.	14/2016 04.03.2016	(1) श्री एस0के0 पाठक, मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर (2) श्री पी0के0 जांगड़े, अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई, परियोजना मंडल, अम्बिकापुर.	टेण्डर क्रमांक 4202 से 4204, 4205, 4160, 4161, 4190, 4238, 4242 एवं 4244 में श्री एस0के0 पाठक, मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, पी0के0 जांगड़े, अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई, परियोजना मंडल,	अभियोजन स्वीकृति में लंबित है।

		(3) श्री ओ०पी० चंदेल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कमांक-1, (4) श्री यू०एस० राम, कार्यपालन अभियंता, बैकुण्ठपुर, सिंचाई विभाग मुख्यालय के अधिकारी एवं अन्य	अम्बिकापुर, ओ०पी० चंदेल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कमांक-1, यू०एस० राम, कार्यपालन अभियंता, बैकुण्ठपुर, सिंचाई विभाग मुख्यालय के अधिकारी एवं अन्य द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर संबंधित निविदाकारों अवैध लाभ पहुंचाकर कर शासन को निविदा में लगभग 64.88 करोड़ रुपये आर्थिक क्षति पहुंचाया जाना।	
10.	38/2016 29.04.2016	तत्कालीन मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर एवं अन्य।	राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर के तत्कालीन संचालक, खरीदी प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए मिनी इन्फोटेक एवं ग्लोबल सॉल्यूशन नामक स्थानीय सामग्री सप्लायर फर्म के संचालकों से आपस में सांठगांठ कर छलपूर्वक अपने लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों का उचित रीति से पालन न करते हुए एवं भण्डार क्य नियमों व निविदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 4,27,40,081/- रुपये की अवैध हानि शासन को पहुंचाना।	विवेचना में है।
11.	50/2016 04.06.2016	1. सदाराम ठाकुर -तहसीलदार, पिथौरा 2. पीताम्बर लाल देवांगन-राजस्व निरीक्षक, पिथौरा 3. करण चन्द्राकर-पटवारी, प०ह०नं०-11, ग्राम पिलवापाली, 4. अमर अग्रवाल -केता, निवासी रायगढ़ 5. सौरभ अग्रवाल -केता, निवासी रायगढ़ 6. गौरव अग्रवाल-केता, निवासी रायगढ़ 7. अनुराधा अग्रवाल -केता, निवासी रायगढ़ 8. गोविन्द अग्रवाल -केता, निवासी रायगढ़ 9. सरला देवी अग्रवाल -केता, निवासी रायगढ़ 10. कल्प एग्रीकल्चर फार्म -केता, निवासी रायगढ़ 11. तीताश बनिक -केता, निवासी रायगढ़ 12. पुन्नू उर्फ लक्ष्मीनारायण अग्रवाल निवासी पिथौरा 13. चमरू यादव निवासी ग्राम मेमरा तह. पिथौरा।	ग्राम पिलवापाली, तहसील-पिथौरा, जिला महासमुंद के शासकीय बड़ेझाड़ जंगल, चट्टान एवं नदी की जमीन को व्यक्तिगत नामों पर चढ़ाकर भू-माफिया एवं जमीन दलालों द्वारा शासकीय अधिकारियों के साथ मिलकर षडयंत्र कर बिक्री किया जाना।	विवेचना में है।
12.	01/2017 19.01.2017	श्री प्रताप सिंह नामदेव, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।	वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में पदस्थापना अवधि के दौरान राशि 1,99,90,240 (एक करोड़ नव्यानवे लाख नब्बे हजार दो सौ चालीस) रुपये गबन करना।	विवेचना में है।

## परिशिष्ट "पच्चीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2305) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

कंपनी का नाम	*डायरेक्टर के कुल पद	01 जनवरी 2017 की स्थिति में भरे पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं
छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर	08	06	02	दिनांक 01.01.2009 से 01 जनवरी 2017 तक दो पद
छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड रायपुर	08	06	02	(1.) दिनांक 01.01.2009 से 02.11.2011 तक— दो पद (2.) दिनांक 03.11.2011 से 30.04.2012 तक— एक पद (3.) दिनांक 01.05.2012 से 01.01.2017 तक— दो पद
छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर	09	05	04	दिनांक 01.01.2009 से 01 जनवरी 2017 तक चार पद
छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर	10	06	04	(1.) दिनांक 01 जनवरी 2009 से 29.04.2010 तक चार पद (2.) दिनांक 30.04.2010 से 30.09.2010 तक तीन पद (3.) दिनांक 01.10.2010 से 02.11.2011 तक चार पद (4.) दिनांक 03.11.2011 से 31.07.2012 तक तीन पद (5.) दिनांक 01.08.2012 से 01 जनवरी 2017 तक चार पद
छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर	08	08	—	दिनांक 01 जनवरी 2017 की स्थिति में कोई पद रिक्त नहीं है।

\* नोट:— संबंधित पाँवर कंपनी के मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन में दर्शित डायरेक्ट के अधिकतम स्वीकृत पद अनुसार जानकारी।

## प्रपत्र "ब"

विभाग के पत्र क्रमांक 2497/एफ 21/01/2016/13/2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आमंत्रित आवेदन की कंपनीवार संख्या तथा चयन के मापदण्ड

क्रमांक	कंपनी का नाम/तथा डायरेक्टर जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए	प्राप्त आवेदनों की संख्या	चयन के मापदण्ड
1	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड/ डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	06	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा पॉवर जनरेशन प्लांट के संचालन/ संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर 6 वर्ष का कार्य अनुभव।
2	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/ डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	02	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा राज्यान्तरिक (intra-state) / अंतर्राज्यीय (inter-state) हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के संचालन/ संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर 6 वर्ष का कार्य अनुभव।
3	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ डायरेक्टर कमर्शियल एवं रेग्युलेटरी अफेयर्स हेतु	02	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा विद्युत वितरण क्षेत्र के वाणिज्यिक तथा विनियमन क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 06 वर्ष का कार्य अनुभव।
4	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	06	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा विद्युत उपपारेषण/ निम्नदाब वितरण प्रणाली के संचालन/ संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 06 वर्ष का कार्य अनुभव।

नोट:- उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन में दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 58 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा रखी गई थी।

## परिशिष्ट "छब्बीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2306) के भाग (ख) की जानकारी ]

## रुपये एक करोड़ से अधिक बकाया वाले प्रकरणों में राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्रवाई की उपभोक्तावार जानकारी

सं. क्र.	उपभोक्ता का विवरण	बकाया राशि दिनांक 15.02.2017 की स्थिति में (रु. करोड़ में)	बकाया राशि की वसूली के लिये की जा रही कार्यवाही का विवरण
1	मेसर्स एस0कं0एस0 इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र सिलतारा, रायपुर	1.82	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 04.04.2016 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
2	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लि0, औद्योगिक क्षेत्र गिजलतारा, रायपुर	2.56	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.12.2013 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
3	मेसर्स ग्रिम स्पंज एंड पावर इंटरटील लि0, औद्योगिक क्षेत्र सिलतारा, रायपुर	1.19	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 13.09.2013 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
4	मेसर्स नटना ग्लोबल लि0, औद्योगिक क्षेत्र सिलतारा, रायपुर	21.90	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 29.08.2013 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
5	मेसर्स श्री वजरंग पावर एंड इस्पात लि0, बोरझरा रायपुर	9.49	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 09.09.2013 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
6	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, मंदिर हसीद, रायपुर	32.96	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 08.10.2014 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
7	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़	42.16	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.12.2015 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
8	मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड, सोनाडीह, बलीदा बाजार	15.31	कास सभिसिडी सरचार्ज की बकाया राशि की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 18.12.2015 को स्थगन आदेश जारी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपेक्षित।
9	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र कुमारसोडरा	440.04	रेल्वे से बकाया राशि की वसूली का प्रकरण "आर्बीट्रेशन" में लंबित है।
10	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र डिलगिरी	69.89	
11	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र आमगुडा	258.01	
12	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र कानकरगांव	413.12	
13	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र भांसी	276.98	
14	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र गीदम	317.85	
15	रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र लोकापाल	23.87	
16	मेसर्स सीनियर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (मिथारही) दपूम, रायपुर प्रत्येक	368.07	

17	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उरकुवा रेल्वे ट्रेक्शन, औद्योगिक क्षेत्र सिलता.	277.23	रेल्वे से बकाया राशि की वसूली का प्रकरण "आर्बीडेशन" में लंबित है।
18	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म. रेलवे) चाम्पा	10.21	
19	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म. रेलवे) अकलतरा	3.83	
20	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म.रेल्वे) रायगढ	11.75	
21	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म.रेल्वे) रायगढ	12.28	
22	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म.रे.) कोरबा	5.12	
23	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (द.पू.म. रेलवे) विलासपुर कर्षण उप०	7.00	
24	एस.ई.रेल्वे, भिलाई ट्रेक्शन संयोजित	463.16	
25	गरासं स्टेडर्ड इरगात, भनपुरी रायपुर	1.53	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 03.03.17 को आर.आर.सी. जारी।
26	मेसर्स निकिता कास्टिंग, उरला, रायपुर	1.78	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 16.05.2017 को आर.आर.सी. जारी।
27	मेसर्स श्यामा रामा स्ट्रक्चर एण्ड पॉवर, टाटीबंध रायपुर	1.39	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 02.03.17 को आर.आर.सी. जारी।
28	मेसर्स सुपर ग्लोबल लिमि., औद्योगिक क्षेत्र सिलता, रायपुर	1.06	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 03.03.17 को आर.आर.सी. जारी।
29	मेसर्स अन्नपूर्णा मलेबल, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	6.98	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 03.03.17 को आर.आर.सी. जारी।
30	मेसर्स सी.सी.आई. मांढर, राम मांढर, रायपुर	2.30	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 11.08.1997 को आर.आर.सी. जारी।
31	मेसर्स निबि रटीला, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई (दुर्ग)	1.08	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु सी- फार्म दिनांक 29.11.2014 को जारी।
32	मेसर्स स्टेडर्ड क्रोम लिमि., रायगढ	39.69	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ राज्य विद्युत उपकम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 13.01.2015 को आर.आर.सी. जारी।
33	मेसर्स सी.सी.आई अकलतरा	13.23	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर का आदेश दिनांक 18.10.2016 एवं दिनांक 22.12.2016 के अनुसार वितरण कम्पनी के पक्ष में आदेश पारित। कम्पनी स्तर पर बकाया राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

34	मेसर्स बिलासपुर कार्स्टिंग, तिकरा, बिलासपुर	1.21	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपक्रम (इयूज रिकवरी) एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन सी फार्म दिनांक 13.05.1996 को जारी।
35	मेसर्स श्री सोमनाथ आयरन एंड पावर, ग्राम बेन्दी, रायपुर	3.60	अस्थायी रूप से विच्छेदित।
36	मेसर्स गोयल एनर्जी एंड स्टील प्रा0 लि0 यूनिट-2, ग्राम बोरझरा	2.64	दिनांक 02.03.2017 को भुगतान प्राप्त।
37	कमिश्नर मयुनिसिपल कार्पोरेशन (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) रावणभाठा, रायपुर	1.31	सार्वजनिक जल प्रदाय की विद्युत आपूर्ति हेतु अर्द्ध शासकीय संस्था के विद्युत कनेक्शन पर बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 17.02.17 से जारी।
38	कमिश्नर मयुनिसिपल कार्पोरेशन (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) भाठागांव, रायपुर	2.57	सार्वजनिक जल प्रदाय की विद्युत आपूर्ति हेतु अर्द्ध शासकीय संस्था के विद्युत कनेक्शन पर बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 17.02.17 से जारी।
39	कमिश्नर मयुनिसिपल कार्पोरेशन (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) रावणभाठा, रायपुर	1.41	सार्वजनिक जल प्रदाय की विद्युत आपूर्ति हेतु अर्द्ध शासकीय संस्था के विद्युत कनेक्शन पर बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 17.02.17 से जारी।
40	मेसर्स सेक्रेटरी, स्टेटियम, नगरपालिका, अन्तरराष्ट्रीय क्लब, स्टेटियम, परसदा, रायपुर	2.55	बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस दिनांक 17.02.2017 को जारी।
41	सी.एम.ओ. नगरपालिका परिषद, महासमुद्र	1.25	सार्वजनिक उपयोग से संबंधित विद्युत आपूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद का विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस दिनांक 08.03.17 को जारी।
42	सी.एम.ओ. मनेन्द्रगढ़	1.68	सार्वजनिक उपयोग से संबंधित विद्युत आपूर्ति हेतु अर्द्ध शासकीय संस्था का विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 868 दिनांक 01.02.2017 जारी।
43	एकजीक्यूटिव इंजिनियर (पीएचइडी) डिवजन फील्डर प्लांट, बैकुण्ठपुर,	2.42	सार्वजनिक उपयोग से संबंधित विद्युत आपूर्ति हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 866 दिनांक 01.02.2017 जारी।
44	एकजीक्यूटिव इंजिनियर (पीएचइडी) डिवजन इंटेकवेल्, बैकुण्ठपुर	1.85	सार्वजनिक जल प्रदाय से संबंधित विद्युत आपूर्ति हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 867 दिनांक 01.02.2017 जारी।
45	मुख्य मुनिसिपल अधिकारी, दुर्ग	2.31	सार्वजनिक उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी।
46	मुख्य मुनिसिपल अधिकारी, दुर्ग	3.19	सार्वजनिक उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन। बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी।
47	मेसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेंट मालपुरी खुर्द, अहिवासा	5.57	उपभोक्ता के अनुरोध पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में बकाया रु. 83593802 को तीन मासिक किस्तों में भुगतान की अनुमति दिनांक 13.01.2017 को प्रदान की गई। दिनांक 16.02.2017 को प्रथम किस्त राशि रु0 2.78 करोड़ प्राप्त।
48	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, बोरई, दुर्ग	2.19	कनेक्शन दिनांक 07.09.16 से कनेक्शन विच्छेदित। दिनांक 17.02.2017 को रुपये 1.2 करोड़ का आंशिक भुगतान प्राप्त। शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही जारी।
49	आयुक्त नगर पालिका निगम, (वाटर वर्क्स) राजनांदगांव	2.86	सार्वजनिक उपयोग से संबंधित विद्युत कनेक्शन।
50	आयुक्त नगर पालिका निगम, (ट्रीटमेंट प्लांट) राजनांदगांव	3.67	

51	डीन गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर	1.56	शासकीय मेडिकल कॉलेज का विद्युत कनेक्शन ।
52	मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमि. किरन्तुल, जिाना धननेवाडा	6.22	दिनांक 07.03.2017 को भुगतान प्राप्त।
53	एस. ई. सी. एल. दीपका लोउनीशय दीपका, कोरवा	2.45	वर्तमान में कनेक्शन चालू। केन्द्रीय सरकार के उपक्रम का विद्युत कनेक्शन।
54	एसईसीएल रजगामार माई-ना रजगामार, कोरवा	1.10	वर्तमान में कनेक्शन चालू। केन्द्रीय सरकार के उपक्रम का विद्युत कनेक्शन।
55	मेसर्स राजिन्दर स्टील औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	13.74	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपक्रम, (इयूजरिकवरी) एक्ट 1961 के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु सी फार्म जारी क० 7929 दिनांक 21.08.1998 एवं आरआरसी दि. 10.02.99 को जारी। प्रकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है।
56	मेसर्स इण्डो लइरी बायो पावर लिमिटेड, जरोदा, रायपुर	1.18	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक 3634/09 के रूप में विचाराधीन। बकाया राशि की वसूली हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपक्रम (इयूजरिकवरी) एक्ट के अधीन भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 04.10.2016 को "सी" फार्म जारी।
57	द डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर सीइआर रेल्वे बिलासपुर फार टी सी सी विश्रामपुर	9.97	विवादित बकाया राशि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 2504/2002 विचाराधीन है। वर्तमान में कनेक्शन चालू।
58	मेसर्स बालको स्मेल्टर प्लांट, कोरवा	1.08	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है।
59	मेसर्स इण्ड एप्रो सिनर्जी रायगढ़	4.95	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित।
60	मेसर्स रायगढ़ जूर मिल, रायगढ़	1.04	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित।
61	मेसर्स कनकई स्टील प्रा.लि. दुर्ग	1.29	कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित।

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2313) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला राजनांदगांव में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	जिला राजनांदगांव अंतर्गत शामिल विकासखंड का नाम	विकासखंड अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		
			आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहर	156	0	156
		राजनांदगांव ग्रा.01	187	11	198
		राजनांदगांव ग्रा.02	131	7	138
	योग		474	18	492
2	छुरिया	छुरिया 01	157	29	186
		छुरिया 02	129	33	162
	योग		286	62	348
3	मानपुर	मानपुर	243	71	314
4	मोहला	मोहला	194	67	261
5	चौकी	चौकी	229	61	290
6	डोंगरगांव	डोंगरगांव	229	11	240
7	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	263	66	329
8	खैरागढ़	खैरागढ़	280	20	300
9	छुईखदान	छुईखदान	236	73	309
	कुल योग :-		2434	449	2883

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2335) के भाग (ख) की जानकारी ]

कबीरधाम जिला अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	सभी मदों से कुल स्वीकृत आं.बा. भवनों की निर्माण की स्थिति				भवन स्वीकृति हेतु शेष आं.बा. केन्द्रों की संख्या	स्वयं के भवन विहीन आं.बा. केन्द्रों की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	किराये के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	अन्य शासकीय भवन में संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	सामुदायिक सहयोग के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	स्वयं के आंगनबाड़ी भवन जहां अहताता निर्माण स्वीकृत है			
					स्वीकृत	अप्रारम्भ	अपूर्ण	पूर्ण							स्वीकृत अहताता की संख्या	अप्रारम्भ	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	209	184	15	22	147	25	65	144	44	5	16	119	20	18	81
2			दशरंगपुर	174	167	7	9	151	7	28	146	19	5	4	122	8	6	108
3		बोड़ला	बोड़ला	192	187	8	2	177	5	21	171	11	3	7	106	8	2	96
4			तरेगाव जंगल	101	101	5	6	90	0	11	90	5	3	3	63	5	6	52
5			चिल्फी	124	124	1	1	122	0	6	118	3	2	1	83	1	1	81
6		पंडरिया	पंडरिया	182	179	14	17	148	3	36	146	23	9	4	98	0	0	98
7			कुवदुर	160	160	4	8	148	0	15	145	6	8	1	116	4	8	104
8			कुण्डा	162	162	8	13	141	0	21	141	14	4	3	122	8	13	101
9		स0 लोहारा	स0 लोहारा	245	242	1	10	231	3	18	227	4	8	6	152	1	11	140
योग				1549	1506	83	88	1355	43	221	1328	129	47	45	981	55	65	861

## परिशिष्ट "उन्तीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2349) के भाग (ख) की जानकारी ]

## सौर सुजला योजनांतर्गत शासन के अंशदान की जानकारी

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	लागत रु. में	शासन का अंशदान राशि रु. में		
				अनु. जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	03 एच.पी.	डी.सी सरफेस पम्प	360300/-	353300/-	348300/-	342300/-
2	03 एच.पी.	ए.सी सरफेस पम्प	336000/-	329000/-	324000/-	318000/-
3	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	372300/-	365300/-	360300/-	354300/-
4	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	348000/-	341000/-	336000/-	330000/-
5	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	490500/-	480500/-	475500/-	470500/-
6	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	450000/-	440000/-	435000/-	430000/-

## सौर सुजला योजनांतर्गत हितग्राही अंशदान की जानकारी

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	लागत रु. में	हितग्राही का अंशदान राशि रु. में		
				अनु. जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	03 एच.पी.	डी.सी सरफेस पम्प	360300/-	7000/-	12000/-	18000/-
2	03 एच.पी.	ए.सी सरफेस पम्प	336000/-	7000/-	12000/-	18000/-
3	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	372300/-	7000/-	12000/-	18000/-
4	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	348000/-	7000/-	12000/-	18000/-
5	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	490500/-	10000/-	15000/-	20000/-
6	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	450000/-	10000/-	15000/-	20000/-

## अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

### परिशिष्ट "तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 224) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

**बस्तर जिले में लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों की अद्यतन स्थिति की विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	लो वोल्टेज हेतु कृत कार्यवाही का विवरण
1	जगदलपुर	कस्तुरी	राशि रुपये 1.47 लाख की प्रस्तावित लागत पर ट्रांसफार्मर लोड सेंटर में स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी ।
2	जगदलपुर	चितालुर	राशि रुपये 0.49 लाख की प्रस्तावित लागत पर फेस (तार) बढ़ाने का प्राक्कलन स्वीकृत कर कार्यादेश जारी ।
3	जगदलपुर	नानगुर	राशि रू0 9.82 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
4	जगदलपुर	सिड़मुड़	राशि रू0 15.29 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
5	जगदलपुर	करनपुर	राशि रू0 7.32 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
6	जगदलपुर	कुम्हरावण्ड	राशि रू0 3.05 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
7	बकावण्ड	गुमदेल	राशि रू0 1.96 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी ।
8	बस्तर	तुरपुरा	राशि रू0 9.92 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
9	तोकापाल	कुरेंगा	राशि रू0 48.72 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
10	तोकापाल	टहकापाल	राशि रू0 58.65 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
11	तोकापाल	बुरजी	राशि रू0 117.29 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
12	तोकापाल	साकरगाव	राशि रू0 14.06 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।

13	ताकापाल	डिमरापाल	राशि रू0 7.12 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
14	तोकापाल	मावलीभाटा	राशि रू0 32.50 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
15	लोहण्डीगुड़ा	उसरीबेड़ा	राशि रू0 3.50 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
16	लोहण्डीगुड़ा	छिदगांव	राशि रू0 1.59 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
17	लोहण्डीगुड़ा	बडेधाराऊर	राशि रू0 1.86 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
18	लोहण्डीगुड़ा	छोटेपरीदा	राशि रू0 1.37 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
19	लोहण्डीगुड़ा	करंजी	राशि रू0 1.65 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
20	लोहण्डीगुड़ा	बेलर	राशि रू0 39.46 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
21	लोहण्डीगुड़ा	बड़ांजी	राशि रू0 16.51 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
22	जगदलपुर	तुरैनार	राशि रू0 1.17 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
23	जगदलपुर	बडे मुरमा	राशि रू0 1.98 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।
24	जगदलपुर	कुम्हली	राशि रुपये 3.71 लाख की प्रस्तावित लागत पर मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण हेतु कार्यादेश जारी।
25	जगदलपुर	गरावण्ड खुर्द	राशि रू0 3.22 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
26	जगदलपुर	बालिकोण्टा	राशि रू0 0.70 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
27	जगदलपुर	बम्हनी	राशि रू0 2.01 लाख की अनुमानित लागत से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जावेगा।
28	बकावण्ड	बालपुटी	राशि रू0 3.18 लाख की प्रस्तावित लागत पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी।

## परिशिष्ट "इकतीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 591) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत तालाब गहरीकरण एवं खेत निर्माण से प्राप्त खनिज मुरुम के परिवहन हेतु अनुमति की जानकारी

क्रमांक	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	2	3	4	5
<b>जिला बिलासपुर</b>				
1	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	रहंगी	112	1.234 हे०
2	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	कया	625	5.00 एकड़
3	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	कड़ार	276	9.945 हे०
4	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	सेवार	457, 450, 256	10.00 एकड़
5	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	धौराभांठा	582	2.035 हे०
6	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	हरदीकला	1687	0.943 हे०
7	ग्राम पंचायत कड़ार	कड़ार	276	4.00 एकड़
8	ग्राम पंचायत मोहमट्टा	मोहमट्टा	166/1, 114, 115	5.00 एकड़
<b>जिला मुंगेली</b>				
9	लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड एल एण्ड टी कन्सट्रक्शन ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आई सी हाल मुकाम सिमगा, जिला बलौदाबाजार(छ.ग.)	किरना	275/3, 276, 278/1, 278/4, 277	3.308 हे०
10	लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड एल एण्ड टी कन्सट्रक्शन ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आई सी हाल मुकाम सिमगा, जिला बलौदाबाजार(छ.ग.)	किरना	55,	1.275 हे०
11	लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड एल एण्ड टी कन्सट्रक्शन ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आई सी पता-ग्राम खैरा पो. नवागढ़ तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा(छ.ग.)	चंदखुरी	48	4.360 हे०
12	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	सरगांव	2059	4.424 हे०
13	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	नगपुरा	44/1	5.00 एकड़
14	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	नगपुरा	98/3	2.906 हे०
15	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	सरगांव	1712	2.084 हे०
16	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	तोरला	138	9.43 हे० में से 3.817 हे०
17	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, स्थानीय कार्यालय खरकेना बिल्हा मोड़ बिलासपुर(छ.ग.)	नगपुरा	108, 109	1.153, 1.214 हे०
18	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, स्थानीय कार्यालय खरकेना बिल्हा मोड़ बिलासपुर(छ.ग.)	मोहमट्टा,	1271/1	2.76 हे० में से 1.117 हे०

## प्रपत्र "ब"

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 में मरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी

## अवैध उत्खनन

क्रमांक	दर्ज प्रकरण दिनांक	अवैध उत्खननकर्ता का नाम व पता	अवैध उत्खनन स्थल	अवैध उत्खनन की मात्रा(घनमीटर में)	वसूल की गई समझौता राशि(रूपये में)
1	23.06.2016	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल	रहगी	4500	250000
योग					250000

## अवैध परिवहन

क्र0	दर्ज प्रकरण दिनांक	अवैध परिवहनकर्ता का नाम व पता	अवैध परिवहन स्थल	वाहन क्रमांक	खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	वसूल की गई समझौता राशि(रूपये में)
1	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी(हाल मु0) बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) वाहन चालक श्री आजायब लाल आत्मज श्री गंगाप्रसाद निवासी काकडबाग पटना(बिहार)	सरगांव	एमपी 39 एच 1974	3	5240
2	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी (हाल मु0) बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) वाहन चालक श्री भीमकुमार प्रजापति आत्मज श्री कन्हैया निवासी रामडीहा(बिहार)	सरगांव	एमपी 39 एच 1927	3	5240
3	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी(हाल मु0) बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) वाहन चालक श्री चन्द्रप्रकाश बैस आत्मज श्री विजय कुमार निवासी साकी(मध्यप्रदेश)	सरगांव	एमपी 39 एच 1526	3	5240
4	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी(हाल मु0) बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) वाहन चालक श्री श्रीकांतमणी आत्मज श्री केशवप्रसाद निवासी करौली(मध्यप्रदेश)	सरगांव	एमपी 39 एच 0684	3	5240
5	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी(हाल मु0) बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) वाहन चालक श्री राजकुमार बैस आत्मज श्री बाबूलाल निवासी देवरहा(मध्यप्रदेश)	सरगांव	एमपी 39 एच 0740	3	5240

क्र०	दर्ज प्रकरण दिनांक	अवैध परिवहनकर्ता का नाम व पता	अवैध परिवहन स्थल	वाहन क्रमांक	खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	वसूल की गई समझौता राशि(रूपये में)
6	07.10.2016	वाहन मालिक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निवासी(हाल मु०) बिल्हा, बिलासपुर(छ.ग.) वाहन चालक श्री बबलू चंद्रवंशी आत्मज श्री रामज्ञानी निवासी देवरहा(मध्यप्रदेश)	सरगांव	एमपी 39 एच 1924	3	5240
7	02.02.2017	वाहन मालिक श्री संजय कुमार सिंह निवासी खमतराई रोड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर(छ.ग.) वाहन चालक श्री विनोद कुमार कोल आत्मज श्री इंदल कोल निवासी चरका(मध्यप्रदेश)	सरगांव	सीजी 10 वाई 4604	12	15960
		योग				47400

## परिशिष्ट "बत्तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 657) के भाग (क) की जानकारी ]

क्रमांक	वर्ष	विकास खण्ड	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सिंचाई पंप कनेक्शन की संख्या	जारी सिंचाई पंप कनेक्शन की संख्या	आवेदन अपूर्ण होने के कारण निरस्त प्रकरण	लंबित होने का कारण	
							औपचौरिकता अपूर्ण होने से लंबित	लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2014-15	डौण्डी लोहारा	298	231	231	67	0	0
2	2015-16		313	290	286	23	-	4
3	2016-17 31 जनवरी 2017 तक		197	130	0	0	67	130
		महायोग	808	651	517	90	67	134

## परिशिष्ट "तैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1123) के भाग (क) की जानकारी ]

## चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या
1	2	3	5
1	चन्द्रपुर	मालखरौदा	135
		डभरा	190
योग			325

## परिशिष्ट "चौत्तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1168) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत भेजे गये तीर्थ स्थानों की सूची :-

1. गंगा सागर, बिरला मंदिर, कालीघाट।
2. बोधगया, सारनाथ, नालंदा।
3. अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)।
4. उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर।
5. तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम्।
6. द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर।
7. शिरडी, शनिसिंगनापुर, त्रयम्बकेश्वर।
8. तख्त श्री पटना साहेब।

## प्रपत्र "ब"

1. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को भ्रमण के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं :-
  1. बोर्डिंग हेतु स्टेशन तथा गृह निवास तक तीर्थयात्रियों को पहुंचाने की सुविधा।
  2. समस्त हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट कराये जाने की सुविधा।
  3. यात्रा के दौरान किट में सामग्री दी जाती है।
  4. यात्रा के दौरान शाकाहारी नास्ता एवं भोजन।
  5. तीर्थयात्रियों के रुकने हेतु धर्मशाला/होटल की व्यवस्था।
  6. प्रत्येक तीर्थयात्रा में तीन तीर्थ स्थलों का निःशुल्क भ्रमण।
  7. तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए बस की व्यवस्था।
  8. यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा।
  9. टूरिस्ट गाईड की व्यवस्था।
  10. दुर्घटना बीमा की सुविधा।
  11. तीर्थयात्रा के दौरान पेय जल की सुविधा।
  
2. अहिलारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से 31.01.2017 तक हितग्राहियों के भ्रमण पर रुपये 24,78,641/- व्यय किया गया है।

## परिशिष्ट "पैंतीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1260) के भाग (क) की जानकारी ]

आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2015-16 एवं 2016-17 में 30 जनवरी 2017 की स्थिति में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत खनिज मरूम के परिवहन अनुमति की जानकारी

क्र.	परिवहन की अनुमति किसके नाम पर दी गई	ग्राम का नाम जिस क्षेत्र से परिवहन किया गया/तहसील	रकबा	अनुमति दिनांक/ अवधि
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स एल.एण्ड.टी.	रिको/आरंग	8.90 हे.	दिनांक 25.03.2015 से एक माह दिनांक 19.08.2015 से तीन माह
2.	मेसर्स एल.एण्ड.टी.	कोटनी/आरंग	5.00 ए.	दिनांक 21.08.2015 से एक माह
3.	मेसर्स एल.एण्ड.टी.	कठिया/अभनपुर	1.540 हे.	दिनांक 25.03.2015 से एक माह दिनांक 19.08.2015 से तीन माह दिनांक 07.01.2016 से एक माह
4.	मेसर्स मुसल कंस्ट्रक्शन कंपनी	नवागांव/आरंग	4.51 हे.	दिनांक 04.04.2015 से एक माह
5.	पी.एल. ट्रेडर्स रायपुर	तांदुल/आरंग	3.63 हे.	दिनांक 11.12.2015 से एक माह
6.	एल.एण्ड.टी. कंस्ट्रक्शन	नवागांव/अभनपुर	0.757 हे.	दिनांक 16.12.2015 से एक माह दिनांक 27.01.2016 से एक माह दिनांक 15.03.2016 से एक माह दिनांक 19.05.2016 से एक माह दिनांक 23.12.2016 से एक माह दिनांक 27.01.2017 से एक माह
7.	साई ट्रेडर्स अभनपुर	मंदिरहसौद/आरंग	1.441 हे.	दिनांक 02.02.2016 से एक माह दिनांक 14.03.2016 से एक माह
8.	श्री रुचिर विरदी	गुमा/धरसीवा	0.910 हे.	दिनांक 25.02.2016 से एक माह
9.	मेसर्स एल.एण्ड.टी.	तांदुल/आरंग	3.920 हे.	दिनांक 04.03.2016 से एक माह दिनांक 19.05.2016 से एक माह
10.	श्री राजेन्द्र जायसवाल	पचेड़ा/आरंग	2.00 हे.	दिनांक 13.01.2016 से एक माह
11.	मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट	खुटेरी/आरंग	2.00 हे.	दिनांक 13.01.2016 से एक माह
12.	श्रीमती रेखा तिवारी	नवागांव(क)/ अभनपुर	5.97 हे. 1.38 हे.	दिनांक 12.02.2016 से एक माह दिनांक 17.01.2017 से एक माह
13.	जे.बी.कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	नवागांव (कुटेरी)/आरंग	0.610 हे.	दिनांक 23.10.2015 से एक माह
14.	श्री योगेश बंसल	सीवा/आरंग	4.00 हे.	दिनांक 26.02.2016 से एक माह दिनांक 23.10.2016 से एक माह
15.	मेसर्स कनक एण्ड माईनिंग	रानीसागर/आरंग	0.40 हे.	दिनांक 19.02.2016 से एक माह
16.	श्री प्रांजल शर्मा	गुजरा/आरंग	1.04 हे.	दिनांक 15.03.2016 से एक माह
17.	निकुंज कंस्ट्रक्शन प्रो. श्री	बकतरा/अभनपुर	2.57 हे.	दिनांक 23.03.2016 से एक माह

क्र.	परिवहन की अनुमति किसके नाम पर दी गई	ग्राम का नाम जिस क्षेत्र से परिवहन किया गया/तहसील	रकबा	अनुमति दिनांक/ अवधि
1	2	3	4	5
	मनीष जैन			दिनांक 16.05.2016 से एक माह दिनांक 30.06.2016 से एक माह
18.	श्री शार्केत साहू	अमेरी/आरंग	4.29 हे.	दिनांक 16.05.2016 से एक माह
19.	साई ट्रेडर्स	परसदा/आरंग	1.23 हे.	दिनांक 18.05.2016 से एक माह
20.	मेसर्स आरकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	भिलाई/आरंग	3.680 हे.	दिनांक 10.05.2016 से एक माह दिनांक 20.05.2016 से एक माह दिनांक 23.12.2016 से एक माह
21	श्री मोहन लाल साहू	सकरी/धरसीवा	1.963 हे.	दिनांक 21.03.2016 से एक माह
22	श्री जीवन यदु	दरबा/आरंग	0.83 हे.	दिनांक 16.05.2016 से एक माह
23	श्री सूतेन्द्र सिंह	मंदिरहसौद/आरंग	0.429 हे.	दिनांक 13.05.2016 से एक माह दिनांक 25.11.2016 से एक माह
24	श्री मयंक छाबड़ा	बहनाकाड़ी/आरंग	2.51 हे.	दिनांक 08.06.2016 से एक माह
25	श्री रूपेन्द्र यदु	कुरुद/आरंग	1.110 हे.	दिनांक 30.09.2016 से एक माह
26	श्री राकेश पाण्डेय	नवागांव/अमनपुर	2.860 हे.	दिनांक 23.12.2016 से एक माह
27	श्री शरद शुक्ला	गोड़ी/आरंग	2.620 हे.	दिनांक 23.11.2016 से एक माह दिनांक 23.12.2016 से एक माह
28	श्री राजेन्द्र यादव	गोड़ी/आरंग	4.670 हे.	दिनांक 31.08.2016 से एक माह दिनांक 17.10.2016 से एक माह
29	एल. एण्ड. टी. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टर मैनेजर श्री एस. वेंकटेश	नवागांव/अमनपुर	1.40 हे.	दिनांक 23.12.2016 से एक माह दिनांक 25.01.2017 से एक माह
30	श्री शरद शुक्ला	बकतरा/आरंग	0.55 हे.	दिनांक 27.09.2016 से एक माह
31	श्री गणेश प्रसाद खेतान	बिरबिरा/आरंग	1.60 हे.	दिनांक 09.12.2016 से एक माह
32	साई ट्रेडर्स अमनपुर प्रो. श्री हरीष पाण्डे	ठेलकाबांधा/अमनपुर	0.930 हे.	दिनांक 08.11.2016 से एक माह
33	श्री हरिओम कंस्ट्रक्शन एंड कान्स्ट्रक्टर पार्ट. श्री वेद प्रकाश तिवारी	मुनगी/आरंग	0.640 हे.	दिनांक 31.12.2016 से एक माह दिनांक 06.02.2017 से एक माह
34	श्री शत्रुघन यदु	बकतरा/आरंग	5.06 हे.	दिनांक 19.07.2016 से एक माह
35	मेसर्स आरकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	बैहार/आरंग	2.40 हे.	दिनांक 02.02.2017 से एक माह
36	मेसर्स आरकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	रसनी/आरंग	4.56 हे.	दिनांक 31.01.2017 से एक माह
37	श्री रूपेन्द्र यदु	कुरुद(मं.)/आरंग	1.320 हे.	दिनांक 19.12.2016 से एक माह

## परिशिष्ट "छत्तीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1783) के भाग (क) की जानकारी ]

## बालोद जिला अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत आं.बा. केन्द्रों की संख्या	संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बालोद	बालोद	बालोद	184	184
2		गुरुर	गुरुर	231	231
3		गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	286	286
4		डौण्डी	डौण्डी	158	158
5			चिखलाकसा	145	145
6			दल्ली राजहरा	64	64
7		डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	164	164
8			देवरी	177	177
योग				1409	1409

## परिशिष्ट "सैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1818) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक में बालोद जिला अंतर्गत छात्रावास/आश्रम में स्थापित सौर संयंत्रों की लागत एवं कार्यशीलता की जानकारी

क्रमांक	कार्यस्थल का नाम	क्षमता	व्यय राशि रु. में	कार्यशीलता
1	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या आश्रम कुसुमकसा	05 किलोवाट	8,21,677 /--	कार्यशील
2	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक आश्रम डौण्डी	05 किलोवाट	7,79,000 /--	कार्यशील
3	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मदरेल	03 किलोवाट	5,37,200 /--	कार्यशील
4	आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी	01 किलोवाट	1,52,000 /--	कार्यशील

## परिशिष्ट "अड़तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1863) की जानकारी ]

सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या	संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या
1	2	3	4	5
1	सक्ती	सक्ती	195	44
2		बलौदा	43	0
3		बम्हनीडीह	72	2
योग			310	46

## परिशिष्ट "उनचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1868) के भाग (क) की जानकारी ]

राजनांदगांव जिले के तीर्थयात्रियों को वर्ष 2015-16 से 31 जनवरी 2017 तक कराई गई यात्रा की जानकारी

क्र.	तीर्थ स्थल का नाम
1	2
1	द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर
2	अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वैष्णोमाता मंदिर, बाघा बाईर
3	अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिश्ती की दरगाह)
4	गंगासागर, बिरला मंदिर, कालीघाट
5	पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क
6	मथुरा, जन्मभूमि, वृन्दावन
7	उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर
8	उज्जैन सिंहस्थ
9	शिरडी, शनिसिंगनापुर, त्रयम्बकेश्वर
10	तख्त श्री पटना साहेब

## परिशिष्ट "चालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1869) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र.	योजना का नाम	परियोजना / विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2015-16	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	नवाजतन योजना	मानपुर	50600	50600	266248	266248	683770	683770
2		मोहला	25392	25392	173144	173144	584100	584100
<b>योग</b>			<b>75992</b>	<b>75992</b>	<b>439392</b>	<b>439392</b>	<b>1267870</b>	<b>1267870</b>

## परिशिष्ट "इकचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1877) के भाग (क) की जानकारी ]

राजनांदगांव जिले में सूखा पीड़ित परिवार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2015-16				वर्ष 2016-17			
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मोहला	65	65	0	0	236	236	0	0
2	मानपुर	33	28	0	0	188	167	0	21
3	राजनांदगांव	13	13	0	0	535	529	0	6
4	खैरागढ़	17	17	0	0	595	587	0	8
5	डोगरगांव	5	5	0	0	298	282	0	16
6	डोगरगढ़	0	0	0	0	586	568	0	18
7	घुरिया	28	28	0	0	851	844	0	7
8	अं.चौकी	26	22	0	0	380	371	0	9
9	छुईखदान	0	0	0	0	8	7	0	1
	योग	187	178	0	0	3677	3591	0	86

## परिशिष्ट "बयालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1919) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

कोण्डागांव जिले में 31 जनवरी, 2107 तक पंजीकृत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित व अस्थिबाधित दिव्यांगजनों की  
विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	दृष्टिबाधित की संख्या	श्रवणबाधित की संख्या	अस्थिबाधित की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोण्डागांव	275	218	1350
2.	फरसगांव	152	110	1127
3.	केशकाल	85	102	1011
4.	बड़ेराजपुर	84	100	273
5.	माकड़ी	102	89	1032
	योग—	698	619	4793

## प्रपत्र "ब"

कोण्डागांव जिले में अप्रैल, 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक दिव्यांगजनों को प्रदाय किये गए श्रवण यंत्र, ट्राईसाईकिल व कृत्रिम अंग की जानकारी

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्रदान किये गए उपकरण/कृत्रिम अंग का नाम व संख्या		
		श्रवण यंत्र	ट्राईसाईकिल	कृत्रिम अंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोण्डागांव	09	108	01
2.	फरसगांव	11	52	01
3.	केशकाल	07	64	01
4.	बड़ेराजपुर	05	58	0
5.	माकड़ी	07	55	0
	<b>योग—</b>	<b>39</b>	<b>337</b>	<b>03</b>

## परिशिष्ट "तिरालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2064) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

जाजगीर-चांपा जिला अन्तर्गत 01 फरवरी 2017 की स्थिति में चिन्हांकित महिला एवं पुरुष दिव्यांगजनों के पंजीयन की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	01 फरवरी 2017 की स्थिति में चिन्हांकित कुल दिव्यांगजनों की संख्या		
			महिला	पुरुष	योग
1	2	3	4	5	6
1	वि.ख.नवागढ	ज.पं.नवागढ	715	1450	2165
		न.पा.प.नैला जाजगीर	173	220	393
		न.पं.नवागढ	25	55	80
		न.पं.शिवरीनारायण	18	28	46
		<b>योग</b>	<b>931</b>	<b>1753</b>	<b>2684</b>
2	वि.ख.पामगढ	ज.पं.पामगढ	362	548	910
		न.पं.राहौद	13	25	38
		न.पं.खरौद	48	81	129
		<b>योग</b>	<b>423</b>	<b>654</b>	<b>1077</b>
3	वि.ख.अकलतरा	ज.पं.अकलतरा	639	1063	1702
		न.पा.प.अकलतरा	20	35	55
		<b>योग</b>	<b>659</b>	<b>1098</b>	<b>1757</b>
4	वि.ख.बलौदा	ज.पं.बलौदा	646	1176	1822
		न.पं.बलौदा	68	101	169
		<b>योग</b>	<b>714</b>	<b>1277</b>	<b>1991</b>
5	वि.ख.सक्ती	ज.पं.सक्ती	303	783	1086
		न.पा.प.सक्ती	13	19	32
		न.पं.नयाबाराद्वार	4	12	16
		<b>योग</b>	<b>320</b>	<b>814</b>	<b>1134</b>
6	वि.ख.डभरा	ज.पं.डभरा	423	736	1159
		न.पं.डभरा	26	29	55
		न.पं.चन्द्रपुर	10	17	27
		<b>योग</b>	<b>459</b>	<b>782</b>	<b>1241</b>
7	वि.ख.जैजैपुर	ज.पं.जैजैपुर	401	540	941
		न.पं.जैजैपुर	16	37	53
		<b>योग</b>	<b>417</b>	<b>577</b>	<b>994</b>
8	वि.ख.मालखरौदा	ज.पं.मालखरौदा	1013	978	1991
		न.पं.अडभार	23	32	55
		<b>योग</b>	<b>1036</b>	<b>1010</b>	<b>2046</b>
9	वि.ख.बम्हनीडीह	ज.पं.बम्हनीडीह	430	487	917
		न.पा.प.चाम्पा	98	166	264
		न.पं.सारागांव	40	72	112
		<b>योग</b>	<b>568</b>	<b>725</b>	<b>1293</b>
		<b>महायोग</b>	<b>5527</b>	<b>8690</b>	<b>14217</b>

प्रपत्र "ब"

योजनावार विकासखण्डों को प्रदाय आर्बटन एवं व्यय की वर्षवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त/व्यय एवं शेष राशि	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	सुखद सहायता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	निःशक्त छात्रवृत्ति	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	निःशक्त ऋण	सामर्थ्य विकास	निःशक्त कृत्रिम अंग उपकरण	निराश्रित निधि	सामर्थ्य विकास मेला/शिविर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष 2015-16													
1	नवागढ़	प्राप्त राशि	48939900	13869300	669600	15160	210000	270000	34500	17572	1278440	0	65304472
		व्यय	48939900	13869300	669600	15160	210000	270000	34500	17572	1278440		65304472
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पामगढ़	प्राप्त राशि	11140800	5455050	957600	33500	63000	720000	20700	12880	874444	0	19277974
		व्यय	11140800	5455050	957600	33500	63000	720000	20700	12880	874444		19277974
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अकलतरा	प्राप्त राशि	12258150	7077000	260100	44500	63000	0	165600	0	506916	0	20375266
		व्यय	12258150	7077000	260100	44500	63000		165600		506916		20375266
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बलीद	प्राप्त राशि	13378250	7067100	122400	42300	252000	180000	379500	9780	546124	0	21977454
		व्यय	13378250	7067100	122400	42300	252000	180000	379500	9780	546124		21977454
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(11)

5	सक्ती	प्राप्त राशि	29766150	9837850	1069200	66200	42000	500000	172500	20116	403460	0	41877476
		व्यय	29766150	9837850	1069200	66200	42000	500000	172500	20116	403460		41877476
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रुमरा	प्राप्त राशि	9873600	5892050	358200	38000	42000	1350000	524400	0	489284	0	18567534
		व्यय	9873600	5892050	358200	38000	42000	1350000	524400		489284		18567534
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जेजेपुर	प्राप्त राशि	16146000	7950900	1792800	125100	21000	1170000	262200	38724	542688	0	28049412
		व्यय	16146000	7950900	1792800	125100	21000	1170000	262200	38724	542688		28049412
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	मालखरीपा	प्राप्त राशि	31321350	9212850	1653300	38600	21000	1350000	503700	24092	696360	0	44821252
		व्यय	31321350	9212850	1653300	38600	21000	1350000	503700	24092	696360		44821252
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बन्हनीडीह	प्राप्त राशि	21371850	7863750	1644300	0	189000	1300500	131100	0	608808	0	33109308
		व्यय	21371850	7863750	1644300		189000	1300500	131100		608808		33109308
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शेष		प्राप्त राशि	194196050	74225850	8527500	403360	903000	6840500	2194200	123164	5946524	0	293360148
		व्यय	194196050	74225850	8527500	403360	903000	6840500	2194200	123164	5946524	0	293360148
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वर्ष 2016-17

1	नयागढ़	प्राप्त राशि	40047000	11321100	698700	7030	218000	445500	0	0	0	0	52737330
		व्यय	40047000	11321100	698700	7030	218000	445500	0	0	0	0	52737330
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पामगढ़	प्राप्त राशि	11148900	5099850	1125400	50500	63000	365000	0	0	0	0	17852650
		व्यय	11148900	5099850	1125400	50500	63000	365000	0	0	0	0	17852650
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अकलतरा	प्राप्त राशि	10000200	5892600	291600	50000	63000	0	0	0	0	0	16297400
		व्यय	10000200	5892600	291600	50000	63000	0	0	0	0	0	16297400
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बलीदा	प्राप्त राशि	10700550	5853750	149850	61200	63000	270250	0	0	0	0	17098600
		व्यय	10700550	5853750	149850	61200	63000	270250	0	0	0	0	17098600
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	सक्ती	प्राप्त राशि	22848000	6596100	2088450	66500	50000	301500	0	0	80000	0	32030550
		व्यय	22848000	6596100	2088450	66500	50000	301500	0	0	80000	0	32030550
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	उभरा	प्राप्त राशि	8117550	5028450	398000	39400	0	1170000	0	0	0	0	14753400
		व्यय	8117550	5028450	398000	39400	0	1170000	0	0	0	0	14753400
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	जैजैपुर	प्राप्त राशि	13937700	6540450	2066100	101720	63000	1445000	0	0	0	0	24153970
		व्यय	13937700	6540450	2066100	101720	63000	1445000	0	0	0	0	24153970
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	मालखरीदा	प्राप्त राशि	25902450	7528500	1949100	43200	21000	540000	0	0	40000	0	36024250
		व्यय	25902450	7528500	1949100	43200	21000	540000	0	0	40000	0	36024250
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बन्धनीडीह	प्राप्त राशि	18297300	6822900	2213700	16300	0	0	0	0	0	0	27350200
		व्यय	18297300	6822900	2213700	16300	0	0	0	0	0	0	27350200
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		प्राप्त राशि	160999650	60683700	10980900	435850	541000	4537250	0	0	120000	0	238298350
		व्यय	160999650	60683700	10980900	435850	541000	4537250	0	0	120000	0	238298350
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग		प्राप्त राशि	355195700	134909550	19508400	839210	1444000	11377750	2194200	123164	6066524	0	531658498
		व्यय	355195700	134909550	19508400	839210	1444000	11377750	2194200	123164	6066524	0	531658498
		शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट "चवालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2160) के भाग (क) की जानकारी ]

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु आबंटित राशि का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	बीओसी बोर्ड द्वारा आबंटित राशि
1	2013-14	1000000.00
2	2014-15	5747350.00
3	2015-16	6800000.00
4	2016-17	6000000.00
योग		<b>19547350.00</b>

## परिशिष्ट "पैंतालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2218) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

वर्ष 2015-16

क्र०	आयोजन / कार्यक्रम का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	आयतन	
				प्राप्त	खर्च
1	ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2015-16	महासमुन्द (मिनी स्टेडियम, पंचशील क्लब)	15 मई 2015 से 04 जून 2015 तक	140000	87642
2	जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ 2015-16	महासमुन्द (कार्यालय परिसर)	14 अगस्त 2015	30000	30000
3	29 अगस्त खेल दिवस 2015-16	महासमुन्द मिनी स्टेडियम	29 अगस्त 2015	25000	25000
4	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन 2015-16	सरायपाली (थाना रोड़ सरायपाली)	12 सितम्बर 2015	19000	19000
		बसना (जगदीशपुर रोड़)		19000	19000
		पिथौरा (बार चौक पिथौरा)		19000	19000
		बागबाहरा (शास.उ.मा. विद्यालय कोमाखान)		19000	19000
		महासमुन्द (बागबाहरा रोड़)		19000	19000
5	जिला स्तरीय मैराथन 2015-16	महासमुन्द (बागबाहरा रोड़)	21 दिसम्बर 2015	51500	51496
6	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव 2015-16	सरायपाली (गोपनाथ स्कूल जोगनीपाली)	15 अक्टूबर 2015	15000	15000
		बसना (आदित्य रेसिडेन्टल स्कूल बसना)	14 अक्टूबर 2015	15000	15000
		पिथौरा (खेल मैदान)	14 अक्टूबर 2015	15000	15000
		बागबाहरा (टाउन हॉल बागबाहरा)	28 नवम्बर 2015	15000	15000
		महासमुन्द (शास.क.उ.मा. विद्यालय महासमुन्द)	14 अक्टूबर 2015	15000	15000
7	जिला स्तरीय युवा उत्सव 2015-16	महासमुन्द (शास.क.उ.मा. विद्यालय महासमुन्द)	15 दिसम्बर 2015	50000	50000
8	जिला स्तरीय अन्तर शालेय प्रतियोगिता	महासमुन्द (शास.क.उ.मा. विद्यालय महासमुन्द)	13 दिसम्बर 2015	30000	30000
9	जिला स्तरीय सिविल सेवा प्रतियोगिता	महासमुन्द (सिटी स्पोर्ट्स क्लब)	24 जनवरी 2016	50000	50000
10	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता	सरायपाली (शास.उ.मा.विद्या. बलोदा)	13 अक्टूबर 2015	20000	20000
		बसना (शास.उ.मा. विद्यालय बसना)	15 अक्टूबर 2015	20000	20000
		पिथौरा (खेल मैदान)	16 अक्टूबर 2015	20000	20000
		बागबाहरा (शास.उ.मा. विद्यालय कोमाखान)	15 अक्टूबर 2015	20000	20000
		महासमुन्द (वन विभाग मैदान, मिनी स्टेडियम)	14 अक्टूबर 2015	20000	20000
11	जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता	महासमुन्द (वन विभाग खेल मैदान, मिनी स्टेडियम)	28 से 29 अक्टूबर 2015	84000	70000
12	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	सरायपाली (शास.उ.मा. विद्यालय बलोदा)	02 दिसम्बर 2015	35000	35000
		बसना (शास.उ.मा. विद्यालय बसना)	02 दिसम्बर 2015	35000	35000
		पिथौरा (खेल मैदान)	02 दिसम्बर 2015	35000	35000
		बागबाहरा (शास.उ.मा. विद्या.कोमाखान)	03 दिसम्बर 2015	35000	35000
		महासमुन्द (वन विभाग मैदान, मिनी स्टेडियम)	03 दिसम्बर 2015	35000	35000
13	जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	महासमुन्द (वन विभाग खेल मैदान, मिनी स्टेडियम)	04 से 05 दिसम्बर 2015	125000	124990
14	राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता	महासमुन्द महासमुन्द (केन्द्रीय विद्यालय, मिनी स्टेडियम)	28 से 30 दिसम्बर 2015	900000	898616

## वर्ष 2016-17.

क्र०	आयोजन/कार्यक्रम का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	आबंटन	
				प्राप्त	खर्च
1	ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2016-17	सरायपाली (सरायपाली, बांदा, बलौदा)	17 मई 2016 से 06 जून 2016 तक	175000	174985
		बसना (बसना, जगदीशपुर, मोहदा)			
		पिथौरा (खेल मैदान पिथौरा)			
		बागबाहरा (शा.उ.मा.विद्यालय कीमाखान)			
		महासमुन्द (मिनी स्टेडियम, सिटी स्पोर्ट्स क्लब, पंचशील क्लब, वन विभाग मैदान)			
2	जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ 2016-17	महासमुन्द (कार्यालय खेल अधिकारी परिसर)	14 अगस्त 2016	32000	32000
3	29 अगस्त खेल दिवस 2016-17	महासमुन्द (सिटी स्पोर्ट्स क्लब)	29 अगस्त 2016	25000	25000
4	विकासखण्ड स्तरीय गैराथन 2016-17	सरायपाली (थाना रोड सरायपाली)	20 जनवरी 2017	19000	19000
		बसना (जयसतम्भ चौक जगदीशपुर रोड)	24 जनवरी 2017	19000	19000
		पिथौरा (बार चौक पिथौरा)	24 जनवरी 2017	19000	19000
		बागबाहरा (झलप चौक बागबाहरा)	20 जनवरी 2017	19000	19000
		महासमुन्द (झलप, बागबाहरा रोड)	24 जनवरी 2017	19000	19000
5	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव 2016-17	सरायपाली (गोपनाथ स्कूल जोगनीपाली)	15 दिसम्बर 2016	15000	15000
		बसना (आदित्य रेसिडेन्टल स्कूल बसना)	16 दिसम्बर 2016	15000	15000
		पिथौरा (खेल मैदान)	15 दिसम्बर 2016	15000	15000
		बागबाहरा (टाउन हॉल बागबाहरा)	15 दिसम्बर 2016	15000	15000
		महासमुन्द (छोगाछोगा विद्यालय महासमुन्द)	16 दिसम्बर 2016	15000	15000
6	जिला स्तरीय युवा उत्सव 2016-17	महासमुन्द (छोगाछोगा विद्यालय महासमुन्द)	17 दिसम्बर 2016	50000	49992
7	जिला स्तरीय खेलो इण्डिया अन्तर्गत बालक	महासमुन्द (मिनी स्टेडियम, वन विभाग, खेल मैदान)	19 जनवरी 2017	125000	51905 (भुगतान शेष है)
8	जिला स्तरीय खेलो इण्डिया अन्तर्गत बालिका	महासमुन्द (मिनी स्टेडियम, वन विभाग, खेल मैदान)	19 जनवरी 2017	84000	42000 (भुगतान शेष है)
9	जिला स्तरीय अन्तर शालेय प्रतियोगिता	महासमुन्द (शा.उ.मा.विद्या. बेलसांडा)	20 जनवरी 2017	30000	30000
10	जिला स्तरीय युवा सप्ताह	महासमुन्द (शा.उ.मा. विद्यालय भारिग)	17 जनवरी 2017	30000	30000

## परिशिष्ट "छियालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2226) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार सिंचाई पम्प कनेक्शन के लिए लागू दरें

क्र.	योजना का नाम	बिलिंग का तरीका
1	निम्नदाब कृषि पंप	एल.वी.-3, स्थायी प्रभार 80 रुपये प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह एवं ऊर्जा प्रभार 4.10 रुपये/यूनिट, औसत पॉवर फैक्टर 0.85 अथवा उससे अधिक रखने में असफल होने की दशा में रुपये 0.35 प्रति यूनिट अधिभार देय। (iii) किसी माह में विद्युत खपत होने अथवा नहीं होने की स्थिति में भी मासिक न्यूनतम प्रभार के रूप में स्थाई प्रभार देय होंगे। (iv) एक व्यक्ति के अतिरिक्त कनेक्शन अर्थात् स्वयं के नाम पर एक से अधिक पंप होने पर उस व्यक्ति को अतिरिक्त पंप/पंपों में दर्ज खपत के लिये ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत के छूट की पात्रता होगी।
2	फ्लेट रेट	यदि कृषक द्वारा फ्लेट रेट सुविधा के अंतर्गत बिलिंग हेतु नियत समयावधि में आवेदन दिया जाता है, तो उपभोक्ता को 05 अश्व शक्ति सीमा तक रुपये 100/अश्व शक्ति/माह के मान से फ्लेट रेट पर समस्त विद्युत खपत प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इन उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 6,000 अथवा 7,500 यूनिट, जो भी लागू हो, की सुविधा नहीं है। प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य के 05 अश्व शक्ति तक के एक कृषि पंप कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता है। योजना में अस्थाई एवं स्थाई दोनों श्रेणी के पात्र कृषि पंप कनेक्शन उपभोक्ता शामिल होते हैं।
3	कृषक जीवन ज्योति योजना (स्थाई पंप हेतु)	कृषकों के 3 अश्व शक्ति पंप तक प्रतिवर्ष 6,000 यूनिट एवं 3 से 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंप पर प्रतिवर्ष 7,500 यूनिट की बिजली निशुल्क। उपरोक्त सीमा से अधिक खपत पर एल.वी.-3 दर पर बिलिंग की जाती है।
4	कृषक जीवन ज्योति योजना (अस्थाई पंप हेतु)	कृषक के अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु 3 अश्व शक्ति पंप तक 500 यूनिट प्रतिमाह एवं 3 अश्व शक्ति से 5 अश्व शक्ति तक 625 यूनिट प्रतिमाह की बिजली निःशुल्क उपरोक्त सीमा से अधिक खपत पर एल.वी.-3 दर से बिलिंग की जाती है।
5.	कृषि सहवर्ती कार्य	एल.वी. 4.1- कृषि एलॉयड अधिकतम भार 100 अश्व शक्ति है अथवा 75 किलोवॉट तक स्थायी प्रभार रुपये 130/अश्वशक्ति/ माह या रुपये 175/किलोवाट /माह तथा ऊर्जा प्रभार रुपये 5.10 प्रति किलोवाट घंटे। एल.वी. 4.2- कृषि एलॉयड डिमाण्ड बेस 15 किलोवाट से 75 किलोवॉट तक स्थायी प्रभार रुपये 250/किलोवाट /माह बिलिंग डिमाण्ड पर तथा ऊर्जा प्रभार रुपये 5 प्रति किलोवाट घंटे। टीप:- (अ) एल.वी. 4.1 एवं 4.2 के कनेक्शन में औसत पॉवर फैक्टर 0.85 कायम रखने युक्तियुक्त क्षमता के कैपिसीटर की स्थापना आवश्यक होगी। अन्यथा की स्थिति में 35 पैसे प्रति यूनिट की दरसे अधिभार देय होगा। (ब) टैरिफ एलवी 4.1 के लिए स्थाई प्रभार ही मासिक न्यूनतम प्रभार एवं टैरिफ एलवी 4.2 के लिए संविदा मांग पर मांग भार मासिक न्यूनतम प्रभार होगा, भले ही उक्त माह में विद्युत यूनिट की खपत हुई हो अथवा नहीं।
6.	उच्चदाब सिंचाई, कृषि एलाइड कार्य एवं सार्वजनिक जल कार्य	एच.वी.-8, सिंचाई, कृषि एलाइड कार्य एवं सार्वजनिक जल कार्य- मांग प्रभार 375 रुपये/केव्हीए/माह एवं ऊर्जा प्रभार 4.90 रुपये/केव्हीएच।

नोट:- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ अनुसार यदि लागू है तो उपरोक्त टैरिफ के अतिरिक्त उपभोक्ता से न्यूनतम प्रभार, नियत/मांग प्रभार, ऊर्जा प्रभार, कैपेसिटर अधिभार, एवं पावर फेक्टर अधिभार की वसूली हेतु बिलिंग की जाती है।

## प्रपत्र "ब"

## विद्युत दरों के आधार पर जिलेवार सिंचाई पम्प कनेक्शनों की संख्या

क्र.	जिले का नाम	अलग-अलग विद्युत दरों की श्रेणी के सिंचाई पम्प उपभोक्ताओं की संख्या					
		विद्युत खपत पर 6000 अथवा 7500 यूनिट छूट वाले उपभोक्ता	अनुसूचित जाति/जनजाति के उपभोक्ता	प्लैट रेट का विकल्प वाले उपभोक्ता	अस्थायी कनेक्शन	ऐसे उपभोक्ता जो कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो रहे हैं	उच्चदाब पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	17205	3678	4317	805	1840	0
2	धमतरी	13849	6981	8123	1696	462	1
3	बलौदा-बाजार	2620	4868	7074	5492	556	1
4	महासमुंद	1198	9715	23266	10331	4616	1
5	गरियाबंद	2080	4004	994	354	172	0
6	दुर्ग	23462	3201	2548	2271	2054	0
7	बालोद	9350	5009	1674	797	1014	1
8	बेमेतरा	25240	6210	3733	3992	1046	2
9	राजनांदगांव	11293	8180	13721	3351	1531	0
10	कबीरधाम	1298	5573	18184	2572	523	0
11	बस्तर	1617	2773	223	537	239	4
12	दण्तेवाड़ा	266	681	0	3	26	0
13	बीजापुर	72	258	0	5	21	0
14	सुकमा	141	313	0	6	34	0
15	कांकेर	6183	7103	1118	3004	77	0
16	नारायणपुर	128	207	0	14	11	0
17	कोण्डागांव	1194	4925	165	2386	14	0
18	बिलासपुर	10583	5464	283	6675	183	2
19	मुंगेली	9697	4777	49	3765	127	0
20	जांजगीर-चांपा	5412	4069	2815	3948	84	0
21	कोरबा	656	697	4	4353	50	0
22	रायगढ़	3480	5479	10072	4918	119	0
23	सरगुजा	2131	2799	15	1444	48	1
24	बलरामपुर	2801	3236	0	129	71	0
25	जशपुर	312	1669	2	3085	22	0
26	कोरिया	4438	4048	13	653	155	1
27	सूरजपुर	823	378	0	476	22	0
कुल योग		157529	106295	98393	67062	15117	14

## परिशिष्ट "सैंतालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2314) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	कुपोषित बच्चों की संख्या (एम.पी.आर. फरवरी 2017 के आंकड़ों के अनुसार)			
				मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या	गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या	कुल कुपोषित बच्चों की संख्या	
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	1605	253	1858	
			राजनांदगांव ग्रा-1	1975	294	2269	
			राजनांदगांव ग्रा-2	1552	198	1750	
			योग	5132	745	5877	
2			डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	7457	526	7983
3			डोंगरगांव	डोंगरगांव	2116	371	2487
4			छुरिया	छुरिया-1	1759	231	1990
				छुरिया-2	1842	219	2061
			योग	3601	450	4051	
5			छुईखदान	छुईखदान	4589	1888	6477
6		मोहला	मोहला	1476	179	1655	
7		मानपुर	मानपुर	2202	190	2392	
8		खैरागढ़	खैरागढ़	4874	767	5641	
9		अं.चौकी	अं.चौकी	2497	375	2872	
		महा योग		33944	5491	39435	

प्रपत्र "ब"

क	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16				वित्तीय वर्ष 2016-17 (31 जनवरी 2017 तक)			
		प्राप्त आबंटन	आबंटन कब-कब व्यय किया गया	किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	प्राप्त आबंटन	आबंटन कब-कब व्यय किया गया	किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया
1	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	3873500	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	स्वास्थ्य शिविर, दवाई क्रय आदि	2977523	2208000	अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017	स्वास्थ्य शिविर, दवाई क्रय, आदि	828227
2	नवाजतन योजना	8077264	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	कार्यकर्ता प्रशिक्षण, सुपोषण मित्र, स्वयं सहायता समूह, सुपोषण दूतों, को प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों व सुपोषण मित्रों को भुगतान, सुपोषण दूतों को मानदेय व यात्रा भत्ता का भुगतान।	7838358	5566303	अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017	कार्यकर्ता प्रशिक्षण, सुपोषण मित्र, स्वयं सहायता समूह, सुपोषण दूतों, को प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों व सुपोषण मित्रों को भुगतान, सुपोषण दूतों को मानदेय व यात्रा भत्ता का भुगतान।	3087113
3	आ.बा. गुणवत्ता अभियान	681890	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	प्रशिक्षण आदि पर व्यय	681890	384000	अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017	प्रशिक्षण आदि पर व्यय	75000
4	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	263500000	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	पूरक पोषण आहार, गरम भोजन का भुगतान आदि	259277132	258500000	अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017	पूरक पोषण आहार, गरम भोजन का भुगतान आदि	191778573
	योग	276132654			270774903	266658303			195768913

## परिशिष्ट "अड़तालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2350) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## सौर सुजला योजनांतर्गत शासन द्वारा देय अनुदान की जानकारी

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	लागत रूप में	शासन का अंशदान राशि रूप में		
				अनु. जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	03 एच.पी.	डी.सी सरफेस पम्प	360300/-	353300/-	348300/-	342300/-
2	03 एच.पी.	ए.सी सरफेस पम्प	336000/-	329000/-	324000/-	318000/-
3	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	372300/-	365300/-	360300/-	354300/-
4	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	348000/-	341000/-	336000/-	330000/-
5	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	490500/-	480500/-	475500/-	470500/-
6	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	450000/-	440000/-	435000/-	430000/-

## प्रपत्र "ब"

## जिला रायगढ़ में सौर सुजला योजनांतर्गत पात्र पाए गए आवेदनों की विकासखंडवार सूची

क्रमांक	विकासखंड का नाम	हितग्राहियों की संख्या
1	रायगढ़	06
2	तमनार	30
3	बरमकला	15
4	लेलुगा	21
5	धरमजयगढ़	77
6	घरघोडा	42
7	पुसौर	03
8	खरसिया	06
9	सारगढ़	12
	कुल	212

## सौर सुजला योजनांतर्गत प्राप्त पात्र आवेदन की सूची

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	विकासखंड	श्रेणी	पंप क्षमता
1	श्री घसिया राम राठिया	रंगालबहरी	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
2	श्री नेहरू लाल राठिया	रंगालबहरी	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
3	श्री कमला देवी कंवर	रंगालबहरी	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
4	श्री दयानंद पटनायक	लिबरा	तमनार	सामान्य	05 HP
5	श्री कुसो राम बेहरा	धिरामुड़ा	तमनार	सामान्य	05 HP
6	श्री वीर सिंह माझी	धिरामुड़ा	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
7	श्री कन्हैया लाल राठिया	बनई	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
8	श्री परस राम राठिया	रोड़ोपाली	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
9	श्रीमति ज्योति कोशले	नाचनपाली	सारंगढ़	अ.जा.	05 HP
10	श्री उदे राम कोशले	नाचनपाली	सारंगढ़	अ.जा.	05 HP
11	श्रीमति ललीता बाई	जशपुर	सारंगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
12	श्री जोइथा	छर्टांगर	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
13	श्री होलेराम राठिया	छर्टांगर	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
14	श्री रायसिंह	छर्टांगर	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
15	श्री बेदराम	छर्टांगर	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
16	श्री गोविंदराम	छर्टांगर	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
17	श्री पंचदास	डोकर बुड़ा	घरघोड़ा	अ.पि.व.	03 HP
18	श्रीमति केशर बाई	तुभीडीह	घरघोड़ा	अ.पि.व.	05 HP
19	श्री सहिस राम	बुलेकेरा	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	05 HP
20	श्री पालूराम	घोहड़ीडीपा	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	05 HP
21	श्री महेश प्रसाद	चित्कागुड़ा	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	03 HP
22	श्री संतराम राठिया	पतरापाली	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	05 HP
23	श्री इंदल सिंह	सिरकी	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
24	श्रीमती तिरधमति	बोरो	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	05 HP
25	श्री खेम लाल	बोरो	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	05 HP
26	श्री पदुम कुमार	जबगा	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	05 HP
27	श्री भीखम प्रसाद	जबगा	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	05 HP
28	श्री धनसाय लकड़ा	जलडेगा	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
29	श्री उद्धव पटेल	बेंद्रापारा	बरमकेला	अ.पि.व.	05 HP
30	श्री मूलचंद पटेल	कमलापानी	बरमकेला	अ.पि.व.	05 HP
31	श्री महेंद्रनाथ पटेल	धनीगाँव	बरमकेला	अ.पि.व.	05 HP
32	श्रीमति मोंगरावती	धनीगाँव	बरमकेला	अ.पि.व.	05 HP
33	श्री लबो राणा	बेंद्रापारा	बरमकेला	सामान्य	05 HP
34	श्री हेमशंकर पटेल	पड़िगाँव	तमनार	अ.पि.व.	05 HP
35	श्री रूपसिंह	धरमजयगढ़	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
36	श्री बालमुकुंद राठिया	रोड़ोपाली	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
37	श्री गौतम राठिया	नूनदरहा	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
38	श्री महेंतर राठिया	धिरामुड़ा	तमनार	अ.ज.जा.	05 HP
39	श्री मटर सिदार	कवरिहा	रायगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
40	श्री वासुदेव सिदार	देलारी	रायगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
41	श्री सुप चंद पटेल	टिमरलगा	सारंगढ़	अ.पि.व.	05 HP
42	श्री मेहर साय	जामपारा	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	05 HP
43	श्री भागीरथी पटेल	बोरो	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	05 HP

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	विकासखंड	श्रेणी	पंप क्षमता
44	श्री गणेश प्रसाद गुप्ता	कीदा	धरमजयगढ़	अ.पि.व	05 HP
45	श्रीमति आशमती	बोरो	धरमजयगढ़	अ.पि.व	05 HP
46	श्री गौरीलाल राठिया	कीदा	धरमजयगढ़	अ.ज.जा	05 HP
47	श्री सुन्दर मणि पटेल	टीमरलगा	सारंगढ़	अ.पि.व	05 HP
48	श्री सोनसाय एकका	शाहपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03HP
49	श्री अनुमान सिंह राठिया	रूपुंगा	धरमजयगढ़	अजजा	5 HP
50	श्री बेदराम राठिया	नरकालो	धरमजयगढ़	अजजा	5HP
51	श्री बेगर साय	सिरकी	धरमजयगढ़	अजजा	5HP
52	श्री नन्द लाल राठिया	फतेहपुर	धरमजयगढ़	अजजा	5HP
53	श्री गजानंद सिंह	फतेहपुर	धरमजयगढ़	अजजा	5HP
54	श्री गौरी शंकर डनसेना	रूपुंगा	धरमजयगढ़	अपिव	5HP
55	श्री कौशल प्रसाद पटेल	फतेहपुर	धरमजयगढ़	अपिव	5HP
56	श्री हरिविलास यादव	फतेहपुर	धरमजयगढ़	अपिव	5HP
57	श्री सूरज कुमार नायक	बुंदेली	बरमकेला	अपिव	5HP
58	श्री वासुदेव साय	कोकबहाल	बरमकेला	अपिव	3HP
59	श्रीमती अन्विका कर्ष	बुंदेली	बरमकेला	अपिव	3HP
60	श्री तीजमान चौहान	बनई	तमनार	अजा	3HP
61	श्रीमती भोजकुमारी पटेल	कुरवाबहरी	रायगढ़	अपिव	5HP
62	श्री मुरलीधर गुप्ता	बासनपाली	पुसौर	अपिव	5HP
63	श्री संजय भूषन पाण्डेय	दानसरा	सारंगढ़	सामान्य	5HP
64	श्री वासुदेव पटेल	सहसपानी	सारंगढ़	अपिव	5HP
65	श्री बलभद्र पटेल	सहसपानी	सारंगढ़	अपिव	5HP
66	श्री घजा राम पटेल	सहसपानी	सारंगढ़	अपिव	5HP
67	श्री भोजराम पटेल	कलमीटिकरा	खरसिया	अपिव	5HP
68	श्री चन्द्र पाल पटेल	कलमीटिकरा	खरसिया	अपिव	5HP
69	श्री सूरज पाल पटेल	जयपुरा	खरसिया	अपिव	5HP
70	श्री हरीश गयेल	बोतल्दा	खरसिया	अपिव	5HP
71	श्री नेत्रा चौहान	लोरा	पुसौर	अ.जा.	5 HP
72	श्री शैलेन्द्र सिंघानिया	रूपडेगा	लैलूंगा	सामान्य	3 HP
73	श्री चमार सिंह बेहरा	चिरामुड़ा	तमनार	अ.पि.व.	5 HP
74	श्री मोहन राठिया	बरकसपाली	तमनार	अ.ज.जा.	5 HP
75	श्री भीखम राम चौहान	बनई	तमनार	अ.जा.	5 HP
76	श्रीमती लीलावती पटेल	धितवाड़ी	तमनार	अ.पि.व.	5 HP
77	श्री भागीश्री चौहान	कोलम	तमनार	अ.जा.	3 HP
78	श्री बैरवचंद्र पटेल	मुड़ागांव	तमनार	अ.पि.व.	5 HP
79	श्री जगेश्वर पटेल	चिरामुड़ा	तमनार	अ.पि.व.	5 HP
80	श्रीमती शांति चौहान	चिरामुड़ा	तमनार	अ.जा.	5 HP
81	श्री टीकाराम नायक	झनकपुर	बरमकेला	अ.पि.व.	5 HP
82	श्री मनबोध साहू	कोकबहाल	बरमकेला	अ.पि.व.	5 HP
83	श्री खेमसागर गुरू	कोकबहाल	बरमकेला	सामान्य	5 HP
84	श्री भुवनेश्वर नायक	झनकपुर	बरमकेला	अ.पि.व.	3 HP
85	श्री बालसाय राठिया	सिसरिंगा	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	3 HP
86	श्री दौलत राम पटेल	सिसरिंगा	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	3 HP

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	विकासखंड	श्रेणी	पंप क्षमता
87	श्री रामलाल भगत	नकना	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	3 HP
88	श्री तपेश्वर झरिया	जबगा	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	5 HP
89	श्री चंद्रसेखर राठिया	फत्तेपुर	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	5 HP
90	श्री पास्कल कुचुर	घाट्हा	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	5 HP
91	श्री लखन लाल पटेल	बोरो	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	5 HP
92	श्री पुस्तम यादव	झुलनवार	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	3 HP
93	श्री जगन एक्का	नेवार	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	3 HP
94	श्रीमती अनिता झरिया	जबगा	धरमजयगढ़	अ.पि.व.	5 HP
95	श्री गणेश राम राठिया	मुनुन्द	धरमजयगढ़	अ.ज.जा.	3 HP
96	श्री मित्रभानु पटेल	टिभरलगा	सारंगढ़	अ.पि.व.	3 HP
97	श्री राजेश्वर प्रसाद पटेल	टिभरलगा	सारंगढ़	अ.पि.व.	5 HP
98	श्री तेजराज कंवर	बरीद	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	5 HP
99	श्री मनोज कुमार	कया	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	3 HP
100	श्री भंवर सिंह राठिया	पुसल्दा	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	3 HP
101	श्री तिलकराम यादव	पुसल्दा	घरघोड़ा	अ.पि.व.	3 HP
102	श्री राधेश्याम कंवर	बरीद	घरघोड़ा	अ.ज.जा.	3 HP
103	श्री राम भगत राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
104	श्री ननकी राम राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
105	श्री आनंद सिंह राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
106	श्री गेदा राम राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
107	श्री गम्भीर सिंह मझवार	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
108	श्री ठाकुर बाबू राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
109	श्री धरम सिंह राठिया	बुल्हाखोल	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
110	श्री रोहित कुमार पटेल	फत्तेपुर	धरमजयगढ़	अपि.व.	03 HP
111	श्री शंकर राम महकूल	सजवारी	धरमजयगढ़	अपि.व.	03 HP
112	श्री मनसागर राठिया	बनखेता	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
113	श्री सुनील पुरकायस्त	संतोषनगर	धरमजयगढ़	अपि.व.	05 HP
114	श्री खेमराज यादव	रामपुर	धरमजयगढ़	अपि.व.	03 HP
115	श्री मनबोध तिकी	रामपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
116	श्री ओमप्रकाश राठिया	रामपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
117	श्री सिमोन तिकी	रामपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
118	श्री चैतराम नगेशिया	कुन्हीबुंवा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
119	श्रीमती कुचनी हंसदा	आमानारा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
120	श्रीमती दुखनी एक्का	राजापाली	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
121	श्री भगत राम कोरवा	आमानारा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
122	श्री साध राम कोरवा	आमानारा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
123	श्री कुचराम मांझी	कुन्हीबुंवा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
124	श्री गणेश राम इनसेना	खम्हरिया	तमनार	अपि.व.	05 HP
125	श्री गुरुनंदन सिदार	बसंतपुर	लेलूंगा	अजजा	03 HP
126	श्री ठाकुर राम राठिया	झंगरपुर	लेलूंगा	अजजा	03 HP
127	श्री पनत राम पैकरा	बसंतपुर	लेलूंगा	अजजा	03 HP
128	श्री नंदलाल भगत	भुईयापानी	लेलूंगा	अजजा	03 HP
129	श्री चमरसाय मिंज	भुईयापानी	लेलूंगा	अजजा	03 HP
130	श्री महेश राम पटेल	लिबरा	लेलूंगा	अपि.व.	03 HP

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	विकासखंड	श्रेणी	पंप क्षमता
131	श्री रामेश्वर पैकरा	जमुना	लैलूगा	अजजा	03 HP
132	श्री गोसाइ राम राठिया	फुटहाभुंदा	लैलूगा	अजजा	05 HP
133	श्री शनी राम भगत	झारआमा	लैलूगा	अजजा	03 HP
134	श्री सुंदरु राठिया	पाकादरहा	घरघोड़ा	अजजा	03HP
135	श्री हेमलाल राठिया	पाकादरहा	घरघोड़ा	अजजा	03HP
136	श्री सुखधरण एक्का	करींघार	घरघोड़ा	अजजा	03 HP
137	श्री चक्रधर पटेल	कोनपारा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
138	श्री रतिसाम कंवर	विलासखार	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
139	श्री दिलीप कुमार साहू	कठरापाली	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
140	श्री करम सिंह सतनामी	डोकरबुड़ा	घरघोड़ा	अजा	03 HP
141	श्री गौरव अग्रवाल	पंडरीपानी	रायगढ़	सामान्य	05 HP
142	श्री विजय कुमार भोय	तुमीडीह	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
143	श्री मूलचंद सिदार	तुमीडीह	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
144	अनुराधा अग्रवाल	पंडरीपानी	रायगढ़	सामान्य	03 HP
145	श्री टेक राम सिदार	खेड़आमा	लैलूगा	अजजा	03 HP
146	श्रीमती उर्मिला साहू	कोनपारा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
147	श्री गौरी शंकर कंवर	कोनपारा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
148	श्री आनंद राम कंवर	कोनपारा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
149	श्री मोला राम साहू	कोनपारा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
150	श्री मनधर कंवर	रायकेरा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
151	श्री चीनी लाल पटेल	पानीखेत	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
152	श्री राधेश्याम कंवर	बुलेकेरा	घरघोड़ा	अजजा	03 HP
153	श्री अनंत राम कंवर	दनोट	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
154	श्री समुन्दर कंवर	कटंगडीह	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
155	श्री सुहागे कंवर	कोगनारा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
156	श्रीमती यशोदा साहू	झांकादरहा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
157	श्री राजेन्द्र पटेल	चारभांठा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
158	श्री वेती राम पटेल	चारभांठा	घरघोड़ा	अपिव	05 HP
159	श्री सनत राम कंवर	नवापारा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
160	श्री मुलाई कंवर	टेन्डा	घरघोड़ा	अजजा	05 HP
161	श्री शिव सिंह ठाकुर	नवागढ़	घरघोड़ा	सामान्य	05 HP
162	श्री कुंज बिहार सतनामी	छिंद	सरंगढ़	अजा	05 HP
163	श्री पंच राम कंवर	बुलेकेरा	घरघोड़ा	अजजा	03 HP
164	श्री डोलनासायण पटेल	रानीसागर	खरसिया	अपिव	05 HP
165	श्री करम लाल राठिया	बसनाझर	खरसिया	अजजा	05 HP
166	श्री हरी चरण पटेल	सुरी	पुसौर	अपिव	05 HP
167	श्री महेश राम उरांव	जुड़डा	रायगढ़	अजजा	05 HP
168	श्री मुनकू राम बहिरा	लेंधा	बरमकेला	अजजा	05 HP
169	श्री जगन्नाथ साहू	कंदलीसरार	बरमकेला	अपिव	05 HP
170	श्री चक्रधर पटेल	लेंधा	बरमकेला	अपिव	05 HP
171	श्री हलधर पैकरा	घीसाडांड	लैलूगा	अजजा	03 HP
172	श्री मूखन राम नाग	खेड़आमा	लैलूगा	अजजा	03 HP
173	श्री चित्रभोज सिदार	कैकराझरिया	लैलूग	अजजा	03 HP
174	श्री बामू लाल सिदार	टाप	लैलूगा	अजजा	03 HP
175	श्री रूकमन राठिया	झगरपुर	लैलूगा	अजजा	03 HP

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	विकासखंड	श्रेणी	पंप क्षमता
176	श्रीसीता राम सिदार	पोतरा	लैलूंगा	अजजा	03 HP
177	श्री डमरूधर पैकरा	धीराडांड	लैलूंगा	अजजा	03 HP
178	श्रीघासीराम सिदार	खेड़आमा	लैलूंगा	अजजा	03 HP
179	श्री रतन सिंह राठिया	गुनू	लैलूंगा	अजजा	05 HP
180	श्री मघनी एक्का	खेड़आमा	लैलूंगा	अजजा	03 HP
181	श्रीदुर्योधन पटेल	चिरामुड़ा	तमनार	अपिव	05 HP
182	श्रीमती वेदमती पटेल	रोड़ोपाली	तमनार	अपिव	05 HP
183	श्री पुनीराम पटेल	धितवाही	तमनार	अपिव	05 HP
184	श्री मेहत राम राठिया	जोबरो	तमनार	अजजा	03 HP
185	श्री पंचम राठिया	महलोई	तमनार	अजजा	05 HP
186	श्री भजन लाल पटेल	चिरामुड़ा	तमनार	अपिव	05 HP
187	श्री ईश्वर गुप्ता	चरकापारा	धरमजयगढ़	सामान्य	03 HP
188	श्री जनक राम पटेल	पुरुंगा	धरमजयगढ़	अपिव	05 HP
189	श्री सुखराम बड़ा	जबगा	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
190	श्रीमती पार्वती कुलदीप	पुरुंगा	धरमजयगढ़	अपिव	05 HP
191	श्रीजीवन लाल झरिया	जबगा	धरमजयगढ़	अपिव	05 HP
192	श्रीमती करमकुंवर	पुरुंगा	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
193	श्री पंचराम राठिया	रुपुंगा	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
194	श्री धनी राम बैगा	नरकालो	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
195	श्री सोना राम राठिया	बायसी	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
196	श्रीनोहर साय बैगा	रुपुंगा	धरमजयगढ़	अजजा	05 HP
197	श्री रोहित नायक	सकरलिया	धरमजयगढ़	अपिव	03 HP
198	श्री टीकम सिंह राठिया	सकरलिया	धरमजयगढ़	अजजा	03HP
199	श्री ठाकुर राम बैगा	रुपुंगा	धरमजयगढ़	अजजा	03HP
200	श्री कैलास राम राठिया	पोरिया	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
201	श्रीमति घसनी बाई	जमाबीरा	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
202	श्री प्रभाराम	बोरो	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
203	श्री मंगतू राम	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
204	श्री रूपसिंह	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
205	श्री घासीराम	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
206	श्री इलियास	किरीयां गढ़	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
207	श्री सूखराम	किरीयां गढ़	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
208	श्री दसु	किरीयां गढ़	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
209	श्रीमति सुखमति	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
210	श्री रामकुमार	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
211	श्री अजय कुमार राठिया	गनपतपुर	धरमजयगढ़	अजजा	03 HP
212	श्री महेश्वर प्रसाद साव	कसडोल	तमनार	अपिव	03 HP

## परिशिष्ट "उनचास"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2370) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

संस्थान का नाम	ग्राम एवं विकासखण्ड	क्षमता मेगावाट में	सब स्टेशन का नाम जहां पॉवर इन्जेक्ट हो रही है	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा संस्थान के मध्य निष्पादित पीपीए अनुसार देय बिजली की प्रति यूनिट दर
मेसर्स एकमे रायपुर पॉवर लिमिटेड	ग्राम भिखापाली एवं साल्हेभाठा विकासखण्ड बागबहरा	30 मेगावाट	132 केव्ही सब स्टेशन झलप, जिला महासमुंद	रूपये 6.46 प्रति यूनिट के मान से क्रय की गई बिजली हेतु
मेसर्स विद्युत लिमिटेड	ग्राम-साल्हेभाठा विकासखण्ड बागबहरा	04 मेगावाट	33/11 केव्ही सब स्टेशन तेन्दुकोना, जिला महासमुंद	रूपये 6.46 प्रति यूनिट के मान से क्रय की गई बिजली हेतु
मेसर्स फारेस्टरी लिमिटेड	ग्राम-दर्राभाठा एवं बैतारी विकासखण्ड सरायपाली	02 मेगावाट	33/11 केव्ही सब स्टेशन सरायपाली, जिला महासमुंद	रूपये 17.91 प्रति यूनिट। जवाहर लाल नेहरू मिशन के अंतर्गत स्थापित इस पॉवर प्लांट से क्रय की गई बिजली की यूनिट्स हेतु "इरेडा" द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रूपये 10.17 प्रति यूनिट के मान से प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त होता है।
कलेक्टर महासमुंद	जिला कार्यालय महासमुंद, विकासखण्ड महासमुंद	50 किलोवाट	कलेक्टर कार्यालय में स्थापित 100 केव्हीए निम्नदाब विद्युत लाइन से जुड़ा है	कलेक्टर कार्यालय महासमुंद के केप्टिव यूज हेतु स्थापित। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के तहत केप्टिव यूज उपरांत अतिशेष ऐसी बिजली की यूनिट्स जो वितरण कंपनी के सिस्टम में इन्जेक्ट हो रही है हेतु रूपये 3.52 यूनिट की दर से भुगतान देय है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय महासमुंद	जिला पंचायत कार्यालय महासमुंद विकासखण्ड महासमुंद	50 किलोवाट	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय महासमुंद में स्थापित 100 केव्हीए निम्नदाब विद्युत लाइन से जुड़ा है	जिला पंचायत कार्यालय महासमुंद के केप्टिव यूज हेतु स्थापित। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के तहत केप्टिव यूज उपरांत अतिशेष ऐसी बिजली की यूनिट्स जो वितरण कंपनी के सिस्टम में इन्जेक्ट हो रही है हेतु रूपये 3.52 यूनिट की दर से भुगतान देय है।

## प्रपत्र "ब"

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
1	महेश राम नागवंशी	15,000
2	नानक सिंह	15,000
3	देवराम निमार	30,000
4	देवराम निमार	30,000
5	प्रीतम बाई	11,500
6	सी०पी० चन्द्राकर	15,000
7	इंद्रजीत साहू	15,000
8	प्रेम साहू	15,000
9	शेर सिंह भारती / कुदन चन्द्राकर	20,000
10	शमप्रताप चन्द्राकर	1,00,000
11	नरेश कुमार सिंह	15,000
12	नेतराम बघेल	15,000
13	घासू केवट	30,000
14	ठाकुर राम डडसेना	30,000
15	यशवंत मारकण्डे	12,500
16	लक्ष्मीकांत निषाद	10,000
17	सुंदर लाल इसेना / दिनेश इसेना	25,500
18	परमानंद इसेना	15,000
19	भुवनेश्वर लाल	12,000
20	दिनानाथ सोनवानी	11,000
21	बसेत कुमार जांगडे	16,000
22	नाथूराम दीवान	11,000
23	सतानंद कौसरिया	13,000
24	भाबरमति साहू	9,000
25	जगदीश राम साहू	18,500
26	पारसराम निषाद	15,000
27	घनश्याम कुमार सेन	30,000
28	दीपक कुमार अजय	20,000
29	तिरथ कौसरिया	20,000
30	जीतराम पटेल	15,000
31	कोमल प्रसाद दीवान	12,000
32	धनाराम दीवान	10,000
33	नंदाकुमार पटेल	13,500
34	गौरसिंह पटेल	12,000
35	रामेश्वरी बाई	16,000

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
36	रिखीराम दीवान	10,000
37	शंकर लाल दीवान	13,500
38	तेनूराम साहू	50,000
39	दिलीप कुमार साहू/भूषण लाल साहू	17,000
40	लामूराम साहू/सुनिता साहू/भुजबल यादव	19,000
41	नाथूराम साहू/चुन्नीलाल साहू	18,000
42	तुकाराम साहू/लखन साहू	15,000
43	सोनूराम साहू	13,000
44	फगुनी बाई	13,000
45	पंचराम कुमार	13,000
46	सकुन बाई	16,000
47	साहेबदास साहू	14,000
48	युवराज राजपूत	15,000
49	डुमार सिंह दीवान	7,000
50	लुकेश कुमार दीवान	11,000
51	योगेश दीवान/मानस दीवान/अंजली बाई	15,500
52	प्यारेलाल दीवान	10,000
53	चोपन दीवान	9,500
54	छुन्नूराम/मानसिंग	8,000
55	रामाधार निर्मलकर	13,000
56	किसन/बलीकुमार	7,000
57	हरिदर्शन मानकपुरी	7,000
58	केशवराम निर्मलकर	11,500
59	हिरउराम	5,000
60	मो. नजीर/ब्यालराज/मो. रियाज	17,000
61	रामनाथ चन्द्राकर/युवराज चन्द्राकर	13,500
62	भुवन लाल साहू	7,000
63	पानसिंह	12,000
64	भरतलाल यादव	9,000
65	पुष्कर बाई	10,500
66	चिन्ताराम साहू/जोहार लाल	9,000
67	कंतराम	20,500
68	दशरथ दीवान	8,200
69	सुखीबाई दीवान	7,200
70	धनीराम निर्मलकर	13,400
71	नाथूराम दीवान	14,300
72	रमेश राम साहू	16,000
73	रुखमणी दीवान	7,000
74	नरेश राम साहू	11,700

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
75	महेन्द्र साहू	9,000
76	नागेशैया दीवान	12,600
77	मनोज सिंह कंवर	11,500
78	कुलेश्वर इंसेना	11,700
79	प्रतिमा बाई	9,500
80	राजेन्द्र सतनामी	9,000
81	बलीकुमार दीवान	15,300
82	डुमार दीवान	13,100
83	नरेश दीवान	15,200
84	इंद्रकुमार	11,200
85	मनोहर दीवान	15,000
86	निजाम दीवान	21,800
87	घासीराम बैन	18,800
88	हमीन बाई	15,500
89	रिसी कुमार/प्रेमलाल	14,400
90	शोभा दीवान	17,900
91	मुकेश दीवान	11,600
92	पवन कुमार सरिया/मरीज चौनबाई/थानू दीवान	5,700
93	प्रेमसिंह बेलदार	25,300
94	धरमसिंह बेलदार	6,800
95	नारायण राम	7,800
95	अमेशी बाई	7,300
97	ओमप्रकाश दीवान	8,200
98	सगुन दीवान	3,800
99	जानकी बाई	4,800
100	चतुरसिंह साहू	24,000
101	गोपाल कुमार दीवान	3,200
102	नंदकुमार दीवान	1,500
103	इंद्रकुमार दीवान	4,800
104	गोपाल दीवान	2,700
105	रिसी कुमार दीवान	2,800
106	मनोहर दीवान	3,000
107	निजाम दीवान	3,500
108	गणेशी बाई	4,900
109	कु. निषाद	5,500
110	महेत्तर साहू	3,800
111	पवन कुमार सहिस	7,200
112	प्रीतम बाई	3,500
113	सेवक राम दीवान	6,400
114	पम्पी बाई	5,400

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
115	जानकी बाई	9,000
116	कन्हैया दीवान	5,400
117	किसन दीवान	6,600
118	सतबाई	3,300
119	भगवान दीवान	8,000
120	जगन्नाथ दीवान	16,700
121	ओमप्रकाश दीवान	4,600
122	पानसिंह	1,500
123	चिन्ताराम साहू	16,000
124	रानूलाल साहू	19,000
125	गोपीनाथ दीवान	4,000
126	मोकरन पटेल	13,000
127	नकुल साहू	24,000
128	जोहार लाल साहू	7,500
129	जोहार लाल साहू	18,000
130	प्रवीण डडसेना	4,000
131	राजू गोड	6,000
132	रवि धुव	3,500
133	घासू निषाद	15,000
134	अश्वनी चन्द्राकर	8,000
135	मोदित धुव	1,500
136	कांताप्रसाद	4,000
137	नरोत्तम चन्द्राकर	1,000
138	छमन लाल निषाद	4,000
139	पुरुषोत्तम डडसेना	6,000
140	अशोक ठाकुर	21,000
141	विसहत सतनामी	2,000
142	ईश्वरी साहू	13,000
143	कुंदन धुवंशी	3,000
144	पवन डडसेना	28,000
145	ईश्वरी राम साहू	1,500
146	यशवंत मारकण्डे / शैलेन्द्र मारकण्डे	2,500
147	चुडामनी इंसेना	2,000
148	नंदकुमार	2,500
149	शंकर लाल दीवान	2,500
150	लोमूराम साहू	1,500
151	सुनिता साहू	2,000
152	तुका राम साहू	3,500
153	महेश राम साहू	2,500
154	महादेव दीवान	1,200

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
155	अंजनी बाई	2,000
156	ललित दीवान	4,000
157	युवराज दीवान	3,000
158	तोलेराम दीवान	1,000
159	गोपीराम	900
160	मानसिंह	1,200
161	चमरू	700
162	नारायण बेरिया	700
163	देबलाल	1,500
164	घुरजलाल साहू	1,500
165	नेतराम	1,500
166	रामलखन साहू	500
167	पोनेराम साहू	1,000
168	शैलेश साहू	1,500
169	पुष्पेन्द्र साहू	1,000
170	भारत लाल यादव	2,000
171	लकेश्वरी बाई	1,400
172	सुरवन कंवर	1,300
173	भारत लाल यादव	800
174	मोहन कंवर	800
175	सुखराम	1,500
176	धनेश राम साहू	1,100
177	बालाराम साहू	1,200
178	चिन्ताराम साहू/ जोहार लाल	1,000
	योग	18,97,200